सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–3

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राजस्व क्षेत्र पर
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–3

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v – vii
अध्याय-I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रूझान	1.2	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.3	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति	1.4	9
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	11
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.6	12
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.7	12
अध्याय-II: राज्य माल एवं सेवा कर		
'वर्ष 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2	15
अध्याय-III: स्टाम्प एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	3.1	69
संगठनात्मक ढाँचा	3.2	69
लेखापरीक्षा का परिणाम	3.3	70
बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण	3.4	70
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	3.5	71
अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	4.1	75
लेखापरीक्षा का परिणाम	4.2	75
खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	4.3	76
पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में अंशदान जमा न किया जाना	4.4	77

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	5.1	79
लेखापरीक्षा का परिणाम	5.2	80
उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना	5.3	80
बिना परमिट नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति के भुगतान के बिना संचालित होने वाले वाहन	5.4	81
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना	5.5	82
परिशिष्टियाँ		**85-167**
संक्षेप एवं पारिभाषिक शब्दावली		**169**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त हुये वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, परिवहन एवं भूतत्व एवं खनिकर्म शामिल हैं, के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2021-22 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं सात प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनका कुल ₹ 1,674.20 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से सम्बन्धित विभाग ने ₹ 1,250.70 करोड़ की लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं ₹ 16.47 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया हैः

अध्याय-I: सामान्य

वर्ष 2021-22 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,71,011.44 करोड़ थीं जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,58,803.71 करोड़ (42.80 प्रतिशत) थीं। भारत सरकार ने ₹ 2,12,207.73 करोड़ (57.20 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें से विभाज्य संघीय करों और शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,60,358.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.22 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 51,849.68 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 13.97 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2021-22 के दौरान विगत वर्ष के सापेक्ष राज्य के अपने राजस्व में ₹ 27,060.26 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (तालिका 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

अध्याय- II: राज्य माल एवं सेवा कर

'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आयाः

छः क्षेत्रों में जीएसटीआर 3ए (जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वाले चूककर्ताओं के लिये नोटिस) जारी करने और एएसएमटी–13 (उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण आदेश जहाँ करदाताओं ने जीएसटीआर 3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया) एवं डीआरसी–07 (एएसएमटी–13 के अनुवर्ती के रूप में माँग आदेश का सारांश) जारी करने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चूककर्ताओं से ₹ 9.85 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 2.6.1.1)

विवरणियों की संवीक्षा के मामलों में 552 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एवं 312 मामलों में कार्यवाही पूर्ण की गयी थी एवं ₹ 33.67 करोड़ की वसूली की गयी थी जबकि ₹ 123.57 करोड़ की धनराशि वाले 240 मामले पूर्ण किये जाने हेतु लम्बित थे।

(प्रस्तर 2.6.1.3)

लेखापरीक्षा मैनुअल जारी करने में विलम्ब के कारण, विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा सम्पादित की। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की लेखापरीक्षा अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को पूर्ण वसूली की सूचना प्रदान नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 2.6.1.4)

विभाग ने ₹ 4,351.03 करोड़ के आईटीसी/कर/टर्नओवर के बेमेल 214 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है या जाँच प्रारम्भ कर दी है। इन मामलों में से विभाग ने 10 मामलों में ₹ 12.02 करोड़ की वसूली की है, 123 मामलों में ₹ 3,879.79 करोड़ के फार्म एएसएमटी–10 में करदाताओं को विसंगतियों से अवगत कराने के लिये नोटिस जारी किया है एवं 81 मामलों में ₹ 459.22 करोड़ हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

(प्रस्तर 2.6.2.3.अ)

लेखापरीक्षा ने 29 प्रकरणों में पाया कि कर योग्य व्यक्तियों ने या तो देर से अपनी कर देयता निर्धारित की थी या गलती से अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट का उपयोग किया था जिसे वापस कर दिया गया था लेकिन ब्याज भुगतान की धनराशि ₹ 1.76 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.6.3.2.अ)

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 80 मामलों में से ₹ 92.77 करोड़ की अनुपालन कमियों के 57 मामले पाये गये। ये कमियाँ अनियमित रूप से आईटीसी का लाभ उठाने, अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने एवं आईटीसी को कम या वापस न लेने के कारण थीं।

(प्रस्तर 2.6.3.3)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 80 मे से दो मामलों में ₹ 4.17 करोड़ की अनुपालन कमियाँ पायी गयी, क्योंकि कर योग्य व्यक्तियों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अन्तर्गत गलत तरीके से कर देयता का निर्वहन किया जिसके कारण कर की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.6.3.4.ब)

अध्याय-III: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से बन्धक विलेखों पर ₹ 2.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.4)

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.5)

अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय अंशदान और/या रायल्टी की कुल राशि को चार खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल को शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 4.3)

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय ₹ 2.27 करोड़ का अंशदान दो पट्टेदारों द्वारा जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.4)

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अतिरिक्त कर के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 985 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों पर ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.3)

बिना परमिट के संचालित 1,222 वाहनों पर आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.4)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.5)

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय -I : सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रूझान

1.2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका–1.1** में दर्शाये गये हैं।

तालिका–1.1 : राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30	1,47,367.74
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**13.29**	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**	**22.91**
	• करेतर राजस्व	19,794.86	30,100.71	81,705.08	11,846.15	11,435.97
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**(-) 31.60**	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**	**(-) 3.46**
	योग	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**	**1,58,803.71**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01	1,60,358.05[1]
	• सहायता अनुदान	40,648.45	42,988.48	44,043.97	57,745.87	51,849.62[2]
	योग	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**	**2,12,207.73**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**	**3,71,011.44**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**42**	**46**	**56**	**44**	**43**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में अ–कर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य लेखा–शीर्ष–0005–केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032–सम्पत्ति पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर, 0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, एवं लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़ों को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 8,299.42 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

ऊपर की तालिका यह इंगित करती है कि 2017-22 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 11.88 प्रतिशत एवं 20.59 प्रतिशत रही थी। राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 20.54 प्रतिशत की वृद्धि रही थी।

वर्ष 2021-22 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.1

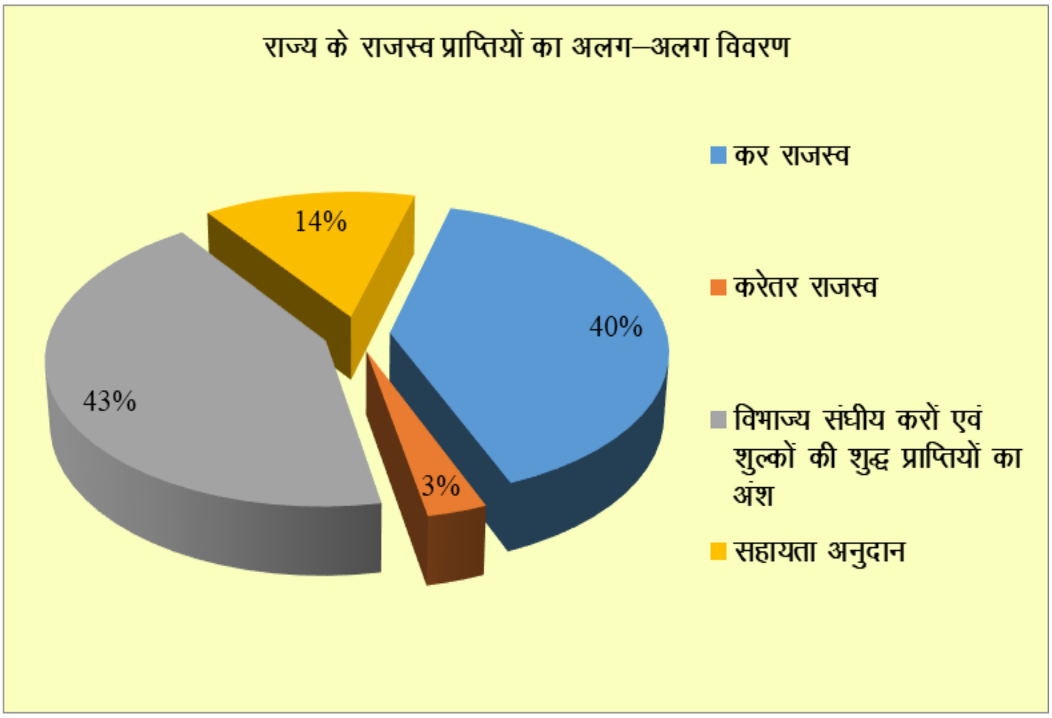

1.2.2 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व का विवरण **तालिका–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका–1.2 : कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2021-22 का ब0अ0	2020-21 का वास्तविक
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	31,100.00 27,058.17	(-) 13.00	(+) 22.29
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)	28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	73,285.00 54,594.12	(-) 25.50	(+) 27.38
2	राज्य आबकारी	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	41,500.00 36,319.63	(-) 12.48	(+) 20.82
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	25,500.00 20,048.25	(-) 21.38	(+) 21.69

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता (₹ करोड़ में)	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2021-22 का ब0अ0	2020-21 का वास्तविक
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	9,350.00 7,775.82	(-) 16.84	(+) 19.95
5	अन्य[3]	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	5,610.00 1,571.75	(-) 71.98	(-) 16.89
योग		**1,11,501.90** **97,393.00**	**1,22,700.00** **1,20,121.86**	**1,40,176.00** **1,22,825.83**	**1,66,021.00** **1,19,897.30**	**1,86,345.00** **1,47,367.74**	**(-)** **20.92**	**(+)** **22.91**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2021–22 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

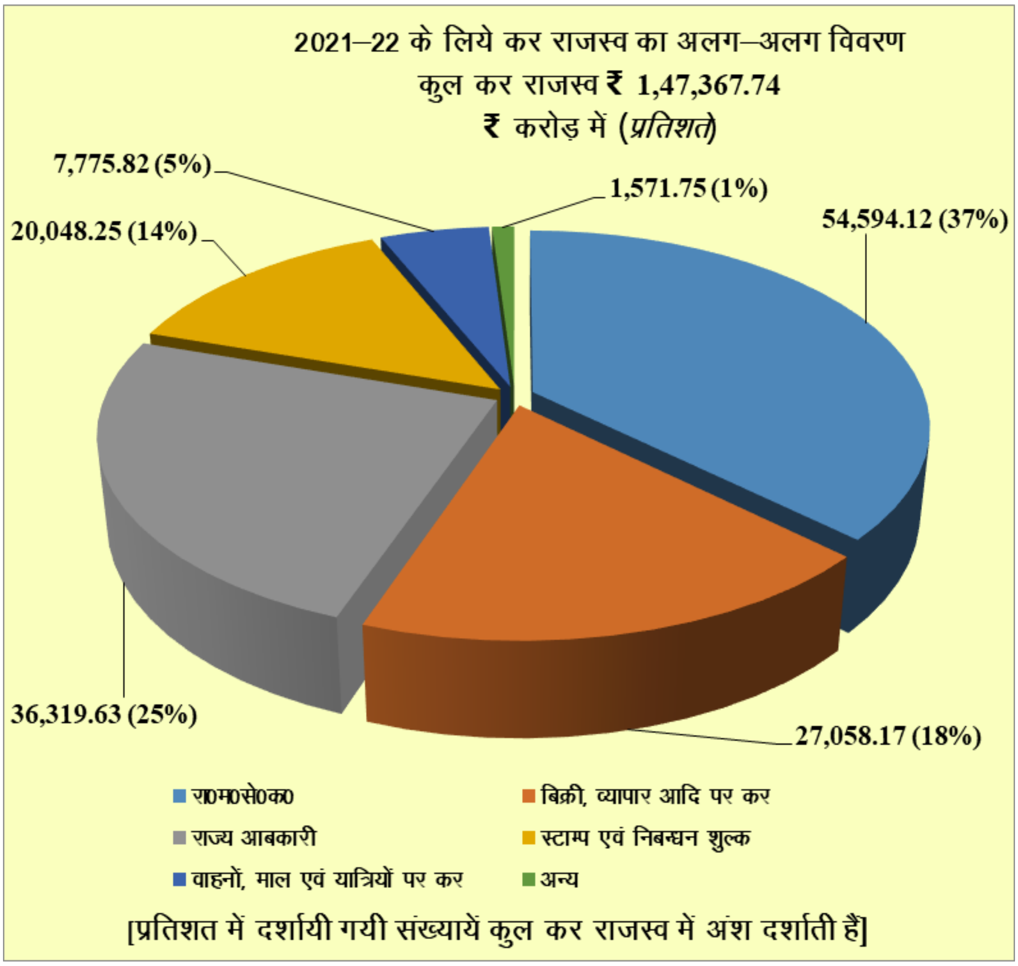

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी हैः

- वर्ष 2021-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 22.91 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर' (रा0मा0से0क0) (₹ 11,734.09 करोड़ द्वारा), 'राज्य आबकारी' (₹ 6,258.42 करोड़ द्वारा), 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹ 4,931.11 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 3,573.01 करोड़ द्वारा), तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,293.17 करोड़ द्वारा) की वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2021-22 के दौरान रा0मा0से0क0 संग्रह में ₹ 11,734.09 करोड़ की वृद्धि हुई। रा0मा0से0क0 संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण रा0मा0से0क0 और एकीकृत माल एवं सेवा कर (ए0मा0से0क0) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रास–उपयोग (₹ 6,312.72 करोड़ द्वारा), ए0मा0से0क0 के विभाजन से रा0मा0से0क0 के कर घटक का स्थानान्तरण (₹ 1,960.01 करोड़ द्वारा) और अन्य लघु शीर्ष में अन्तरण की प्रतीक्षा के अन्तर्गत प्राप्तियाँ (₹ 5,862.88 करोड़ द्वारा) से अधिक प्राप्तियां थीं। यद्यपि, लघु शीर्ष 101-कर (रा0मा0से0क0) के अन्तर्गत ₹ 1,958.14 करोड़ की कम प्राप्तियाँ थीं।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 4,931.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 515.34 करोड़ द्वारा) और मूल्य संवर्धित कर (₹ 4,328.76 करोड़ द्वारा) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।
- 'राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 3,633.94 करोड़), माल्ट मदिरा (₹ 827.97 करोड़) और मदिरा (₹ 1,724.49 करोड़) की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेत्तर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 3,629.12 करोड़) एवं निबन्धन दस्तावेज़ों के शुल्क से अधिक प्राप्तियाँ (₹ 502.00 करोड़) थीं। यद्यपि, न्यायिक स्टाम्प के बिक्री से प्राप्तियाँ (₹ 589.52 करोड़) कम थी।
- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों (₹ 1,689.47 करोड़) के शुद्ध प्रभाव के कारण थी।

1.2.3 वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान वसूले गये करेतर राजस्व का विवरण **तालिका–1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.3 : करेतर राजस्व का विवरण

								(₹ करोड़ में)
क्रम सं0	**राजस्व शीर्ष**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता**	
		ब0अ0 **वास्तविक**	**ब0अ0** **वास्तविक**	**ब0अ0** **वास्तविक**	**ब0अ0** **वास्तविक**	**ब0अ0** **वास्तविक**	**2021-22 का ब0अ0**	**2020-21 का वास्तविक**
1	ब्याज प्राप्तियाँ	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	2,100.00 1,249.77	(-) 40.49	(+) 12.03
2	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	4,500.00 2,655.48	(-) 40.99	(-) 14.69
3	विद्युत	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	3,749.00 1,768.50	(-) 52.83	(+) 35.10
4	मध्यम सिचाई	987.90 8,33.69	988.73 777.98	1,000.00 872.42	1,060.00 1,014.95	1,102.00 1,032.77	(-) 06.28	(+) 01.76
5	सड़क एवं सेतु	900.00 365.92	950.00 932.13	1,000.00 706.81	1,560.00 997.34	6,654.00 640.27	(-) 90.38	(-) 35.80
6	पुलिस	424.00 422.96	445.20 467.80	522.00 427.61	653.41 458.04	693.00 590.72	(-) 14.76	(+) 28.97
7	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	7,676.47 9,124.18	15,894.13 17,309.52	18,335.96 75,003.73	18,262.52 3,838.54	6,623.67 3,498.46	(-) 47.18	(-) 08.86
	योग	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**31,178.93** **11,846.15**	**25,421.67** **11,435.97**	**(-)** **55.01**	**(-)** **03.46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

4 अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व का पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैंः विविध सामान्य सेवाएं, आवास, लोक निर्माण, स्टेशनरी और मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, ग्राम और लघु उद्योग, वानिकी और वन्य जीवन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

वर्ष 2021-22 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

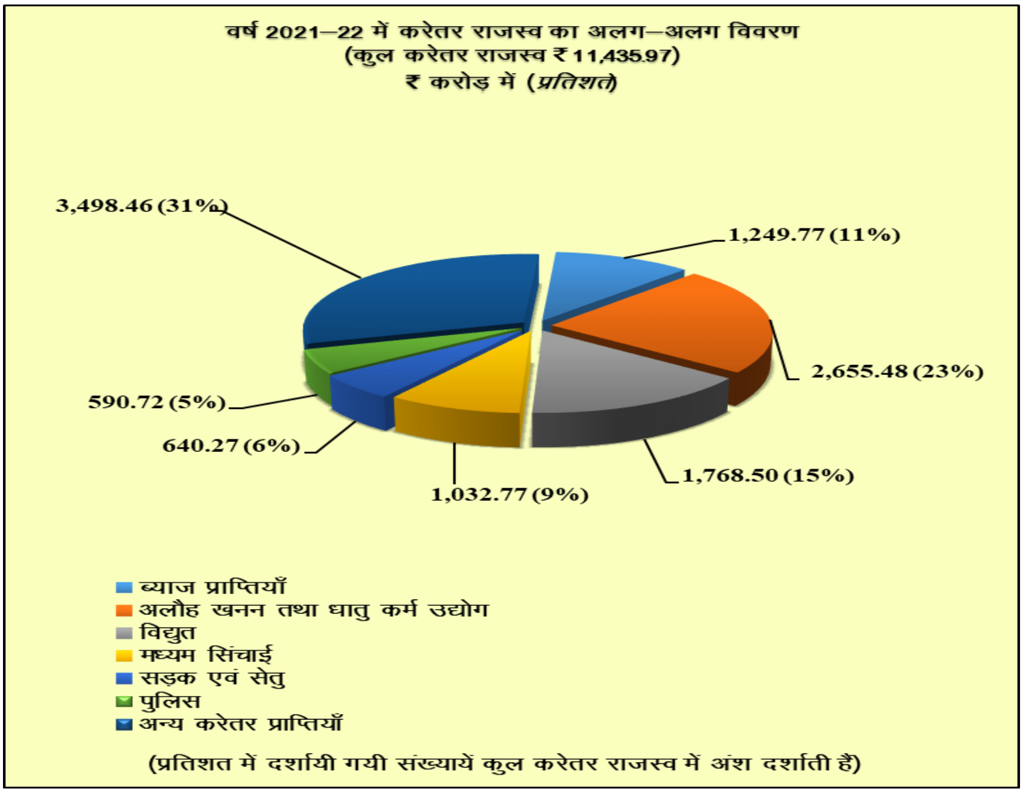

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 3.46 प्रतिशत धनराशि ₹ 410.18 करोड़ की कमी हुई, जो कि मुख्य रूप से शीर्ष 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग' के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 457.26 करोड़ द्वारा), 'सड़क एवं सेतु' के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 357.07 करोड़ द्वारा) एवं अन्य करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 340.08 करोड द्वारा) के कारण थी।

- 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी खनिज रियायत शुल्क, किराए और रायल्टी (₹ 372.31 करोड़) से कम प्राप्तियों के कारण थी।

- राजस्व लेखा शीर्ष 'विद्युत' के अन्तर्गत 35.32 प्रतिशत की वृद्धि ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिक प्राप्तियों (₹ 458.81 करोड़) के कारण थी।

- 'सड़क और सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी अन्य प्राप्तियों जैसे सरकारी घाटों से प्राप्तियाँ, स्थापना व्ययों की प्राप्तियाँ आदि (₹ 360.97 करोड़) से कम प्राप्ति के कारण थी।

- 'पुलिस' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि अन्य सरकारों को आपूर्ति की गई पुलिस से प्राप्तियाँ (₹ 120.42 करोड़) और अन्य प्राप्तियाँ (₹ 11.91 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

- 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 213.34 करोड़) के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व के मध्य व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ तालिका 1.2 और 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुति 1:

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यर्थाथवादी बनाने हेतु अपने बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया 31 मार्च 2022 तक ₹ 37,082.23 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,142.67 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक अवधि का था, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णित है।

तालिका–1.4: राजस्व का बकाया

				(₹ करोड़ मे)
क्रम सं0	**राजस्व शीर्ष**	**31 मार्च 2022 तक बकाये की कुल धनराशि**	**31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि**	**स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे**
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	36,073.60	14,961.52	₹ 36,073.60 करोड़ में से, ₹ 8,492.26 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 3,629.64 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र अन्य राज्यों को भेजे गये थे; ₹ 6,614.28 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 2,613.38 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 8,635.14 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था; और ₹ 83.38 करोड़ ट्रांसपोर्टरों पर बकाया था। शेष ₹ 6,005.52 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी।
2.	राज्य आबकारी	52.95	52.95	₹ 52.95 करोड़ में से, ₹ 31.39 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 15.83 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी और ₹ 5.73 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था।

				(₹ करोड़ मे)
क्रम सं0	**राजस्व शीर्ष**	**31 मार्च 2022 तक बकाये की कुल धनराशि**	**31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि**	**स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे**
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	538.04	128.20	₹ 538.04 करोड़ में से ₹ 127.99 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था;₹ 233.10 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 8.26 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 1.08 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था। शेष ₹ 167.61 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी।
4.	वाहनों पर कर	417.64	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।	₹ 417.64 करोड़ में से, ₹ 209.09 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 5.31 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 0.08 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था। शेष ₹ 203.16 करोड़ की धनराशि हेतु कार्यवाही विभाग स्तर पर लम्बित थी।
5.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।		निदेशालय स्तर पर विभाग के पास बकाया का विवरण उपलब्ध नहीं था।
	योग	**37,082.23**	**15,142.67**	

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

31 मार्च 2022 तक बकाया राजस्व का विवरण **चार्ट–1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.4

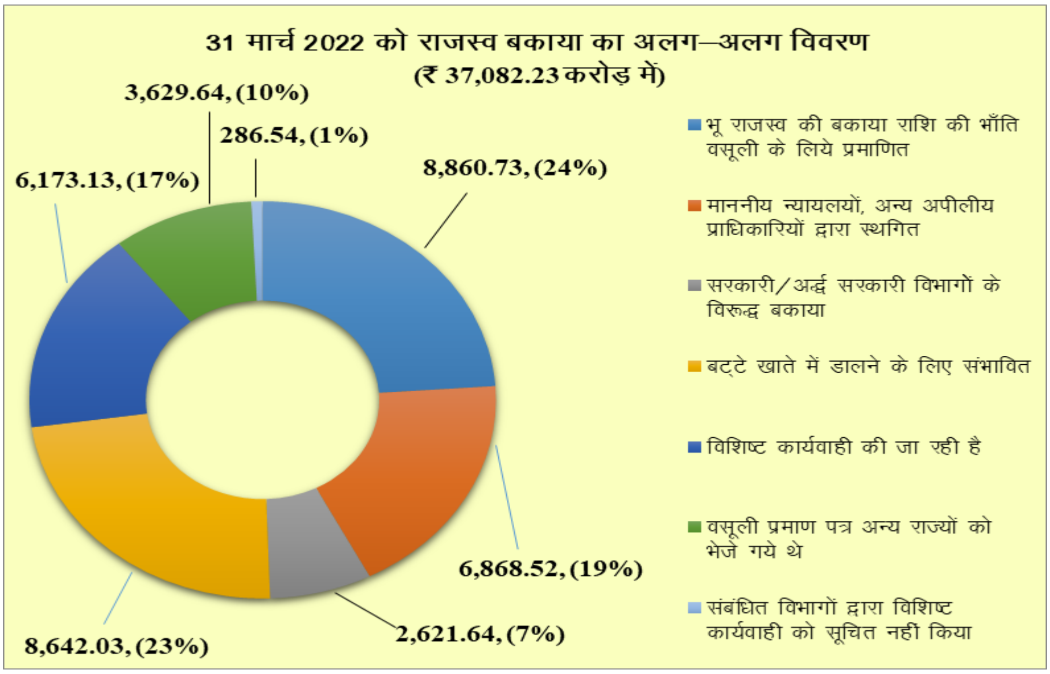

कुल बकाया ₹ 37,082.23 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 8,860.73 करोड़ को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था, ₹ 6,868.52 करोड़ माननीय न्यायालयों, अन्य अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगित किया गया था, ₹ 2,621.64 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया था। ₹ 8,642.03 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था, ₹ 6,173.13 करोड़ के लिए वाणिज्यिक कर विभाग और स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी तथा अन्य राज्यों को ₹ 3,629.64 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे जबकि शेष ₹ 286.54 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया था।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मदिरा के उत्पादन एवं बिक्री के मूल्य निर्धारण (राज्य आबकारी विभाग) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को छोड़कर वर्ष 2015-16 से 2020-21 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पीएसी द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 एवं 2020-21 के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (मई 2023) जिन्हें मई 2017 एवं फरवरी 2023 के मध्य राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका–1.5

क्रम सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रतिवेदन में प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या	प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2016	18 मई 2017	25 + 1 नि0ले0प0	00	25 + 1 नि0ले0प0
2	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
3	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	08	00
4	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
5	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
6	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	00	18
7	31 मार्च 2021 (परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)	22 फरवरी 2023	1 नि0ले0प0	00	1 नि0ले0प0
योग			**106 + 2 नि0ले0प0**	**20**	**86[5]+ 2 नि0ले0प0**

2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, लो0ले0स0 ने 28 राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 835 के सापेक्ष 142 प्रस्तरों पर चर्चा की। विवरण **तालिका–1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

क्रम सं0	वर्ष	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में प्रस्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रस्तरों की संख्या
1	2017-18	वर्ष के दौरान लो0ले0स0 की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई		
2	2018-19	13	384	74
3	2019-20	09	273	33
4	2020-21	01	26	03
5	2021-22	03	118	26
6	2022-23	02	34	06
योग		**28**	**835**	**142**

[5] वाणिज्यिक कर (21 प्रस्तर), राज्य आबकारी (13 प्रस्तर), परिवहन (21 प्रस्तर और 2 नि0ले0प0), स्टाम्प और निबन्धन (06 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (24 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

सितम्बर 2022 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2023 के अन्त तक 13,464 नि0प्र0 से सम्बन्धित 49,603 प्रस्तर लम्बित थे। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग–वार विवरण **तालिका–1.7** में दिया गया हैं।

तालिका–1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग–वार विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,357	27,239
		मनोरंजन कर	240	548
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,200	2,140
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,403	7,681
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,980	10,417
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	284	1,578
योग			**13,464**	**49,603**

नि0 प्र0 की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किए गए कुल 185 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को चार सप्ताह के अन्दर 17 नि0प्र0 के मामले में कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किये गये शेष 168 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख प्रतिवेदित किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमितताएं वर्ष–प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं, फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य ज़मीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुति 2:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक तन्त्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें और सुधारात्मक कार्यवाही करें।

1.6 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[6] को समाविष्ट किया तथा मूल्य संवर्धित कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, भूतत्व एवं खनिकर्म, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,498 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 185 (12.35 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2021-22 के दौरान इन पाँच विभागों में, ₹ 1,47,844.14 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 185 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 40,816.96 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया। 185 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी, जिससे 86,505 मामलों (3,41,447 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल मिलाकर ₹ 3,756.59 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभागों ने (अप्रैल 2022 और जुलाई 2023 के मध्य) 18 मामलों में (पिछले वर्षों में बताए गए मामले शामिल) ₹ 2.96 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और छः मामलों में ₹ 5.42 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग में **'माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा में ₹ 1,655.39 करोड़ की धनराशि के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण प्रकाश में आया। विभाग ने ₹ 1,247.97 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और ₹ 16.47 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

संस्तुति 3:

राज्य सरकार को एक तन्त्र विकसित करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाये।

1.7 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में **'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के सात प्रस्तर शामिल हैं जिनमें ₹ 1,674.20 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने **'माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर धनराशि ₹ 1,247.97 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं धनराशि ₹ 16.47 करोड़ की वसूली की सूचना दी। स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने ₹ 2.73 करोड़ की धनराशि की लेखापरीक्षा

[6] वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं भूतत्व एवं खनिकर्म।

टिप्पणियों को स्वीकार किया। अन्य विभागों के उत्तर (जनवरी 2024) प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से V में की गयी है।

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिये यह जाँच करने के लिये कि क्या समान त्रुटियाँ /चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह की त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिये शासन/विभाग के सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

अध्याय-II

राज्य माल एवं सेवा कर

अध्याय–II: राज्य माल एवं सेवा कर

2. 'वर्ष 2017–18 के लिए माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) के प्रारम्भ ने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने एवं संग्रहीत किए जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। मा0से0क0, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर आरोपित किया जाने वाला एक गन्तव्य–आधारित उपभोग कर है। केन्द्र एवं राज्य एक साथ समान कर के आधार पर मा0से0क0 आरोपित करते हैं। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (के0मा0से0क0) और राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)/संघ राज्य क्षेत्र मा0से0क0 (सं0रा0क्षे0मा0से0क0) राज्य के अन्दर आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है, एवं एकीकृत मा0से0क0 (ए0मा0से0क0) अन्तर–राज्यीय आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) अधिनियम की धारा 59 मा0से0क0 को एक स्व–मूल्यांकन–आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अन्तर्गत कर देनदारी की गणना, गणना की गई कर देनदारी का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। मा0से0क0 विवरणी सामान्य मा0से0क0 पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, असफल रहने पर शास्ति देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर देनदारी न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 99 निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और सम्बन्धित विवरणों की जाँच कर सकता है, विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण माँग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिये परिकल्पित नियन्त्रण तन्त्र एवं वाणिज्य कर विभाग (विभाग) उत्तर प्रदेश के निरीक्षण तन्त्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह लेखापरीक्षा किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा मा0से0क0 व्यवस्था के अन्तर्गत कर अनुपालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख था। 'मा0से0क0 भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा आश्वासन प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था :

(i) क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए संरचित की गई थीं और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

(ii) क्या खण्डों की जाँच प्रक्रियाएं, आन्तरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति और क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर सम्पादित किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से सम्बन्धित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0), देनदारी का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल करने के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 15 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का अनुसरण एक **सीमित लेखापरीक्षा**[1] के माध्यम से किया गया, जिसके अन्तर्गत इन विचलनों को सम्बन्धित राज्य के विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया गया और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को बिना क्षेत्रीय दौरों को शामिल किए सुनिश्चित किया गया। सीमित लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण किया गया था जिसमें क्षेत्र संरचनाओं के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध अभिलेख के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। करदाताओं से सम्बन्धित डेटा/दस्तावेज़ों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियों और अन्य विभागीय कार्यों) की जाँच करने के लिए जितना सम्भव हो सका राज्य कर विभाग के अनुप्रयोग के माध्यम से विवरणियों और सम्बन्धित संलग्नक और सूचनाओं का आकलन किया गया था। **विस्तृत लेखापरीक्षा** में सम्बन्धित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख जैसे कि बीजक का आकलन भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, चयनित खण्डों में विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों जैसे कि विवरणी की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को आच्छादित किया गया, जबकि चयनित खण्डों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। लेखापरीक्षा में केवल राज्य द्वारा प्रशासित करदाताओं को आच्छादित किया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक सम्पादित की गई थी।

इस लेखापरीक्षा की परिचयात्मक गोष्ठी 26 अगस्त 2022 को अपर आयुक्त, राज्य कर के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। समापन गोष्ठी 16 जून 2023 को अपर आयुक्त, ग्रेड–I, राज्य कर के साथ आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और लिखित उत्तरों को मसौदा प्रतिवेदन के प्रासंगिक प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

---

[1] सीमित लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण से सम्बन्धित खाता बही, चालान, अनुबन्ध आदि की माँग करना शामिल नहीं था।

2.4 लेखापरीक्षा नमूना

नियोजन के लिए, साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा–संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस लेखापरीक्षा के नमूने में सीमित लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था, जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच तथा खण्डों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए खण्डों का एक नमूना शामिल था।

इस लेखापरीक्षा के तीन अलग–अलग भाग निम्नानुसार थे :

(i) भाग I–खण्डों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित एक से अधिक प्रकरणों के नमूने पर अधिकार क्षेत्र वाले नौ खण्डों तथा एक चयनित नमूना प्रकरण वाले एक खण्ड को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए खण्डों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) भाग II–सीमित लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च–मूल्य या उच्च–जोखिम विचलन और विवरणियों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, इस लेखापरीक्षा के अन्तर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 462 प्रकरणों का चयन किया गया था।

(iii) भाग III–विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए खण्डों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों का आंकलन कर सम्पादित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना, अतिरिक्त आई0टी0सी0, करदेयता भिन्नता, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित आई0टी0सी0 उत्क्रमण जैसे जोखिम मापदण्डों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 80 करदाताओं में बड़े[2], मध्यम[3] और छोटे[4] स्तर के करदाताओं के साथ–साथ यादृच्छिक रूप से चुने गए करदाता भी शामिल थे।

इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमित लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और खण्डों के लेखापरीक्षा के लिए नमूने का विवरण **परिशिष्ट–I** में दिया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, ए0मा0से0क0 अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में शामिल प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

---

2 पहली श्रेणी में बड़े करदाता शामिल हैं–टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 2 प्रतिशत करदाता।

3 दूसरी श्रेणी में मध्यम करदाता शामिल हैं–टर्नओवर के आधार पर अगले 8 प्रतिशत करदाता।

4 तीसरी श्रेणी में छोटे करदाता शामिल हैं–शेष 90 प्रतिशत करदाता टर्नओवर के आधार पर।

तालिका 2.1 : मानदण्ड के स्रोत

क्र0सं0	विषय	अधिनियम एवं नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर0सी0एम0)	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9(3) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5(3)
3.	आई0टी0सी0 का लाभ उठाना एवं उसका उपयोग करना	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय V के अन्तर्गत धारा 16 से 21; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय V के अन्तर्गत नियम 36 से 45 तक
4.	पंजीकरण	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 22 से 25 तक; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 8 से 26 तक
5.	आपूर्तियाँ	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 7 और 8 अधिनियम की अनुसूची I, II एवं III
6.	आपूर्ति का स्थान	ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 12 से 14
8.	आपूर्तियों का मूल्यांकन	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 15; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 27 से 34
9.	कर का भुगतान	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय X के अन्तर्गत धारा 49 से 53 तक; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय IX के अन्तर्गत नियम 85 से 88 ए
10.	मा0से0क0 विवरणियों का दाखिल करना	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय IX के अन्तर्गत धारा 37 से 47, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय VIII भाग बी के तहत नियम 59 से 68 और 80 से 81 रिटर्न का प्रारूप निर्धारित करता है।
11.	शून्य–दर आपूर्ति	ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 8
12.	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम के अध्याय XII और XIII के अन्तर्गत धारा 61, 62, 65 एवं 66; उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के अध्याय XI के अन्तर्गत नियम 99 से 102 तक

इसके अतिरिक्त, विवरणियां दाखिल करने से सम्बन्धित सी0बी0आई0सी0/राज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाएं एवं परिपत्र, विभिन्न विवरणियों को दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करना, विवरणी दाखिल करने की नियत तिथियों को बढ़ाना, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आई0टी0सी0 का लाभ उठाना एवं उपयोग, विवरणियों की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणियां दाखिल करने, विवरणियों की जाँच, पंजीकरण निरस्त करने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश शामिल हैं तथा विश्लेषण और जोखिम प्रबन्धन महानिदेशालय (वी0जो0प्र0म0नि0)/बिजनेस इंटेलिजेंस एण्ड फ्राड एनालिटिक्स (बी0ई0फ्रा0ए0) प्रतिवेदन के सत्यापन आदि भी लेखापरीक्षा मानदण्ड का हिस्सा बने।

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

अ. विवरणियों के दाखिल करने पर निगरानी

ब. कर भुगतान पर निगरानी

2.6.1 विवरणियों के दाखिल करने पर निगरानी

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से सम्बन्धित निर्दिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कर दायित्व एवं निर्धारित समय के अन्दर भुगतान किए गए करों के लिए एक निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व–मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने की निगरानी का महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विवरणियाँ करदाताओं एवं उनकी सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

2.6.1.1 विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तन्त्र की कमी

10 खण्डों के नमूने में से, लेखापरीक्षा चार खण्डों[5] में विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तन्त्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख और न ही डेटा उपलब्ध कराया गया था। शेष खण्डों में निगरानी तन्त्र में कमी थी क्योंकि खण्ड अधिकारियों ने सामान्य और प्रशमन करदाताओं के द्वारा दाखिल न करने/देर से दाखिल करने वालों से सम्बन्धित एम0आई0एस0 प्रतिवेदनों पर समय पर कार्यवाही नहीं की गयी थी।

छः खण्डों में, जीएसटीआर–3ए (मा0से0क0 विवरणी दाखिल नहीं करने वाले बकायेदारों के लिए नोटिस) निर्गत करने की प्रक्रिया और उनका एएसएमटी–13 (उन प्रकरणें में सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन आदेश जहाँ करदाताओं ने जीएसटीआर–3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) के साथ अनुसरण और डीआरसी–07 (एएसएमटी–13 के अनुवर्ती माँग आदेश का सारांश) के साथ इसका पालन भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बकायेदारों से ₹ 9.85 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई। यद्यपि, चार खण्डों[6] में ₹ 20.44 करोड़ की वसूली की गयी थी।

2.6.1.2 खण्ड लेखापरीक्षा का परिणाम

(i) विलम्ब से विवरणी दाखिल करने वालों एवं दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 46 सपठित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 68, प्रपत्र जीएसटीआर–3ए में एक नोटिस निर्गत करने का प्रावधान करती है जिसमें पन्द्रह दिनों के अन्दर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है, यदि करदाता नियत तिथि के अन्दर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आंकलन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और प्रपत्र एएसएमटी–13 में कर निर्धारण आदेश निर्गत करेंगे। वाणिज्य कर विभाग ने कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता

---

5 ज्वा0कमि0कार्पो0स0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0, लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा तथा खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

6 खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र दिनाँक 24 जनवरी 2020 के माध्यम से विवरणी दाखिल न करने वालों पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी निर्गत किया गया था।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से सम्बन्धित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जिसका अर्थ है विवरणी दाखिल न करने वालों के प्रकरण में कर/शास्ति के भुगतान न करने के जोखिम का होना।

सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 के दौरान 10 खण्डों के खण्ड कार्यप्रणाली लेखापरीक्षा के दौरान अपेक्षित सूचना माँगी गई थी। चार खण्डों[7] से सूचना अभी भी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2024)। यह देखा गया कि छः खण्डों[8] द्वारा देर से दाखिल करने वालों/दाखिल न करने वालों के 91,465 प्रकरणों की पहचान की गई। छः खण्डों में, विवरणी दाखिल न करने के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–3ए में 83,435 नोटिस निर्गत किए गए थे (खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर द्वारा 1,759 अतिरिक्त जीएसटीआर–3ए निर्गत किए गए थे)। यद्यपि, उचित अधिकारियों ने दाखिल न करने वालों के 9,789 प्रकरणों में जीएसटीआर–3ए में नोटिस निर्गत करने तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी **(परिशिष्ट–II)**।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के मध्य) पाँच खण्डों[9] के उचित अधिकारियों द्वारा बताया गया (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) कि दाखिल न करने वालों एवं देर से दाखिल करने वालों पर नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किन्तु निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

(ii) विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई किन्तु पूर्ण नहीं की गयी (जीएसटीआर–3ए निर्गत किया गया लेकिन एएसएमटी–13 निर्गत नहीं किया गया)

एएसएमटी 13 के साथ जीएसटीआर–3ए निर्गत करने की उचित प्रक्रिया का सभी प्रकरणों में पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने छः खण्डों[10] में पाया कि 2017–18 से 2020–21 के दौरान जहाँ जीएसटीआर–3ए नोटिस निर्गत किए गए थे, करदाताओं द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपनी विवरणियाँ दाखिल नहीं करने के बावजूद एएसएमटी–13 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश निर्गत नहीं किए गए थे। छः खण्डों में, 2017–18 से 2020–21 के दौरान प्रपत्र जीएसटीआर–3ए में निर्गत किए गए 83,435 नोटिसों में से केवल 67,292 प्रकरणों में करदाताओं ने निर्गत किए गए नोटिस

[7] ज्वा0कमि0कार्पो0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0, लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा तथा खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

[8] खण्ड 3 रा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एव 11 रा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

[9] खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

[10] खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एव 11 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

के अनुपालन में अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी। शेष 16,143 प्रकरणों में से 6,292 प्रकरणों में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। यद्यपि, केवल 4,825 प्रकरणों में एएसएमटी–13 निर्गत किया गया था तथा 1,467 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। ₹ 9.85 करोड[11] की धनराशि की वसूली लम्बित थी, यद्यपि, चार खण्डों[12] में ₹ 20.44 करोड़ की वसूली की गयी थी **(परिशिष्ट–II)**। इन प्रकरणों में डीआरसी–07 निर्गत करने के सम्बन्ध में सूचना/विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परन्तु निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

नीचे एक उदाहरणात्मक प्रकरण पर प्रकाश डाला गया है:

खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर में 2017–18 से 2020–21 के दौरान, प्रपत्र जीएसटीआर–3 ए में निर्गत किए गए 35,070 नोटिसों में से, 25,802 प्रकरणों में करदाताओं ने निर्गत किए गए नोटिसों के अनुपालन में अपनी विवरणियाँ दाखिल की थीं। शेष 9,268 प्रकरणों में से 3,457 प्रकरणों में एएसएमटी–13 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं केवल 1,990 प्रकरणों में आदेश निर्गत किए गए तथा करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के कारण 125 प्रकरणों में एएसएमटी–13 को वापस ले लिया गया। खण्ड ने 5,811 प्रकरणों में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

2.6.1.3 विवरणियों की जाँच की धीमी गति

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए एक उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी है एवं विवरणी में किसी प्रकार की विसंगति अथवा असंगतता परिलक्षित होने पर उचित कार्यवाही की जानी है। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी खण्ड अधिकारी है। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 99 में अधिदेशित है कि विसंगतियां, यदि कोई संज्ञान में आये, तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण माँगने के लिए सूचित किया जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जाँच की कार्यवाही की प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विवरणियों की जाँच पर परिपत्र दिनाँक 29 मार्च 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी निर्गत किया गया था।

पाँच खण्डों[13] द्वारा उपलब्ध कराई गई विस्तृत सूचना से पता चला कि 2017–18 से 2020–21 के दौरान 9,932 करदाताओं से सम्बन्धित 25,797 प्रकरणों की जाँच की गयी थी। 2,358 प्रकरणों में विसंगतियाँ पायी गयी थीं और ए0एस0एम0टी0 10 निर्गत किया गया, जिनमें से 394 प्रकरणों में करदाताओं द्वारा विसंगतियों को स्वीकार किया गया

[11] खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर।

[12] खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

[13] खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

और ₹ 9.49 करोड़ की वसूली की गयी। 552 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एस0सी0एन0) निर्गत किया गया एवं 312 प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण की गयी तथा ₹ 33.67 करोड़ की वसूली की गयी, जबकि ₹ 123.57 करोड़[14] की धनराशि वाले 240 प्रकरण, कार्यवाही पूर्ण होने के लिए लम्बित थे। अग्रेतर, यह देखा गया कि केवल तीन प्रकरणों को आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किया गया था। विवरणियों की जाँच के सम्बन्ध में पाँच खण्डों[15] द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी **(परिशिष्ट–III)**।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किन्तु, निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विवरणियों की जाँच की धीमी गति के कारण, 2017–18 की अवधि से सम्बन्धित विवरणियों पर उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 और 74 के अन्तर्गत आदेश निर्गत करने की समय सीमा कम होती जा रही थी क्योंकि इसे दिसम्बर 2023 तक किया जाना था।

संस्तुति 1: विभाग विवरणियों की जाँच की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर सकता है।

2.6.1.4 कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में देरी

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जाए, लेखापरीक्षा कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) ''लेखापरीक्षा'' को इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच, घोषित टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए प्रतिदाय और प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का आंकलन करने के रूप में परिभाषित करती है।

वाणिज्य कर विभाग ने 15 जनवरी 2021 को कर लेखापरीक्षा मैनुअल में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी किया, जिसमें जोखिम मापदण्डों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन के लिए नए मानदण्डों को शामिल किया गया। इसमें परिकल्पना की गई है कि लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जोनल स्तर पर दलों को जोखिम मापदण्डों

[14] चार खण्डों के लिए– खण्ड 3 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद तथा ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर। खण्ड 9 रा0क0 नोएडा द्वारा निर्गत किए गए एस0सी0एन0 में शामिल धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

[15] खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा एवं खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

के आधार पर आवंटित बड़े जटिल प्रकरणों की जाँच करनी थी। शेष प्रकरणों को खण्ड स्तर पर निपटाया जाना था।

मा0से0क0 के लिए विभाग द्वारा नवम्बर 2022 तक किए गए कर लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2 : कृत कर लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष	वर्ष के लिए आयोजित लेखापरीक्षा	कुल करयोग्य व्यक्तियों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित करयोग्य व्यक्तियों की संख्या (प्रतिशत में)	पूर्ण की गई लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (नवम्बर 2022 तक)	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियाँ पायी गयीं	कमियों में शामिल कुल धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल वसूली (₹ करोड़ में)
2017-18	1,189	5,42,003	0.22	1,189	959	1,021.26	विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया

(स्रोतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।)

उपरोक्त तथ्यों से इंगित है कि लेखापरीक्षा मैनुअल जारी करने में विलम्ब के कारण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखापरीक्षा 2021–22 से 2022–23 की अवधि के दौरान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 की लेखापरीक्षा अभी प्रारम्भ की जानी है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को सम्पूर्ण वसूली की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। **एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:**

नमूना जाँच के दौरान (नवम्बर 2022 और दिसम्बर 2022 के मध्य), विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 80 नमूना प्रकरणों में से, सात खण्डों[16] के अन्तर्गत आने वाले सात प्रकरणों से सम्बन्धित कर लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किया गया और पूर्ण किया गया, खण्ड–6 नोएडा के अन्तर्गत मैसर्स जे0के0एम0 इंफ्रा जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXX1ZC के प्रकरण में क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाता जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, के आधार पर यह देखा गया कि देय कर के विरुद्ध ₹ 68.32 लाख की आई0टी0सी0 के अनियमित सेट–आफ पर ₹ 2.02 लाख के ब्याज की धनराशि की वसूली विभाग नहीं कर सका।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा (जून 2023) कि 2018–19 से सम्बन्धित करदाताओं की कर लेखापरीक्षा प्रक्रिया में है तथा 2019–20 एवं 2020–21 का निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

संस्तुति 2 : चूँकि मा0से0क0 स्व–मूल्यांकन कर व्यवस्था है और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा मुख्य उपकरणों में से एक है, विभाग

[16] ज्वा0कमि0कार्पो0स0 रा0क0 आगरा, खण्ड 4 एवं 9, रा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0कार्पो0स0 रा0क0 गोरखपुर, खण्ड 26 रा0क0 कानपुर, खण्ड 6 और 13 रा0क0 नोएडा

को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बकायादारों के विरूद्ध समय पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। विभाग, लेखापरीक्षा में इंगित किये गए बकायों की समय पर वसूली भी सुनिश्चित कर सकता है।

2.6.1.5 बिजनेस इंटेलिजेंस एण्ड फ्राड एनालिटिक्स (बीफा) प्रतिवेदन पर कार्यवाही का अभाव

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन खण्डों[17] से सम्बन्धित वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक के जोखिम मापदण्डों एवं विवरणियों की जाँच की प्रक्रिया के आधार पर बीफा द्वारा पहचाने गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं के बारे में जानकारी के उपयोग की जाँच की। सात खण्डों[18] ने बीफा प्रकरणों की जाँच से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीफा श्रेणी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक से सम्बन्धित 1,226 उच्च जोखिम वाले करदाताओं की जाँच तीन खण्डों[19] के उचित अधिकारियों द्वारा की गई थी। इनमें से 27 प्रकरणों में जाँच पूर्ण हो चुकी थी और ₹ 10.10 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी तथा 544 प्रकरणों में जाँच प्रक्रियाधीन थी। 453 प्रकरणों में जाँच प्रक्रिया अभी प्रारम्भ की जानी थी और 202 प्रकरणों में किसी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी **(परिशिष्ट–IV)**।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2.6.1.6 पंजीयन का निरस्तीकरण

खण्डों (विभागीय क्षेत्र संरचनाओं) की भूमिका विवरणी दाखिल करने, कर देनदारी का निर्वहन करने और अन्य अनुपालन दायित्वों के सम्बन्ध में करयोग्य व्यक्तियों के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। खण्डों के पास इस सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों का एक व्यापक समूह है, जैसे कि विलम्ब से दाखिल करने वालों और दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही प्रारम्भ करना, विवरणियों की जाँच एवं कर निर्धारण करना तथा पंजीयन का निरस्तीकरण।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 29, कराधेय व्यक्ति द्वारा दाखिल आवेदन पर पंजीकरण रद्द करने और कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर, प्रशमन कराधेय व्यक्ति द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने, सामान्य कराधेय व्यक्ति द्वारा लगातार छः महीने की अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण की तारीख से छः महीने के अन्दर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों

---

[17] खण्ड 9 रा0क0 नोएडा, खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर।

[18] ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा, खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी, खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई एवं खण्ड 3 रा0क0 जी0बी0 नगर।

[19] खण्ड 9 रा0क0 नोएडा, खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद एवं ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर।

को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त करने पर कर अधिकारी द्वारा कराधेय व्यक्ति के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की शर्तें निर्धारित करती है।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 45, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति सिवाय (अ) आई0एस0डी0 या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या (ब) प्रशमन कराधेय व्यक्ति (धारा 10) या (स) धारा 51 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों–स्रोत पर कर संग्रह (टी0सी0एस0) या धारा 52 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति–स्रोत पर कर कटौती (टी0डी0एस0), जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, को रद्द करने की प्रभावी तिथि या आदेश की तिथि के तीन महीने के अन्दर जो भी बाद में हो, जीएसटीआर–10 में अन्तिम विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा करती है। अन्तिम विवरणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कराधेय व्यक्ति बकाया देनदारी का भुगतान कर देता है। जीएसटीआर–10 दाखिल न करने की स्थिति में, कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनायी जाती है।

(i) सभी प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी/प्रारम्भ नहीं की गयी

चयनित 10 खण्डों में से पाँच खण्डों[20] द्वारा पंजीकरण रद्द करने से सम्बन्धित कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाँच खण्डों[21] में पाया कि कराधेय व्यक्तियों से पंजीकरण निरस्त करने के लिए 4,038 आवेदन प्राप्त हुए थे और 5,064 प्रकरणों में निरस्तीकरण के लिए स्वतः कार्यवाही शुरू की गई थी, कुल मिलाकर 9,102 प्रकरण थे। 8,903 प्रकरणों में एस0सी0एन0 आर0ई0जी0 17 में निर्गत किए गए थे, जिनमें से 5,129 पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे और 877 प्रकरणों में कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी तथा 2,897 प्रकरण पूर्ण होने के लिए लम्बित थे। 199 प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। यद्यपि, एक खण्ड द्वारा जीएसटीआर–10 दाखिल करने से सम्बन्धित डेटा प्रदान किया गया था, परन्तु एएसएमटी–13 में निर्गत कर निर्धारण आदेश से सम्बन्धित डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। चार खण्डों में जीएसटीआर–10 दाखिल करने, कार्यवाही समाप्त करने, एएसएमटी–13 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश निर्गत किए जाने से सम्बन्धित कोई डेटा प्रदान नहीं किया गया था। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा, कार्यवाही के समय पर पूर्ण होने, वसूली के लिए लम्बित राशि, वसूल की गई राशि, कर निर्धारण के लिए लम्बित प्रकरणों आदि का पता नहीं लग सका **(परिशिष्ट–V)**।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (जून 2023) कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कुल मिलाकर, निगरानी कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी खण्डों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। निगरानी कार्यों के अनुपालन का सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। कराधेय व्यक्ति द्वारा अनुपालन न करने से बचने और सरकार को उचित राजस्व

---

[20] ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 14 रा0क0 नोएडा एवं खण्ड 20 रा0क0 वाराणसी।

[21] खण्ड 3 रा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 8 एवं 11 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई तथा खण्ड 9 रा0क0 नोएडा।

सुनिश्चित करने के लिए खण्डों द्वारा इन सूचनाओं को आवश्यक रूप से बनाए रखे जाने और उन पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

संस्तुति 3: विभाग अपने क्षेत्रीय गठन को जानकारी बनाए रखने और निगरानी कार्यों पर समय पर कार्यवाही करने तथा इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा करने का निर्देश दे सकता है।

2.6.2 कर भुगतान पर निगरानी–सीमित लेखापरीक्षा

2.6.2.1 मा0से0क0 विवरणियों में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराए गए जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से सम्बन्धित मा0से0क0 विवरणियों के डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए मा0से0क0 विवरणियों के मध्य नियम–आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान, आई0टी0सी0 एवं कर भुगतान से सम्बन्धित 15 मापदण्डों के एक समूह पर की गई थी। निर्धारित 13 मा0से0क0 विवरणियों[22] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर मा0से0क0 विवरणियों/डेटा के मध्य विचलन, विसंगतियों और भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था :

- जीएसटीआर–1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी, इसमें माल एवं सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- जीएसटीआर–3बी: अधिनियम की धारा 39(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा बाहरी आपूर्ति और दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ करदाता द्वारा कर के भुगतान का दाखिल किए जाने वाला मासिक सारांश विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट तथा इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में डेबिट को पापुलेट करता है।
- जीएसटीआर–6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणी जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर–8: ई–कामर्स आपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणी, जिनसे अक्टूबर 2018 में लागू किए गए मा0से0क0 के अन्तर्गत टी0सी0एस0 (स्रोत पर कर संग्रह) की कटौती की जानी अपेक्षित है।
- जीएसटीआर–9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई0एस0डी0), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरणी। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्ष (सी0जी0एस0टी0,

[22] जीएसटीआर–1,जीएसटीआर–3बी, जीएसटीआर–4 (प्रशमन योजना के अन्तर्गत करदाता), जीएसटीआर–5 (अनिवासी कराधेय व्यक्ति), जीएसटीआर–5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर–6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर–7 (टीडीएस की कटौती करने वाले करदाता),जीएसटीआर–8(ई–कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर–9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर–10 (अन्तिम विवरणी), जीएसटीआर–11 (यूआईएन रखने वाला और प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी– 08, और आईटीसी–04 (एक प्रिंसिपल/जाब–वर्कर द्वारा जाब–वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में दाखिल किये जाने वाला विवरण)।

एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0) के अन्तर्गत की गई एवं प्राप्त सभी आपूर्तियों के साथ–साथ टर्नओवर तथा लेखापरीक्षा का विवरण शामिल है।

- जीएसटीआर–9सीः किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 2 करोड़ (2017–18) से अधिक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर–9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के मध्य एक समाधान विवरण है।
- जीएसटीआर–2एः प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम–जनरेटेड विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के प्रपत्र जीएसटीआर–1/5 में घोषित सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, जीएसटीआर–6 से आई0एस0डी0 विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर–7 और जीएसटीआर–8 से विवरण तथा बिल आफ इंट्री पर विदेशों से माल का आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ।
- पहचाने गए 15 मापदण्डों पर राज्य क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित डेटा विश्लेषण तथा देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा (सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना) को **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3 : डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र0 सं0	मापदण्ड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	जीएसटीआर–2ए के अनुसार सभी संशोधनों के साथ उपलब्ध आई0टी0सी0 की तुलना जीएसटीआर–3बी के तालिका–4ए(5) में प्राप्त आई0टी0सी0 (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ तालिका–4बी(2) में उत्क्रमण को ध्यान में रखते हुए परन्तु जीएसटीआर–9 की तालिका–8सी से अगले वर्ष 2018–19 में प्राप्त आई0टी0सी0 को समाहित करते हुए की गई थी।	56	341.74
2.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	जीएसटीआर–3बी के तालिका–3.1 (डी) में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–9 के तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जीएसटीआर–3बी के तालिका–3.1(डी) में कर के निर्वहन की तुलना में तालिका–4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त आई0टी0सी0 तक सीमित किया गया था।	55	40.44
3.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आइ0टी0सी0	जीएसटीआर–9 के तालिका 4जी (देय कर) में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–9 के तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर–3बी के तालिका–3.1(डी)	17	11.92

क्र0 सं0	मापदण्ड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
	के मध्य भिन्नता	में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–3बी के तालिका–4 (ए) (2) और 4ए (3) से की गयी थी।		
4.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	जीएसटीआर–9 के तालिका–6जी अथवा जीएसटीआर–3बी के तालिका 4(ए)(4) में हस्तांतरित आई0एस0डी0 की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर–6 की तालिका–5ए, तालिका–8ए और तालिका–9ए के योग के साथ की गयी थी।	28	17.75
5.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर–9 की तालिका–7बी/7एच की तुलना उनके जीएसटीआर–6 विवरणियों की तालिका–8ए (केवल ऋणात्मक आँकड़े) और तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक आँकड़े) के योग से की गयी।	02	0.02
6.	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	जीएसटीआर– 9सी, तालिका–14टी में धनात्मक आँकड़ा	28	1,255.77
7.	वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	जीएसटीआर– 9सी, तालिका–12एफ में धनात्मक आँकड़ा	27	146.07
8.	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर–9सी, तालिका–5आर में ऋणात्मक आँकड़ा	55	5,889.02
9.	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर–9सी, तालिका–7जी में ऋणात्मक आँकड़ा	18	737.83
10.	लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	जीएसटीआर–9सी, तालिका–9आर में ऋणात्मक आँकड़ा।	55	85.87
11.	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	जीएसटीआर–1 (तालिका–4 से 11) एवं जीएसटीआर–9 (तालिका–4एन, 10 एवं 11) में से बड़े कर देनदारी की तुलना	28	374.36

क्र0 सं0	मापदण्ड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
		जीएसटीआर–3बी के तालिका– 3.1(ए) एवं 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर–3बी में कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर–1 में देनदारी से की गयी। जीएसटीआर–1 एवं 9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया था।		
12.	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना जाना	टी0सी0एस0 प्रावधान प्रभावी होने पर ई–कॉमर्स जीएसटीआर–8 01.10.2018 से लागू हो गया। जीएसटीआर–8 में घोषित जीएसटीआईएन जो प्रशमन योजना के अन्तर्गत जीएसटीआर–4 भी दाखिल कर रहे हैं।	37	00
13.	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर–1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया था लेकिन जीएसटीआर–1 दाखिल किया था या जहाँ जीएसटीआर–2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का निर्वहन किए बिना व्यवसाय किया था।	28	19.70
14.	कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना	जीएसटीआर–3बी में घोषित ब्याज के सापेक्ष जीएसटीआर–3बी विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किये गये ब्याज से की जाती है।	27	11.49
15.	दाखिल न करने वाले	जिन करदाताओं ने लगातार छः से अधिक कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल करना बन्द कर दिया था एवं इसके लिए उनके पंजीकरण रद्द किये जा सकते थे, के जीएसटीआर–3बी, जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–2ए से सम्बन्धित डेटा समूह का विश्लेषण किया गया था।	01	00
योग			**462**	**8,931.98**

विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

लेखापरीक्षा ने वर्ष जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए 15 मापदण्डों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 462 प्रकरणों का एक नमूना चुना। करदाता के अभिलेख की अग्रेतर जाँच के बिना लेखापरीक्षा पृच्छा सम्बन्धित जोनों को सितम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 के मध्य निर्गत किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा जाँच पहचाने गए विचलनों/भिन्नता पर विभाग की कार्यवाही की पुष्टि करने तक ही सीमित थी।

विभाग को सूचित की गई विसंगतियों में से 16 जून 2023 तक नौ विसंगतियों के लिए प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जो ₹ 206.14 करोड़ के सम्भावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करती हैं जैसा की **तालिका 2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.4 : विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
	संख्या	भिन्नता की राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	56	341.74	02	27.73	3.57	8.11
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी / जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	55	40.44	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी / जीएसटीआर–9 में प्राप्त आइ0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	17	11.92	01	0.77	5.88	6.46
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	28	17.75	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	02	0.02	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9 सी की तालिका–14टी)	28	1,255.77	0	0	NA	NA
वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	27	146.07	01	2.44	3.70	1.67
जीएसटीआर–9सी के तालिका–5 आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	55	5,889.02	01	154.79	1.82	2.63
जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	18	737.83	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9 आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	55	85.87	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिर्वहित कर देनदारियाँ	28	374.36	03	20.13	10.71	5.38
प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	37	00	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया	28	19.70	0	0	लागू	लागू

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
	संख्या	भिन्नता की राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
गया किन्तु जीएसटीआर–1 उपलब्ध है					नहीं	नहीं
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना	27	11.49	01	0.28	3.70	2.44
दाखिल न करने वाले	01	00	00	00	0	0
योग	**462**	**8,931.98**	**09**	**206.14**	**1.94**	**2.30**

जैसा कि अगले प्रस्तर में बताया गया है, विसंगतियों को अनुपालन विचलन में बदलने की समग्र दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन प्रकरणों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन प्रकरणों का विवरण **तालिका 2.5** में सूचीबद्ध है।

तालिका 2.5 : मौद्रिक मूल्य के सन्दर्भ में प्रकरण जहाँ प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	जोन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1Z6	मेसर्स एड्रोइट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड	गाजियाबाद–II	खण्ड–16, गाजियाबाद	154.79
2.	09XXXXXXXXXX1ZV	मेसर्स रिम झिम इस्पात लिमिटेड	कानपुर–II	कार्पोरेट सर्किल, कानपुर–II	24.77
3.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स मारुति इण्टरप्राइजेज	लखनऊ–I	खण्ड–12, लखनऊ	12.83
4.	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	झाँसी	खण्ड–4, झाँसी	4.08
5.	09XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स सेयल लिमिटेड	वाराणसी–I	कार्पोरेट सर्किल, वाराणसी–I	3.22
6.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	लखनऊ–II	खण्ड–21, लखनऊ	2.96
7.	09XXXXXXXXXX1ZX	मैसर्स द इण्डिया वूड प्रोडक्ट्स क0 लिमिटेड	बरेली	खण्ड–5, बरेली	2.44
8.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स ज्ञान इण्टरप्राइजेज	वाराणसी–II	खण्ड–3, मिर्जापुर	0.77
9.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स प्रवीण अरोमा प्राइवेट लिमिटेड	मुरादाबाद	खण्ड–1, सम्भल	0.28

2.6.2.2 सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छा पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 15 मापदण्डों में से प्रत्येक उस सीमा तक जो अनुपालन विचलन में अनुवादित हुए, को **तालिका 2.6** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.6 : सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया					
			डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		पृच्छा से पहले की गई कार्यवाही		अन्य वैध स्पष्टीकरण	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	54	314.01	02	8.87	02	13.47	14	75.87
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	55	40.44	14	16.71	02	0.63	11	7.90
आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	16	11.15	08	6.36	0	0	03	2.63
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	28	17.75	03	0.51	0	0	01	0.13
आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	02	0.02	0	0	0	0	0	0
वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	28	1,255.77	0	0	0	0	17	720.27
वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	26	143.63	0	0	0	0	11	71.47
जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	54	5,734.23	02	48.10	01	205.43	21	2,035.01
जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	18	737.83	02	82.04	0	0	08	200.04
लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	55	85.87	0	0	03	2.05	19	25.41
अनिर्वहित कर देनदारियाँ	25	354.23	05	71.81	02	13.08	07	84.40

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया					
			डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		पृच्छा से पहले की गई कार्यवाही		अन्य वैध स्पष्टीकरण	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
प्रशमन करदाता द्वारा ई–कामर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	37	0	0	0	0	0	16	0
जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर–1 उपलब्ध है	28	19.70	0	0	01	0.13	03	1.79
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान कम किया जाना	26	11.21	0	0	02	0.92	03	1.58
दाखिल न करने वाले	01	0	0	0	0	0	01	0
योग	**453**	**8,725.84**	**36**	**234.40**	**13**	**235.71**	**135**	**3,226.50**

अनुपालन विचलन															
विभाग द्वारा स्वीकार किए गये उन प्रकरणों सहित जहाँ कार्यवाही अभी शुरू की जानी है								विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं (खण्डन)		योग		विभाग का उत्तर उचित अभिलेखीय साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया		विभाग ने कहा कि ले0प0पृ0 की जाँच कर रहे हैं	
वसूली की गयी[23]		निर्गत एस0सी0एन0		एएसएमटी–10		करदाताओं के साथ पत्राचार के अन्तर्गत									
सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
01	0.94	17	57.08	09	69.95	0	0	03	26.86	30	154.83	06	42.13	0	0
01	0.15	7	5.46	11	4.44	0	0	07	3.41	26	13.46	02	0.53	0	0
0	0	0	0	02	0.70	0	0	03	1.46	5	2.16	0	0	0	0
01	8.73	3	1.03	15	6.13	0	0	01	0.16	20	16.05	04	1.07	0	0
0	0	0	0	01	0.01	0	0	01	0.01	2	0.02	0	0	0	0
0	0	1	25.81	06	355.12	0	0	01	39.09	8	420.02	03	115.48	0	0
0	0	2	8.48	11	56.02	0	0	0	0	13	64.5	02	7.65	0	0
0	0	6	260.13	19	2,921.37	0	0	01	31.78	26	3213.28	04	219.34	0	0
0	0	1	40.37	7	415.38	0	0	0	0	8	455.75	0	0	0	0
0	0	10	7.91	15	25.27	0	0	01	1.06	26	34.24	07	24.15	0	0
0	0	6	34.56	04	20.42	0	0	0	0	10	54.98	01	128.63	0	0
0	0	4	0	11	0	0	0	03	0	18	0	03	0	0	0
0	0	16	15.48	07	2.14	0	0	0	0	23	17.62	01	0.08	0	0
07	2.20	8	2.91	05	2.84	0	0	0	0	20	7.95	01	0.18	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**12.02**	**81**	**459.22**	**123**	**3,879.79**	**0**	**0**	**21**	**103.83**	**235**	**4,454.86**	**34**	**539.24**	**0**	**0**

सीमित लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 235 प्रकरणों (कालम संख्या 10, 12, 14, 16, 18) में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा जिसमें ₹ 4,454.86 करोड़ (कालम संख्या 11, 13, 15, 17 एवं 19) के आई0टी0सी0/कर/टर्नओवर में भिन्नता शामिल थी जो प्राप्त 453 प्रतिक्रियाओं का 52

[23] उपरोक्त तालिका में 'की गयी वसूली' और 'जारी किये गये एस0सी0एन0' श्रेणी के अन्तर्गत राशि, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि को संज्ञान में लिए बिना, विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी किए गये एस0सी0एन0 की राशि के अनुसार है।

प्रतिशत है। जोखिम मापदण्डों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी, जैसे कि वार्षिक विवरणियों और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आई0टी0सी0 की भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की सारणी 12एफ), जीएसटीआर–9सी सारणी–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता, लेखा पुस्तकों एवं विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की सारणी 9आर) एवं ब्याज का कम/भुगतान न करना आदि।

184 प्रकरणों (कालम संख्या 4, 6 एवं 8) में जो 40 प्रतिशत होता है, जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, में करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 36 (कालम संख्या 4) मामले शामिल थे, विभाग ने 13 (कालम संख्या 6) प्रकरणों में सक्रिय रूप से कार्यवाही की थी एवं 135 प्रकरणों (कालम संख्या 8) में वैध स्पष्टीकरण थे।

शेष 34 (कालम संख्या 22) प्रकरणों में, जो आठ प्रतिशत हैं, यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विचलन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

तालिका 2.7 : सीमित लेखापरीक्षा के प्रत्येक आयाम के लिए शीर्ष प्रकरण (अनुपालन विचलन के लिए, वसूली, निर्गत एस0सी0एन0, एएसएमटी–10 एवं कराधेय व्यक्ति के साथ पत्राचार के अन्तर्गत के प्रकरणों से सम्बन्धित)

क्र0 स0	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	भिन्नता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
1.	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	09XXXXXXXXXX4ZE	मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल	खण्ड–3 हापुड	27.11	लेखापरीक्षा पृच्छा के अनुपालन में विभाग द्वारा एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।
2.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1Z9	मेसर्स पियरसन इण्डिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड–3 नोएडा	2.93	विभाग ने उत्तर दिया कि डीआरसी–01 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।
3.	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आइ0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1ZX	मेसर्स दुर्गा मार्बल्स	खण्ड मोदीनगर, गाजियाबाद	0.44	विभाग द्वारा एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।

क्र0 स0	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	भिन्नता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
4.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	09XXXXXXXXXX1ZS	मेसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	8.73	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 8,72,81,307.00 के आई0एस0डी0 पर आई0टी0सी0 का दावा ट्रान-1 के माध्यम से किया गया था तथा इसे जीएसटीआर–3बी की तालिका 4(ए)(4) में घोषित करके उपयोग भी किया गया था। इसे कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी–03 दिनाँक 09.03.2023 द्वारा उत्क्रमित किया गया है।
5.	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स एस0एम0आर0 ऑटोमोटिव सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड	खण्ड–14 नोएडा	0.01	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 17.04. 2023 को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
6.	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल–II लखनऊ	178.33	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।
7.	वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स ई0एम0एस0 लिमिटेड	खण्ड–4 गाजियाबाद	19.81	कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
8.	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	09XXXXXXXXXX3ZM	मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड	खण्ड–13 नोएडा	925.60	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 16.03. 2023 को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
9.	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	09XXXXXXXXXX5Z0	मेसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	खण्ड मोदीनगर गाजियाबाद	221.32	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 13.04. 2023 को

क्र0 स0	आयाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	भिन्नता (₹ करोड़ में)	कृत कार्यवाही
						एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
10.	लेखा पुस्तकों और विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	09XXXXXXXXXX1ZE	मैसर्स विकास एण्ड कंपनी	खण्ड–1 चंदौसी	6.82	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
11.	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	09XXXXXXXXXX9ZO	मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल –II लखनऊ	8.60	विभाग द्वारा कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
12.	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स दस्तार ख्वान रेस्टोरेंट	खण्ड–2 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को 17.05. 2023 को एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
13.	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर–1 उपलब्ध है	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स मारुति एंटरप्राइजेज	खण्ड–12 लखनऊ	12.83	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को धारा 74 के अन्तर्गत डीआरसी–01 में नोटिस निर्गत किया गया है।
14.	कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान कम किया जाना	09XXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स बर्जर पेंट्स इण्डिया लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, नोएडा	1.84	विभाग ने उत्तर दिया कि नोटिस 27.03.2023 को निर्गत किया गया था। उत्तर में कर योग्य व्यक्ति ने कहा कि दिसम्बर 2017 महीने के लिए विवरणी जीएसटीआर–3बी मार्च 2018 में दाखिल किया गया था और कैश लेजर से ₹ 4.13 करोड़ रुपये डेबिट किए गए थे, लेकिन पोर्टल पर यह अक्टूबर 2018 के महीने में दाखिल दिखाया जा रहा था। सत्यापन प्रक्रिया में है।

उदाहरणात्मक प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

(i) आयाम–अधिक आई0टी0सी0 का लाभ उठाया जाना

जीएसटीआर–2ए एक खरीद सम्बन्धी गतिशील कर विवरणी है जो मा0से0क0 पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जी0एस0टी0आर0 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें घोषित आई0टी0सी0 और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व–घोषित किया जाता है।

आई0टी0सी0 उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए जी0एस0टी0आर0 3बी और जी0एस0टी0आर0 2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आई0टी0सी0 का करदाता द्वारा प्राप्त आई0टी0सी0 क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। जी0एस0टी0आर0 2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 की उसके सभी संशोधनों के साथ, जी0एस0टी0आर0 3बी के तालिका 4बी (2)[24] में उत्क्रमण को संज्ञान में लेते हुए लेकिन बाद के वर्ष 2018–19 में जी0एस0टी0आर0 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आई0टी0सी0 को भी इसमें शामिल करते हुए, तालिका 4ए (5)[25] में प्राप्त आई0टी0सी0 से तुलना करने की पद्धति अपनाई गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड–3 हापुड़ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX4ZE के प्रकरण में, जीएसटीआर–2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 251.62 करोड़ थी और जीएसटीआर–3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 278.73 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आई0टी0सी0 की प्राप्त राशि में ₹ 27.11 करोड़ की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(ii) आयाम–आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अन्तर्गत कुछ श्रेणियों के माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

जीएसटीआर–9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किये जाने वाला वार्षिक विवरणी है, जो एसईजेड इकाइयों और एसईजेड डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए प्रतिदाय या सृजित माँग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर0सी0एम0) के अन्तर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आई0टी0सी0 की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर–3बी एवं वार्षिक विवरणी जी0एस0टी0आर0 9 से सम्बन्धित डेटासेट की

[24] अन्य उत्क्रमित आईटीसी।
[25] अन्य सभी पात्र आईटीसी।

तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या आर0सी0एम0 पर प्राप्त आई0टी0सी0 भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित थी। जीएसटीआर–3बी की तालिका 3. 1(डी)[26] में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–9 की तालिका 6सी[27], 6डी[28] एवं 6एफ[29] में प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ करने की पद्धति अपनाई गयी थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जीएसटीआर–3बी तक सीमित कर दिया गया था, जहाँ आर 3बी तालिका 3.1 (डी) में कर निर्वहन वाले हिस्से की तुलना आर 3बी 4ए(2)[30] और 4ए(3)[31] के आई0टी0सी0 लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड–3, नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स पियरसन इण्डिया एजुकेशन सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1Z9 के प्रकरण में, जीएसटीआर–3बी की तालिका 3.1(डी) में उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 0.9 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर–9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 3.84 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 2.93 करोड़ की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(iii) आयाम–कर के भुगतान के बिना आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ

वर्ष 2017–18 के लिए समकक्ष कर देनदारी का निर्वहन किए बिना आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 का लाभ उठाने की सीमा अथवा, दूसरे शब्दों में, आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर–3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 से सम्बन्धित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए किया गया था कि क्या आर0सी0एम0 के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 दाखिल किया गया था वहाँ तालिका 4जी[32] में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 से की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर–3बी के तालिका 3.1(डी)[33] में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–3बी के तालिका 4ए(2)[34] एवं 4ए(3)[35] से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड–मोदीनगर, गाजियाबाद के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स दुर्गा मार्बल्स, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZX के प्रकरण में

[26] आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।
[27] आवक आपूर्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है।
[28] रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।
[29] सेवाओं का आयात।
[30] सेवाओं का आयात।
[31] आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।
[32] आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।
[33] आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।
[34] सेवाओं का आयात।
[35] माल और सेवाओं के आयात को छोड़कर रिवर्स चार्ज लगाये जाने के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति।

जीएसटीआर–9 की तालिका 4जी में कोई आर0सी0एम0 भुगतान नहीं किया गया था (जीएसटीआर–3बी में भी कोई आर0सी0एम0 भुगतान नहीं दिखाया गया था) एवं जीएसटीआर–9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में ₹ 44.14 लाख की आई0टी0सी0 का लाभ उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.14 लाख की राशि के कर भुगतान के बिना आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(iv) आयाम–आई0एस0डी0 क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आई0टी0सी0, इनपुट सेवा वितरक (इ0से0वि0) द्वारा हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से अधिक है, प्राप्त आई0टी0सी0 जैसा कि करदाता के विवरणी में घोषित है, की तुलना आई0एस0डी0 द्वारा उनके जी0एस0टी0आर0 6 में हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से की गयी है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर–9 की तालिका 6जी[36] अथवा जीएसटीआर–3बी की तालिका 4(ए)(4)[37] की तुलना सम्बन्धित आई0एस0डी0 के जीएसटीआर–6 की तालिका 5ए[38], तालिका 8ए[39] और तालिका 9ए[40] के योग से किये जाने की पद्धति अपनाई गयी थी।

कार्पोरेट सर्किल, अलीगढ़ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZS के प्रकरण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर–9 की तालिका 6जी में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 41.93 करोड़ थी और आई0एस0डी0 द्वारा जीएसटीआर–6 के तालिका (5ए+8ए+9ए) में हस्तान्तरित आई0टी0सी0 ₹ 33.20 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आई0एस0डी0 द्वारा हस्तान्तरित आई0टी0सी0 से ₹ 8.73 करोड़ अधिक प्राप्त किया गया, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर में, विभाग ने बताया (जून 2023) कि ₹ 8.73 करोड़ के आई0एस0डी0 पर आई0टी0सी0 का दावा ट्रान–1 के माध्यम से किया गया था एवं इसे जीएसटीआर–3बी तालिका 4(ए)(4) में घोषित करके भी उपयोग किया गया था, इसे कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी–03 दिनाँक 09 मार्च 2023 के माध्यम से उत्क्रमित कर दिया गया था।

(v) आयाम–जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में असमाधानित आई0टी0सी0

जीएसटीआर–9सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9) में घोषित आई0टी0सी0 की लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कालम 14टी असमाधानित आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है।

[36] आईएसडी से प्राप्त आईटीसी।
[37] आईएसडी से आवक आपूर्ति।
[38] कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।
[39] पुनः प्राप्त और वितरित आईटीसी की भिन्नता।
[40] गलत प्राप्तकर्ता को आई0टी0सी0 का पुनर्वितरण।

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक है कि, वार्षिक विवरणी में घोषित आई0टी0सी0 की वित्तीय विवरण में बताए गए व्यय के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

कार्पोरेट सर्किल–II लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1Z5 के प्रकरण में, जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 178.23 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0, जो कि वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त अधिक आई0टी0सी0 है, को संज्ञान में लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(vi) आयाम–जीएसटीआर–9सी की तालिका 12एफ में असमाधानित आई0टी0सी0

जीएसटीआर–9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9) में घोषित आई0टी0सी0 का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कालम 12एफ असमाधानित आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है।

वार्षिक विवरणी में घोषित आई0टी0सी0 की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था।

खण्ड–4 गाजियाबाद के अन्तर्गत मेसर्स ई0एम0एस0 लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZH के प्रकरण में जीएसटीआर–9सी की तालिका 12एफ में घोषित ₹ 19.81 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0 जो कि वित्तीय विवरणों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त अधिक आई0टी0सी0 थी, को संज्ञान में लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(vii) आयाम–जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में असमाधानित टर्नओवर

जीएसटीआर–9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर–9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कालम 5आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 तथा अपेक्षित समायोजनों के पश्चात वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर के मध्य असमाधानित टर्नओवर को दर्शाता है।

वार्षिक विवरणी में घोषित टर्नओवर की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है जैसा कि असमाधानित राशि, प्रतिवेदित न करना, प्रतिवेदन के अन्तर्गत, कम प्रतिवेदित करना, चूक, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करता है। यह कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को प्रतिवेदित न करने का प्रकरण भी हो सकता है।

जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में ₹ 925.60 करोड़ के असमाधानित टर्नओवर पर लेखापरीक्षा पृच्छा खण्ड 13 नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX3ZM के सम्बन्ध में निर्गत की गई थी तथा शासन एव विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में 16.03.2023 को नोटिस निर्गत किया गया है।

(viii) आयाम–जीएसटीआर–9सी की तालिका 7जी में असमाधानित कर योग्य टर्नओवर

जीएसटीआर–9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का समाधान है। इस तालिका का कालम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 तथा अपेक्षित समायोजनों के पश्चात वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर के मध्य असमाधानित कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वार्षिक विवरणी में घोषित कर योग्य टर्नओवर की वित्तीय विवरण के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर–9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है जैसा कि असमाधानित राशि, प्रतिवेदित न करना, प्रतिवेदन के अन्तर्गत, कम प्रतिवेदित करना, चूक, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करता है। यह कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को प्रतिवेदित न करने का प्रकरण भी हो सकता है।

जीएसटीआर–9सी की तालिका 7जी में असमाधानित ₹ 221.32 करोड़ की राशि के कर योग्य टर्नओवर पर लेखापरीक्षा पृच्छा, खण्ड मोदीनगर, गाजियाबाद के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX5Z0 के सम्बन्ध में निर्गत की गई थी तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(ix) आयाम–जीएसटीआर–9सी की तालिका 9आर में असमाधानित कर देनदारी

वार्षिक विवरणी में घोषित की वित्तीय विवरण की लेखापुस्तकों के साथ पहचाने गए भिन्नता की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था जैसा कि वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत

प्रमाणित समाधान विवरण जैसा कि उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक था। प्रपत्र 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग–अलग करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास करती है तथा इसकी तुलना वार्षिक विवरणी जी0एस0टी0आर0 9 के अनुसार निर्वहित कर के साथ करती है। असमाधानित राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर के करमुक्त के रूप में गलत चित्रण या इसके विपरीत अथवा रा0मा0से0क0/के0मा0से0क0/ए0मा0से0क0 के त्रुटिपूर्ण आरोपण का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ 2017–18 के सम्बन्ध में अगले वर्ष के अप्रैल से सितम्बर 2018 तक में किए गये संब्यवहार में आपूर्ति/घोषित कर में कमी संशोधनों के माध्यम से (शुद्ध डेबिट नोट्स/क्रेडिट नोट्स) कर दी गई हों। परिणामी ब्याज भुगतान–कम भुगतान एवं गलत मदों के अन्तर्गत भुगतान दोनों की भी इस सम्बन्ध में जाँच किए जाने की आवश्कता है।

खण्ड–1, चंदौसी के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स विकास एण्ड कम्पनी, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZE के प्रकरण में जीएसटीआर–9सी की तालिका 9आर में घोषित कर के भुगतान की असमाधानित राशि ₹ 6.82 करोड़ को शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

(x) आयाम–कर दायित्व की कम घोषणा

जीएसटीआर–1 माल और/या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का मासिक विवरण दर्शाता है। इन विवरणों का वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 के सम्बन्धित कालम में उल्लेख किया जाता है एवं करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। अग्रेतर, कर योग्य मूल्य और उस पर किया गया कर भुगतान भी जीएसटीआर–3बी में दर्शाया जाता है।

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–1 और जीएसटीआर–9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया तथा इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर–9 में घोषित किए गए कर के भुगतान से की गयी। जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था वहाँ जीएसटीआर–1 और जीएसटीआर–3बी के मध्य देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर–1 एवं 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

एल्गोरिदम के लिए, जीएसटीआर–1 की तालिका 4 से 11 तथा जीएसटीआर–9 की तालिका 4एन, 10 एव 11 पर विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–9 के मध्य अधिक कर देनदारी की तुलना जीएसटीआर–9 की तालिका 9 एवं 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गयी थी। जीएसटीआर–3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(ए)[41] एवं 3.1(बी)[42] को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्पोरेट सर्किल–II लखनऊ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX9ZO के

[41] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा)।
[42] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

प्रकरण में, जीएसटीआर–1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 72.55 करोड़ था एवं जीएसटीआर–9 की तालिका 9 एवं 14 में देय कर ₹ 63.95 करोड़ घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य ₹ 8.60 करोड़ की कर देयता की भिन्नता हुई, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। प्रतिक्रिया में, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी 10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(xi) आयाम–जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, कराधेय व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए, और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

डेटा स्तर पर, हमने उन कराधेय व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जिन्होंने जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर–1 दाखिल किया है या जिनका जीएसटीआर–2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर–3बी विवरणी एक मात्र साधन है जिसके माध्यम से देनदारी का समायोजन किया जाता है एवं आई0टी0सी0 का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर–3बी दाखिल न करना यह दर्शाता है कि कराधेय व्यक्ति ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया है। इसमें आई0टी0सी0 को अनियमित रूप से आगे बढ़ाने के प्रकरण भी शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड–12, लखनऊ के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति मेसर्स मारुति इण्टरप्राइजेज जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZK ने जीएसटीआर–1 दाखिल किया था एवं ₹ 12.83 करोड़ की कर देनदारी स्वीकार की थी। करदाता ने 2017–18 के लिए एक भी जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.83 करोड़ की कर देनदारी का भुगतान नहीं हुआ। यह शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अन्तर्गत डीआरसी–01 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(xii) आयाम–ब्याज का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 50 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर शासन को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग बकाया रह जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2017–18 के दौरान कर के विलम्बित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर–3बी में भुगतान किए गए कर विवरण और जीएसटीआर–3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देनदारी (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्पोरेट सर्किल, नोएडा के अन्तर्गत कराधेय व्यक्ति, मेसर्स बर्जर पेण्ट्स इण्डिया लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में माह दिसम्बर 2017 से सम्बन्धित विवरणी (जीएसटीआर–3बी) विलम्ब से दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 करोड़ की ब्याज की राशि का कम भुगतान हुआ, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि माह दिसम्बर 2017 के लिए जीएसटीआर–3बी विवरणी मार्च 2018 में दाखिल किया गया था एवं कैश लेजर से ₹ 4.13 करोड़ डेबिट किए गए थे, लेकिन पोर्टल पर यह माह अक्टूबर 2018 में दाखिल दिखाया जा रहा था। सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

2.6.2.3 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

462 डेटा विचलन/असंगतियों के नमूने में से 453 प्रकरणों पर विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, डेटा विचलन/असंगतियों का कारण बनने वाले कारक इस प्रकार हैं:

(अ) मा0से0क0 कानून और नियमों से विचलन: तालिका–2.6 में संक्षेपित 453 विचलनों में से, विभाग ने 214 प्रकरणों में ₹ 4,351.03 करोड़ के आई0टी0सी0/टैक्स/टर्नओवर के भिन्नता के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है या जाँच प्रारम्भ कर दी है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 10 प्रकरणों में ₹ 12.02 करोड़ की वसूली कर ली है, 123 प्रकरणों में ₹ 3,879.79 करोड़ के लिए करदाता को विसंगतियों के बारे में सूचित करते हुए प्रपत्र एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत कर दिया है एवं 81 प्रकरणों में ₹ 459.22 करोड़ के लिए एस0सी0एन0 निर्गत कर दिया है। विवरण **परिशिष्ट–VI** में दिया गया है। शीर्ष पाँच स्वीकार किए गये प्रकरण **तालिका 2.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.8 : शीर्ष पाँच प्रकरण (आई0टी0सी0/कर में भिन्नता) विभाग द्वारा स्वीकार किये गये अथवा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	आई0टी0सी0/ कर में भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही
1.	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल–II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	178.33	एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
2.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स जी0डी0एन0 एण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल, नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी	76.00	एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	आई0टी0सी0 / कर में भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही
				की तालिका 14टी)		
3.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल–II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी)	59.73	एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
4.	09XXXXXXXXXX4ZE	मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल	खण्ड–3 हापुड़	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	27.11	एएसएमटी–10 निर्गत किया गया है।
5.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लिमिटेड	खण्ड कोसीकलां	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी)	25.81	एस0सी0एन0 निर्गत किया गया है।

उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

कार्पोरेट सर्किल, नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स जी0डी0एन0 इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZY के प्रकरण में वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से अधिक आई0टी0सी0 मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त करने के कारण जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 76.00 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0 का संज्ञान लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत 06 अप्रैल 2023 को एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

(ब) ऐसे प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं था

462 गैर–अनुपालन प्रकरणों में से, विभाग ने ₹ 103.83 करोड़ के 21 प्रकरणों में कमियों को स्वीकार नहीं किया। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग ने कर के भुगतान के बिना आर0सी0एम0 पर प्राप्त आई0टी0सी0 के बजाय कर देयता के लिए नोटिस निर्गत किया, असमाधानित टर्नओवर पर नोटिस के बजाय आई0टी0सी0 के अतिरिक्त दावे के लिए नोटिस निर्गत किया। लेखापरीक्षा खण्डन सहित इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–VII** में दिया गया है। शीर्ष पाँच खण्डन के प्रकरण एवं कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण **तालिका 2.9** में दर्शाये गए हैं।

तालिका 2.9 : मौद्रिक मूल्य के सन्दर्भ में शीर्ष पाँच प्रकरण जहाँ विभाग की प्रतिक्रिया का खण्डन किया गया था

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1ZO	मेसर्स सनप्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लिमिटेड	कार्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी)	39.09
2.	09XXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स रेवेट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड–9 लखनऊ	जीएसटीआर–9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	31.78
3.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स पिडिलाइट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	खण्ड–1, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	21.25
4.	09XXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स हरि दर्शन कम्पनी	खण्ड–4 आजमगढ़	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.69
5.	09XXXXXXXXXX1ZP	मेसर्स ओमार डिस्ट्रीब्यूटर्स	खण्ड–1 कानपुर	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	1.92

i. वित्तीय विवरणों में सूचित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से अधिक आई0टी0सी0 मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त करने के कारण, जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 39.09 करोड़ की असमाधानित आई0टी0सी0 का कार्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स सनप्लास्ट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZO के प्रकरण में संज्ञान लिया गया तथा शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि जीएसटीआर–2ए तथा जीएसटीआर–3बी में दावा किए आई0टी0सी0 की भिन्नता के लिए उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में 10 अप्रैल 2023 को नोटिस निर्गत किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टिप्पणी वित्तीय विवरण में सूचित किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आई0टी0सी0 से अधिक आई0टी0सी0 मा0से0क0 विवरणी में प्राप्त करने के कारण जीएसटीआर–9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 39.09 करोड़ के आई0टी0सी0 पर की गई थी।

ii. जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में घोषित ₹ 31.78 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर खण्ड 9 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स रेवेट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में देखा गया, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए, आई0टी0सी0 के अतिरिक्त दावे के लिए ₹ 24.20 लाख, शास्ति ₹ 2.42 लाख तथा ब्याज ₹ 24.57 लाख की माँग सृजित कर दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में अतिरिक्त दावे, शास्ति एवं ब्याज की गणना का आधार ₹ 31.78 करोड़ के असमाधानित टर्नओवर से सम्बन्धित नहीं था।

iii. लेखापरीक्षा ने पाया कि खण्ड–1, गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत करदाता मेसर्स पिडिलाइट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZQ के प्रकरण में, जीएसटीआर–2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 36.14 करोड़ थी तथा जीएसटीआर–3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 57.39 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 21.25 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि कराधेय व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त दावा किये गये आई0टी0सी0 ₹ 32104.00 को जमा कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने जीएसटीआर–3बी में दावा किए गए ₹ 21.25 करोड़ के आई0टी0सी0 एवं जीएसटीआर–2ए में आटो–पापुलेटेड आई0टी0सी0 के अन्तर पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है।

iv. लेखापरीक्षा ने पाया कि खण्ड–4 आजमगढ़ के अन्तर्गत करदाता मेसर्स हरि दर्शन कम्पनी जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZT के प्रकरण में, जीएसटीआर–2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 11.68 करोड़ थी तथा जीएसटीआर–3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 15.37 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 3.69 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को 30 जून 2021 को नोटिस निर्गत किया गया था। अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने 09 जुलाई 2021 को उत्तर प्रस्तुत किया था जो पोर्टल से विश्वसनीय और सत्यापित पाया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य ₹ 3.69 करोड़ के आई0टी0सी0 की भिन्नता पर थी, जिसे उत्तर में सम्बोधित नहीं किया गया।

v. लेखापरीक्षा ने पाया गया कि खण्ड–1 कानपुर के अन्तर्गत करदाता मेसर्स ओमार डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZP के प्रकरण में, जीएसटीआर–2ए के अनुसार उपलब्ध आई0टी0सी0 ₹ 1.88 करोड़ थी तथा जीएसटीआर–3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आई0टी0सी0 ₹ 3.80 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आई0टी0सी0 की राशि ₹ 1.92 करोड़ की भिन्नता हुयी, जिसे शासन एवं विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ₹ 1.88 करोड़ की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर–9 के कालम 6बी में आवक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अलावा) के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था, गलती से

जीएसटीआर–9 के कालम 6डी में दर्ज कर दिया गया था जिसमें रिवर्स चार्ज करने के लिए आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 उत्तरदायी है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य **₹** 1.92 करोड़ के आई0टी0सी0 के भिन्नता पर थी जिसे उत्तर में सम्बोधित नहीं किया गया था।

(स) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ: डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का आठ प्रतिशत (36 प्रकरण) थीं और इन प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आर0सी0एम0, आई0एस0डी0, टर्नओवर, करयोग्य टर्नओवर एवं अनिर्वहित कर दायित्व से सम्बन्धित थीं जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में वर्णित है।

डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के शीर्ष पाँच प्रकरण **तालिका 2.10** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.10 : करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स श्रेयस इंटरप्राइजेज	खण्ड–9 गोरखपुर	जीएसटीआर–9सी के तालिका 7जी में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	68.26
2.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स श्री जी टिम्बर इण्डस्ट्रीज	खण्ड–1 हापुड़	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	34.92
3.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेसर्स मेरठ विकास प्राधिकरण	खण्ड–10 मेरठ	जीएसटीआर–9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	30.71
4.	09XXXXXXXXXX1Z1	मेसर्स अमित ऑटो सेल्स	खण्ड–2 बस्ती	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	18.26
5.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स गजानन इण्टरप्राइजेज	खण्ड–1 लखीमपुर खीरी	जीएसटीआर–9सी के तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	17.39

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

खण्ड 2 बस्ती के अन्तर्गत करदाता मेसर्स अमित आटो सेल्स जीएसटीआईएन–09xxxxxxxxxx1Z1 के जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–9 विवरणी के मध्य कर देयता के भिन्नता के रूप में **₹** 18.26 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गयी थी तथा विभाग को सूचित किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि टंकणीय त्रुटि के कारण, जीएसटीआर–9 के कालम 4 में के0मा0से0क0 **₹** 1,01,43,125.93 एवं रा0मा0से0क0 **₹** 1,01,43,125.93 की कर देयता जो कि **₹** 7,26,14,502.00 की जावक आपूर्ति पर था एवं जिसका भुगतान करदाता द्वारा किया गया था, के स्थान पर के0मा0से0क0 **₹** 10,14,31,025.93 एवं रा0मा0से0क0 **₹** 10,14,31,025.93 दर्ज कर दिया गया था।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियन्त्रण से टाला जा सकता था।

(द) लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत करने से पूर्व कृत कार्यवाही: जैसा कि तालिका–6 में संक्षेपित किया गया है कि विभाग ने पहले ही 13 प्रकरणों में कार्यवाही कर दी थी, जो प्राप्त 453 प्रतिक्रियाओं का तीन प्रतिशत है। शीर्ष छः जोन जिन्होंने सक्रिय रूप से विचलन/असंगतियों को सम्बोधित किया था, **तालिका 2.11** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.11 : पृच्छा से पूर्व की गयी कार्यवाही–क्षेत्रवार

क्षेत्राधिकार	खण्ड का नाम	लेखापरीक्षा पृच्छा से पूर्व कृत कार्यवाही (संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा* से पूर्व कृत कार्यवाही (₹ करोड़ में)	क्षेत्र में प्रकरणों की कुल संख्या	कुल प्राप्त प्रतिक्रियाएं	प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुईं	कुल प्रकरणों का प्रतिशत (3/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, आगरा	ज्वा.क. (का. स.) आगरा	01	3.41	15	15	0	13.33
	खण्ड 20 आगरा	01	0.36				
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, सहारनपुर	खण्ड 8 सहारनपुर	01	10.06	08	08	0	12.50
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, वाराणसी–II	खण्ड 2 भदोही	01	0.26	27	26	01	3.70
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, गोरखपुर	खण्ड 2 महराजगंज	01	8.52	20	20	0	10
	खण्ड 1 सिद्धार्थनगर	01	0.90				
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, लखनऊ–II	खण्ड 16 लखनऊ	01	205.43	37	36	01	2.70
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–I, प्रयागराज	खण्ड 5 प्रयागराज	01	0.36	15	15	0	13.33
	ज्वा.क. (का. स.) प्रयागराज	01	0.56				
योग		**09**	**229.86**	**122**	**120**	**02**	**7.38**

*टर्नओवर की भिन्नता भी शामिल है।

संस्तुति 4ः विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए मा0से0क0 विवरणियों में सत्यापन नियन्त्रण प्रारम्भ करने पर विचार कर सकता है।

2.6.3 कर भुगतान पर निगरानी–विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व–मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तन्त्र की स्थापना एवं रखरखाव करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल शासन तन्त्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन माडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर–विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है तथा अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

वाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा–संचालित जोखिम–आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रकार, डेटा विश्लेषण के माध्यम से मा0से0क0 विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में मा0से0क0 विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गयी थी। समीक्षा के इस भाग के लिए 80 करदाताओं का जोखिम–आधारित नमूना चुना गया था। संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड फ्लैग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर–9सी के हिस्से के रूप में दाखिल किए गए मा0से0क0 विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों तथा बैक–एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की प्रारम्भ में डेस्क समीक्षा करने की पद्धति अपनाई गयी थी। डेस्क समीक्षा नि0म0ले0प0 के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में सम्पन्न की गयी थी। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर पहचाने गए जोखिमों के कारण कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय बहीखाता, चालान आदि जैसे करदाताओं के सम्बन्धित विस्तृत अभिलेखों की माँग सम्बन्धित क्षेत्रीय संरचना के माध्यम से करते हुए वाणिज्य कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गयी थी।

जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों एवं रेड फ्लैग की पहचान करने के लिए मा0से0क0 विवरणियों एवं अन्य बुनियादी अभिलेखों का एक डेस्क समीक्षा शामिल था, जिसके बाद करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने की सीमा एवं वाणिज्य कर विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गयी कार्यवाही की पहचान करने के लिए वाह्य लेखापरीक्षा की गयी थी। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन न करना अंततः दाखिल विवरणियों की सत्यता, आई0टी0सी0 के उपयोग एवं कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को (अ) विवरणियां (ब) आई0टी0सी0 का उपयोग एवं (स) कर देनदारी का निर्वहन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2.6.3.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण)

अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में संक्षेपित किया गया हैः

आंशिक प्रस्तुतीकरणः बैक–एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अधिक आई0टी0सी0 एवं कर देयता भिन्नता से सम्बन्धित जोखिमों की पहचान की। नौ प्रकरणों में, विभाग ने सम्बन्धित विस्तृत अभिलेख जैसे अनुपूरक वित्तीय बहीखाता, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, बैलेंस शीट की अनुसूची एवं लाभ और हानि खाता आदि प्रस्तुत नहीं किए। इन नौ प्रकरणों में अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण, लेखापरीक्षा डेस्क समीक्षा के आधार पर जाँच की जाने वाली आई0टी0सी0 एवं कर देयता के भिन्नता के कारणकारी कारकों की जाँच नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित खण्डों के माध्यम से करदाताओं के इन विस्तृत अभिलेखों की माँग की। अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण **तालिका 2.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.12 : आंशिक प्रस्तुतीकरण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	भिन्नता की राशि (आई0टी0सी0 एवं अनिर्वहित कर दायित्व)
1.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स आनंद डेयरी	ज्वा0कमि0 का0स0 रा0क0 मेरठ	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, बैलेंस शीट (बी/एस) तथा लाभ और हानि खाता (पी/एल), विविध देनदारों/लेनदारों का विवरण	14.44
2.	09XXXXXXXXXX1ZS	मेसर्स पैन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड 10 रा0क0 नोएडा	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र 3सीडी एवं प्रपत्र 3सीईबी में, पी/एल एवं बी/एस की अनुसूचियां, छः माह से अधिक के विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	29.13
3.	09XXXXXXXXXX2Z1	मेसर्स सनसोर्स एनर्जी प्रा0 लिमिटेड	खण्ड 14 रा0क0 नोएडा	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र 3सीडी और प्रपत्र 3सीईबी में, विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	3.80
4.	09XXXXXXXXXX2ZQ	मेसर्स पावर ग्रिड	ज्वा0कमि0 का0स0	लेखापरीक्षक रिपोर्ट की फार्म	0.45

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	करादेय व्यक्ति का नाम	क्षेत्राधिकार खण्ड	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची	भिन्नता की राशि (आई0टी0सी0 एवं अनिर्वहित कर दायित्व)
		कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	रा0क0 प्रयागराज	3सीडी एवं फार्म 3सीईबी, छः माह से अधिक के विविध लेनदारों/देनदारों की सूची	
5.	09XXXXXXXXXXSZA	यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ज्वा0कमि0 का0स0–I रा0क0 लखनऊ	निदेशकों की रिपोर्ट, फार्म 3सीडी एवं फार्म 3सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, पी/एल एवं बी/एस की अनुसूची	5.88
6.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स एलएसीडीएम इंजीनियर्स	खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ	निदेशक की रिपोर्ट, फार्म 3सीडी एवं फार्म 3सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नोट्स एवं अनुसूची के साथ सम्पूर्ण पी/एल एवं बी/एस खाता	0.03
7.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स प्रथमा बैंक	खण्ड 1 रा0क0 मुरादाबाद	निदेशक की रिपोर्ट, फार्म 3सीडी और फार्म 3सीईबी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, खातों पर नोट्स के साथ पी/एल एवं बी/एस की अनुसूची।	10.40
8.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	ज्वा0कमि0 का0स0 रा0क0 मुरादाबाद	निदेशक की रिपोर्ट	0.24
9.	09XXXXXXXXXX1ZB	मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	ज्वा0कमि0 का0स0 रा0क0 मुजफ्फरनगर	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट फार्म 3सीडी एवं फार्म 3सीईबी में	0.13

11 प्रतिशत प्रकरणों में विस्तृत अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, इस कारण अधिक/अनियमित आई0टी0सी0 लाभ एवं अनिर्वहित कर दायित्व से सम्बन्धित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जाँच नहीं की जा सकी थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को (अप्रैल 2023 में) प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

2.6.3.2 विवरणियां

नमूने के 80 कराधेय व्यक्तियों द्वारा दाखिल विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि कराधेय व्यक्तियों द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था तथा विवरणियों में डेटा त्रुटियाँ मौजूद थीं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है:

(अ) कराधेय व्यक्तियों द्वारा ब्याज का भुगतान कम/न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 29 प्रकरणों, जो कि लेखापरीक्षित 80 प्रकरणों के 36 प्रतिशत थे, में पाया कि कराधेय व्यक्तियों ने या तो अपनी कर देयता को विलम्ब से समायोजित किया था या गलती से अधिक आई0टी0सी0 क्रेडिट का उपयोग किया था जिसका वापस भुगतान कर दिया गया था, लेकिन ₹ 1.76 करोड़ की राशि के ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था (परिशिष्ट–IX)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पाँच अनियमितताएं **(तालिका 2.13)** एवं उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 2.13 : ब्याज का भुगतान न करने के शीर्ष पाँच प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार	विचलन में शामिल राशि
1.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 20 लखनऊ	1.02
2.	09XXXXXXXXXX1ZR	खण्ड 16 रा0क0 गाजियाबाद	0.17
3.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 3 रा0क0 नोएडा	0.16
4.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 1 रा0क0 मुरादाबाद	0.09
5.	09XXXXXXXXXX1ZL	ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 कानपुर	0.04

i. लेखापरीक्षा ने 2017–18 की अवधि के लिए खण्ड 20 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZU के जीएसटीआर–9, जीएसटीआर–3बी, जीएसटीआर–1, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एवं डीआरसी–03 की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 9.55 करोड़ के स्वीकृत कर के विरूद्ध केवल ₹ 7.79 करोड़ का कर जमा किया है। इस प्रकार अन्तरीय कर ₹ 1.76 करोड़ का कम भुगतान किया गया था जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2022 में), विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने डीआरसी–03 दिनाँक 24 मार्च 2022 एवं 30 मार्च 2022 के माध्यम से ₹ 1.76 करोड़ का बकाया कर जमा कर दिया है। उचित अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 30.89 लाख इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके एवं ₹ 1.45 करोड़ इलेक्ट्रानिक कैश लेजर से डेबिट करके उपरोक्त कर दायित्व का निर्वहन किया है। ₹ 1.45 करोड़ के नकद घटक पर, 21.04.2018 से 24.03.2022

(1434 दिन) की अवधि के लिए ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था जो कि प्रभारित नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत डीआरसी–01 में नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

ii. खण्ड 1 रा0क0 मुरादाबाद के अन्तर्गत मेसर्स प्रथमा बैंक जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1Z8 ने जुलाई, अगस्त, दिसम्बर 2017 एवं मार्च 2018 के महीनों के लिए जीएसटीआर–3बी विवरणी विलम्ब से दिसम्बर 2017 और जून 2018 के मध्य दाखिल किया था। यद्यपि, कर के विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज की देनदारी ₹ 9.14 लाख का निर्वहन नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि अगस्त 2017 के महीने के लिए ₹ 2.24 लाख का ब्याज 19 मई 2023 को डीआरसी–03 के माध्यम से जमा कर दिया गया है, यद्यपि अवशेष महीनों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(ब) डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने कराधेय व्यक्तियों द्वारा मा0से0क0 विवरणियों को दाखिल करते समय डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को देखा। चार प्रकरणों के विवरणियों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ देखी गईं, जो लेखापरीक्षा किए गए प्रकरणों का पाँच प्रतिशत थीं, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में वर्णित है। मुख्य रूप से त्रुटियाँ, जीएसटीआर–1/जीएसटीआर–3बी में कराधेय मूल्यों एवं कर देयता के मध्य विसंगति, जीएसटीआर–1/जीएसटीआर–3बी में के0मा0से0क0 एवं रा0मा0से0क0 भुगतान में विसंगति, जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–9 के मध्य आई0टी0सी0 प्राप्त करने एव उत्क्रमित करने में विसंगति आदि जैसे क्षेत्रों में थीं।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

खण्ड 9 रा0क0 गाजियाबाद के अन्तर्गत मेसर्स पंचशील रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZC ने जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–1 के मध्य कर भुगतान में ₹ 5.91 करोड़ की भिन्नता को दर्शाया था। इसे संज्ञान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2022) विभाग ने बताया कि कराधेय व्यक्ति ने माह दिसम्बर 2017 के लिए रा0मा0से0क0 ₹ 32,84,546.00 एवं के0मा0से0क0 ₹ 32,84,546.00 की वास्तविक कर राशि के बजाय अनजाने में जीएसटीआर–1 की तालिका 4 में रा0मा0से0क0 ₹ 3,28,45,546.00 एवं के0मा0से0क0 ₹ 3,28,45,546.00 का कर अंकित कर दिया था, जिसे कि जीएसटीआर–3बी में सही रूप से दर्शाया गया था। उत्तर स्वीकार्य योग्य पाया गया।

2.6.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का तात्पर्य किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा माल एवं/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) है, जिसका उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 16 एवं 17 आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित करती हैं। के0मा0से0क0 के क्रेडिट का उपयोग रा0मा0से0क0/सं0रा0क्षे0मा0से0क0 के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है तथा रा0मा0से0क0/सं0रा0क्षे0मा0से0क0 के क्रेडिट का उपयोग के0मा0से0क0 के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली का नियम 36 से 45 आई0टी0सी0 को प्राप्त करने एवं उसे उत्क्रमित करने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

लेखापरीक्षा ने जाँच किए गए 80 मामलों में से ₹ 92.77 करोड़ की अनुपालन कमियों के 57 मामले पाए। कमियाँ आई0टी0सी0 का अनियमित रूप से लाभ उठाने, अदेय आई0टी0सी0 का लाभ उठाने, आई0टी0सी0 का न या कम उत्क्रमण तथा इनपुट सेवा वितरण पर आई0टी0सी0 का अधिक लाभ उठाने के कारण थीं।

(अ) आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 16(2) आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित करती है। आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए पूर्व आवश्यकताएँ हैं:

- कराधेय व्यक्ति के पास कर चालान या कोई अन्य निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए
- कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाएँ प्राप्त की हैं
- कर का भुगतान वास्तव में आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है
- कराधेय व्यक्ति ने आई0टी0सी0 का लाभ उठाने के लिए विवरणी प्रस्तुत किया है
- माल या सेवाओं के मूल्य का कर सहित भुगतान चालान निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के अन्दर आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली का नियम 36 आई0टी0सी0 का दावा करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। एक करदाता निम्नलिखित आधार पर आई0टी0सी0 का लाभ उठा सकता है (अ) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत चालान, (ब) कर के भुगतान के प्रमाण के साथ प्राप्तकर्ता द्वारा निर्गत चालान, (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत डेबिट नोट, (द) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रविष्टि बिल या समान दस्तावेज, (य) संशोधित चालान और (र) इनपुट सेवा वितरक द्वारा निर्गत दस्तावेज। वित्तीय वर्ष जिससे चालान सम्बन्धित है, के अगले सितम्बर या वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद किसी भी आई0टी0सी0 का लाभ नहीं उठाया जाएगा।

अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 13(3) के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म[43] (आर0सी0एम0) के सम्बन्ध में, आर0सी0एम0 के अन्तर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय (अ) भुगतान की तिथि जैसा कि प्राप्तकर्ता के पुस्तकों में दर्ज किया गया है या वह तिथि जिस पर भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया जाता है या

[43] रिवर्स चार्ज का तात्पर्य है कि आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने का दायित्व ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर है।

(ब) चालान निर्गत होने की तिथि से 60 दिन, में से जो भी पहले हो माना जाता है। जहाँ उपरोक्त तरीके से आपूर्ति का समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है, आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता के खाते की किताबों में प्रविष्टि की तिथि होगी।

लेखापरीक्षा ने 80 मामलों में से एक में अनुपालन की कमी देखी, जहाँ कराधेय व्यक्ति ने ₹ 4.12 लाख की अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ उठाया था। यह कमी मुख्य रूप से आई0टी0सी0 के अधिक दावे के कारण थी।

खण्ड 9 रा0क0 नोएडा के अन्तर्गत मेसर्स सुविधा इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX3ZI के प्रकरण में, जीएसटीआर–9सी एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की जाँच में यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 34.13 लाख के अन्य विविध खर्चों के विरुद्ध ₹ 10.26 लाख के आई0टी0सी0 का दावा जीएसटीआर–9सी में किया था। लेखापरीक्षा ने 18 प्रतिशत की दर से ₹ 6.14 लाख के आई0टी0सी0 की गणना की, जो कराधेय व्यक्ति के लिए स्वीकार्य थी। इस प्रकार, कराधेय व्यक्ति ने ₹ 4.12 लाख के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया था जिसे उत्क्रमित करने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

(ब) आई0टी0सी0 का उत्क्रमण न किया जाना/कम उत्क्रमण

अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित नियमावली के नियम 42 एवं 43 में कहा गया है कि जहाँ माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से शून्य–दर आपूर्ति सहित कराधेय आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए किया जाता है, क्रेडिट की राशि इनपुट टैक्स के उतने हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य–दर आपूर्ति सहित उक्त कराधेय आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। इनपुट या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण एवं उसके उत्क्रमण का तरीका[44] उपरोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

---

[44] सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है और इसकी गणना इस प्रकार की गई है– **सी = टी–(टी1+टी2+टी3+टी4) जहाँ** 'टी' ने एक कर अवधि में इनपुट और इनपुट सेवाओं पर शामिल कुल इनपुट टैक्स को वर्गीकृत किया है, वहीं 'टी1' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है, जो विशेष रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। व्यापार, 'टी2' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है, जो विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, 'टी3' ने 'टी' में से इनपुट टैक्स की राशि को वर्गीकृत किया है। इनपुट और इनपुट सेवाएं जिन पर धारा 17 की उप–धारा (5) के तहत क्रेडिट उपलब्ध नहीं है टी4 में, उन इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को वर्गीकृत किया गया है जिसका उपयोग विशेष रूप से छूट के अतिरिक्त अन्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें शून्य रेटेड आपूर्ति शामिल है। छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए देय इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया जाएगा और इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी– **डी = (ई ÷ एफ) × सी** जहां, 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है, और 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति के राज्य में कुल कारोबार है।

लेखापरीक्षा ने 80 में से नौ प्रकरणों में अनुपालन न किया जाना देखा जहाँ कराधेय व्यक्तियों ने नियम 42 एवं 43 के त्रुटिपूर्ण रूप से लागू करने के कारण ₹ 7.80 करोड़ के आई0टी0सी0 को या तो उत्क्रमित नहीं किया था या कम उत्क्रमित किया था (परिशिष्ट–XI)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पाँच अनियमितताएँ **तालिका 2.14** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.14 : आई0टी0सी0 को उत्क्रमित न किए जाने के शीर्ष पाँच प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार कार्यालय	विचलन में शामिल राशि
1.	09XXXXXXXXXX1ZU	ज्वा0कमि0 का0स0 रा0क0 मेरठ	5.00
2.	09XXXXXXXXXX1ZC	ज्वा0कमि0 का0स0–II रा0क0 लखनऊ	1.27
3.	09XXXXXXXXXX1ZF	ज्वा0कमि0 का0स0 रेंज–बी रा0क0 नोएडा	0.91
4.	09XXXXXXXXXX1ZY	ज्वा0कमि0 का0स0 रेंज–ए रा0क0 नोएडा	0.21
5.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 1 रा0क0 हरदोई	0.20

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा ने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) मेरठ के अन्तर्गत मेसर्स आनंद डेयरी लिमिटेड जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZU के जीएसटीआर–1, जीएसटीआर–3बी, क्रेडिट एवं कैश लेजर की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने अपने विवरणियों में ₹ 961.83 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर घोषित किया था, जिसमें से 73.50 प्रतिशत, राशि ₹ 706.99 करोड़ को छूट प्राप्त/निल कर दर के आपूर्ति के रूप में दर्शाया गया था। कराधेय व्यक्ति ने ₹ 12.61 करोड़ की आई0टी0सी0 प्राप्त की थी तथा छूट प्राप्त/बिना कर दर आपूर्ति के अनुपात में ₹ 4.27 करोड़ की आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया था। लेखापरीक्षा के अनुसार छूट प्राप्त/निल कर दर आपूर्ति के अनुपात में 73.50 प्रतिशत आई0टी0सी0, राशि ₹ 9.27 करोड़ को उत्क्रमित करने की आवश्यकता थी, लेकिन मात्र 33.86 प्रतिशत आई0टी0सी0, राशि ₹ 4.27 करोड़ को कराधेय व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.00 करोड़ की आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमण हुआ।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कर कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(स) आई0टी0सी0 में भिन्नता

(i) जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–2ए के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता का होना

जीएसटीआर–2ए क्रय से सम्बन्धित एक गतिशील कर विवरणी है जो मा0से0क0 पोर्टल द्वारा प्रत्येक कराधेय व्यक्ति के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर–1 दाखिल करता है, तो जानकारी जीएसटीआर–2ए में अंकित

हो जाती है। यह विक्रेता के जीएसटीआर–1 से कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी दिए गए माह में क्रय किए गये माल एवं सेवाओं की जानकारी को स्वचालित रूप से दर्ज कर देता है। जीएसटीआर–2ए के अनुसार आई0टी0सी0 की उपलब्धता, कराधेय व्यक्तियों द्वारा मासिक जीएसटीआर–3बी एवं वार्षिक जीएसटीआर–9 के माध्यम से समायोजनों सहित प्राप्त आई0टी0सी0 के साथ मेल खाना चाहिए।

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, कराधेय व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए तथा विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और 42 खण्डों में पाया कि 44 कराधेय व्यक्तियों ने जीएसटीआर–3बी {जीएसटीआर–9 के तालिका 4ए(5)–4बी(2)+तालिका 8(सी)} में ₹ 959.61 करोड़ की आई0टी0सी0 प्राप्त की थी, जबकि जीएसटीआर–2ए के अनुसार वे केवल ₹ 875.08 करोड़ की आई0टी0सी0 के पात्र थे। इस प्रकार ₹ 84.53 करोड़ के अधिक आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया गया, जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि पाँच प्रकरणों में ₹ 4.07 करोड़ की वसूली कर ली गयी है, छः प्रकरणों में ₹ 2.91 करोड़ का कर लगाया गया, तीन प्रकरणों में ₹ 22.20 करोड़ की शास्ति लगायी गयी, 22 प्रकरणों में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61/73/74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया, एक प्रकरण में कर लगाया गया लेकिन कराधेय व्यक्ति ने अपील दायर की है तथा तीन प्रकरणों में जाँच प्रक्रियाधीन है। चार प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले ही कार्यवाही कर ली थी **(परिशिष्ट–XII)**।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा ने खण्ड–20 लखनऊ में मेसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZU के वर्ष 2017–18 के विवरणियों जीएसटीआर–3बी एवं 2ए की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने जीएसटीआर–3बी में ₹ 7.93 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था, जबकि जीएसटीआर–2ए के अनुसार वह केवल ₹ 3.32 करोड़ की आई0टी0सी0 के पात्र थे। इस प्रकार ₹ 4.61 करोड़ के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था, जिसे कराधेय व्यक्ति से वसूल किए जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि 26 मई 2023 को कराधेय व्यक्ति को डीआरसी–01 निर्गत किया गया था। अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने ₹ 3.54 करोड़ जमा कर दिया है। आरोपित ब्याज के साथ ₹ 1.07 करोड़ की अवशेष राशि अभी जमा की जानी है।

(ii) आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 का अधिक लाभ प्राप्त करना

आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर–3बी एवं वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 से सम्बन्धित डेटासेट की तुलना करके यह जाँचने के

लिए किया गया था कि क्या आर0सी0एम0 के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का निर्वहन पूर्ण रूप से किया गया है। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ जीएसटीआर–9 दाखिल किया गया था, तालिका 4जी में आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में प्राप्त आई0टी0सी0 से की गयी थी। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ जीएसटीआर–9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर–3बी की तालिका 3.1(डी) में किये गये आर0सी0एम0 भुगतान की तुलना जीएसटीआर–3बी के तालिका 4(ए)(2) और 4ए(3) से की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों जीएसटीआर–3बी, जीएसटीआर–9 एवं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जाँच की और तीन खण्डों में पाया कि तीन कराधेय व्यक्तियों ने जीएसटीआर–9/3बी में ₹ 55.39 लाख के आई0टी0सी0 का दावा किया था, जबकि जीएसटीआर–3बी में केवल ₹ 15.96 लाख के कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप कर के भुगतान के बिना आर0सी0एम0 के अन्तर्गत ₹ 39.43 लाख की अधिक आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया गया, जैसा कि **तालिका 2.15** में वर्णित है।

तालिका 2.15 : आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 का अधिक लाभ प्राप्त करना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आर0सी0एम0 पर प्राप्त आई0टी0सी0 {(जीएसटीआर–9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में) और (3बी के प्रकरण में– 4ए(2)+4ए(3))}	जीएसटीआर–3बी में आर0सी0एम0 पर भुगतान किया गया कर {तालिका 6.1 (बी)}	आर0सी0एम0 पर कर का भुगतान न किया जाना– कम भुगतान करना
1.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 23 रा0क0 कानपुर	2.90	1.93	0.97
2.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 9 रा0क0 लखनऊ	37.50	13.31	24.19
3.	09XXXXXXXXXX2ZG	खण्ड 2 रा0क0 रामपुर	14.99	0.72	14.27
योग			**55.39**	**15.96**	**39.43**

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 के लिए खण्ड–9 लखनऊ के अन्तर्गत मेसर्स जेबी ट्रेडिंग, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZM के विवरणियों जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–9 की जाँच की और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने आर0सी0एम0 के अन्तर्गत ₹ 37.50 लाख के आई0टी0सी0 का दावा किया था, जबकि आर0सी0एम0 (जीएसटीआर–3बी, कालम 6.1.बी) के विरुद्ध केवल ₹ 13.31 लाख के कर का भुगतान

किया गया था। इस प्रकार कराधेय व्यक्ति द्वारा कर भुगतान के बिना ₹ 24.19 लाख के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि एएसएमटी–10 में नोटिस निर्गत किया गया है।

2.6.3.4 कर दायित्व का निर्वहन

मा0से0क0 के प्रकरण में कराधेय घटना माल एवं/या सेवाओं की आपूर्ति है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी अन्तर–राज्य आपूर्ति पर, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर जो प्रत्येक अधिनियम, यानी उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम एवं के0मा0से0क0 अधिनियम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत से अधिक न हो, केन्द्रीय/राज्य माल एवं सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रहण को अधिकृत करने वाली आरोपणीय धारा है। ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5 माल एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से ए0मा0से0क0 लगाने एवं संग्रहण का अधिकार केन्द्र सरकार को देती है।

माल एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अन्तर्गत, ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय और अन्तर–राज्य आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है, जो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है जैसे कि तम्बाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 9(4) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ माल या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(अ) आपूर्ति का छूट जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 7 आपूर्ति को परिभाषित करती है, जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को बढ़ाने के क्रम में किए जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार जैसे कि बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिये करार पाया गया, शामिल हैं। इसमें प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात भी शामिल है चाहे वह व्यापार के बढ़ाने के क्रम में हो अथवा नहीं। यह एक समावेशी परिभाषा है, मुख्य तत्व हैं (1) आपूर्ति माल या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति प्रतिफल के लिए की गयी हो, (3) आपूर्ति व्यवसाय को आगे बढ़ाने के क्रम की गयी हो, (4) आपूर्ति कराधेय व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, एवं (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची–I में कुछ ऐसी गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया है जो बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति के रूप में मानी जाएंगी। अनुसूची–II कुछ गतिविधियों या लेनदेन को माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 8 संयुक्त एवं मिश्रित आपूर्ति से सम्बन्धित है।

खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद में कराधेय व्यक्ति मेसर्स न्यूटेक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZL के वर्ष 2017–18 के लिए

विवरणियों, लाभ और हानि खाता एवं मूल्य संवर्धित कर (वैट) अवधि के कर निर्धारण आदेश की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति ने अपने जीएसटीआर–3बी में न तो आपूर्ति का कोई टर्नओवर और न ही कोई कर देनदारी घोषित की थी। यद्यपि, वर्ष 2017–18 के लिए लाभ और हानि खाता में कराधेय व्यक्ति ने, परिचालन से राजस्व शीर्ष में ₹ 1.52 करोड़ दर्शाया था। अग्रेतर, वर्ष 2017–18 (वैट) के कर निर्धारण आदेश की जाँच करने पर यह पाया गया कि आपूर्ति का टर्नओवर ₹ 65.45 लाख निर्धारित किया गया था। इस प्रकार मा0से0क0 अवधि में कराधेय व्यक्ति द्वारा आपूर्ति के अन्तरीय टर्नओवर ₹ 86.17 लाख की घोषणा नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.17 लाख की आपूर्ति के टर्नओवर पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 4.31 लाख का कर नहीं लगाया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2024)।

(ब) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत कर भुगतान

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं ए0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे, जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा ने 80 में से दो प्रकरणों में अनुपालन कमियां देखीं जिनकी राशि ₹ 4.17 करोड़ थी जो कि कराधेय व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अन्तर्गत गलत तरीके से कर देनदारी का निर्वहन करने के कारण कर की कम वसूली हुई।

देखी गयी अनियमितताएं नीचे **तालिका 2.16** में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 2.16 : आर0सी0एम0 के अन्तर्गत दो प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	क्षेत्राधिकार कार्यालय	आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 का लाभ उठाया गया {(जीएसटीआर–9 की तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में) तथा (3बी के प्रकरण में– 4ए(2)4ए(3))}	आर0सी0एम0 पर भुगतान किया गया कर {(जीएसटीआर9 की तालिका 4जी में) एवं (जीएसटीआर–3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(डी))}	आर0सी0एम0 पर कर का भुगतान न किया जाना– कम भुगतान करना
1.	09XXXXXXXXXX1ZO	ज्वा0कमि0 का0स0 रा0क0 अयोध्या	3.77	0	3.77
2.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 16 रा0क0 कानपुर	0.40	0	0.40
योग			**4.17**	**0**	**4.17**

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) रा0क0 अयोध्या के अन्तर्गत मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZO के वार्षिक विवरणी जीएसटीआर–9 एवं इलेक्ट्रानिक कैश लेजर की जाँच में आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर के कम भुगतान का पता चला। जीएसटीआर–9 की तालिका 4जी[45] के अनुसार आर0सी0एम0 के अन्तर्गत देय कर ₹ 3.77 करोड़ था जबकि इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में वर्ष 2017–18 के लिए आर0सी0एम0 के विरुद्ध कर भुगतान के लिए कोई डेबिट प्रविष्टि नहीं की गयी थी। इस प्रकार आर0सी0एम0 देनदारी के विरुद्ध नकद में ₹ 3.77 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया गया था। खण्ड द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2022)।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्तियों को नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

(स) अन्य अवलोकन

लेखापरीक्षा ने कर देनदारी और शास्ति न लगाए जाने के ₹ 67.32 करोड़ की राशि के 33 विसंगतियों/भिन्नता के प्रकरण भी देखे, जो नीचे दिए गए हैं:

(i) जीएसटीआर–1/जीएसटीआर–9 में स्वीकार की गयी कर देयता एवं जीएसटीआर–9 में दिखाए गए कर भुगतान में भिन्नता

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–1, जीएसटीआर–9 के प्रासंगिक डेटा और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर–9 में भुगतान किए गए कर से की गयी थी। जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–9 के मध्य अधिक कर देनदारी को विचार में लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में पंजीकृत 80 नमूना कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और 21 खण्डों[46] में पाया कि 23 पंजीकृत व्यक्तियों पर जीएसटीआर–1 अथवा जीएसटीआर–9 (जो भी अधिक हो) के अनुसार कुल ₹ 1,806.95 करोड़ की कर देयता थी, जबकि जीएसटीआर–9 के (तालिका 9+तालिका 14–तालिका 4जी) के अनुसार वास्तविक कर भुगतान ₹ 1,746.16 करोड़ का ही किया गया था। इस प्रकार कराधेय व्यक्तियों ने उच्च मूल्य विचलन प्रदर्शित किया, जिससे ₹ 60.79 करोड़ के कर का संभावित कम भुगतान हुआ जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

---

[45] वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 की सारणी 4जी ने सम्पूर्ण वर्ष के लिए आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान को दर्शाया है।

[46] खण्ड 4 रा0क0 बस्ती, खण्ड 3 चंदौली, खण्ड 6, 10 और 17 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 16 एवं 23 रा0क0 कानपुर, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–I रा0क0 लखनऊ, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II रा0क0 लखनऊ, खण्ड 9, 12 एवं 22 रा0क0 लखनऊ, कोसीकलां रा0क0 मथुरा, खण्ड 11 रा0क0 मेरठ, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0 रेंज–ए रा0क0 नोएडा, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–रेंज–बी रा0क0 नोएडा, सेक्टर 5, 9 एवं 14 रा0क0 नोएडा, खण्ड–1 रायबरेली, खण्ड 1 रा0क0 उन्नाव।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दो प्रकरणों में ₹ 22.16 लाख की वसूली कर ली गयी है, एक प्रकरण में डीआरसी–07 के माध्यम से ₹ 13.96 लाख का कर लगाया गया है, एक प्रकरण में ₹ 8.45 करोड़ का कर लगाया गया लेकिन कराधेय व्यक्ति ने अपील दायर की है, तीन प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी तथा 14 प्रकरणों में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61/73/74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया। एक प्रकरण में, विभाग ने लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व ही कार्यवाही कर ली है एवं एक प्रकरण में, उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया **(परिशिष्ट–XIII)**।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

मेसर्स भारतीय भाइयों की दुकान, जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1Z9, खण्ड 4 रा0क0 बस्ती के वर्ष 2017–18 के विवरणियों जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–9 की जाँच के दौरान यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति पर जीएसटीआर–1 के अनुसार ₹ 21.47 लाख की कर देनदारी थी तथा जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देनदारी ₹ 37.96 लाख थी, जबकि इसने जीएसटीआर–9 के अनुसार ₹ 21.47 लाख के कर का भुगतान किया। इस प्रकार जीएसटीआर–9 के अनुसार ₹ 16.48 लाख की कर देनदारी का भुगतान नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी–03 दिनाँक 03 नवम्बर 2022 एवं 01 मई 2023 के माध्यम से ₹ 17.16 लाख का कर जमा किया गया है।

(ii) जीएसटीआर–1 में कर देनदारी और जीएसटीआर–3बी में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता का होना

अनिर्वहित कर देनदारी का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–3बी के प्रासंगिक डेटा और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर–3बी में घोषित कर भुगतान के साथ की गयी थी। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर–1 एवं 3बी में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 72 खण्ड कार्यालयों में पंजीकृत नमूना के 80 कराधेय व्यक्तियों के विवरणियों की जाँच की और नौ खण्डों[47] में पाया कि नौ कराधेय व्यक्तियों पर जीएसटीआर–1 के अनुसार कुल ₹ 17.45 करोड़ की कर देयता थी, जबकि जीएसटीआर–3 बी के अनुसार भुगतान किया गया वास्तविक कर ₹ 10.99 करोड़ था। इस प्रकार कराधेय व्यक्तियों ने उच्च मूल्य विचलन प्रदर्शित किया, जिससे ₹ 6.46 करोड़ के कर का संभावित कम भुगतान हुआ जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 **(परिशिष्ट–XIV)** के प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य था।

[47] खण्ड 1 रा0क0 बलिया, खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर, खण्ड 4 रा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2 रा0क0 हरदोई, खण्ड 2 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 6 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 16 रा0क0 लखनऊ, खण्ड 2 रा0क0 मुजफ्फरनगर एवं खण्ड 1 रा0क0 सिद्धार्थनगर।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दो प्रकरणों में ₹ 7.30 लाख की वसूली कर ली गयी है, एक प्रकरण में डीआरसी–07 के माध्यम से ₹ 18.65 लाख का कर लगाया गया, धारा 122(1)(ii)[48] के अन्तर्गत दो प्रकरणों में ₹ 5.93 करोड़ का शास्ति लगाया गया, चार प्रकरणों में उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73/74 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया।

(iii) स्वीकृत कर जमा न करने पर शास्ति न लगाया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि करापवंचन के लिए, धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी अन्य कारण से, किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश वापस कर दिया गया है, या जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, वह कर से प्रभार्य ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसका भुगतान नहीं किया गया है या जिसका कम भुगतान किया गया है या जिसे त्रुटिवश प्रतिदाय कर दिया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है या उपयोग किया है, यह कारण बताने की आवश्यकता के साथ कि उसे धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि और इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शास्ति का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

उचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कर की राशि, ब्याज और कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये के बराबर शास्ति, जो भी अधिक हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय हो, निर्धारित करेगा और एक आदेश निर्गत करेगा।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के महीनों के लिए मैसर्स गोर्रा स्पेशलिटीज लिमिटेड, कोसीकलां जीएसटीआईएन–09XXXXXXXXXX1ZD के जीएसटीआर–3बी, जीएसटीआर–1, कैश लेजर एवं क्रेडिट लेजर की जाँच किया और पाया कि कराधेय व्यक्ति ने जीएसटीआर–1 में ₹ 65.99 लाख की कर देनदारी स्वीकार की, जिसमें से ₹ 75,990.00 का भुगतान नवम्बर 2017 के महीने में आई0टी0सी0 के माध्यम से किया गया था। शेष कर ₹ 65.23 लाख[49] का भुगतान न तो नकद में किया

[48] धारा 122–कुछ अपराधों के लिए शास्ति–(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना कोई चालान या बिल जारी करता है, तो वह दस हजार रुपये की शास्ति या कर चोरी के बराबर राशि या धारा 51 के अन्तर्गत न काटे गये कर या कम काटे गये कर या काटा गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या धारा 52 के अन्तर्गत कर एकत्र नहीं किया गया या कम एकत्र या एकत्र किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया या अग्रेषित किया गया या अनियमित रूप से वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से रिफण्ड का दावा किया गया, जो भी अधिक हो का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

[49] ₹ 65.23 लाख की कर देनदारी की भिन्नता पर टिप्पणी को "जीएसटीआर–1/जीएसटीआर 9 में कर देनदारी और जीएसटीआर 9 में दर्शाये गये कर भुगतान में भिन्नता" शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ा गया है।

गया था और न ही आई0टी0सी0 के माध्यम से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार लगाया जाने वाला **₹** 6.52 लाख के शास्ति को नहीं लगाया गया।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

संस्तुति 5: विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

2.7 जनशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल कामकाज के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और उसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान निर्णायक प्राधिकारी (डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी) एवं अन्य सहायक कर्मचारियों (प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, लेजर कीपर, कनिष्ठ सहायक आदि) के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग की स्वीकृत और कार्यशील शक्ति **तालिका: 2.17** में दिया गया है।

तालिका 2.17 : जनशक्ति की अपर्याप्तता

वर्ष	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2017–18	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,464	644	20.72%
	सहायक कर्मचारी	13,906	7,697	6,209	44.64%
2018–19	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,466	642	20.66%
	सहायक कर्मचारी	13,904	6,745	7,159	51.48%
2019–20	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,519	589	18.95%
	सहायक कर्मचारी	13,903	6,785	7,118	51.19%
2020–21	निर्णायक प्राधिकारी	3,108	2,464	644	20.72%
	सहायक कर्मचारी	13,903	6,442	7,461	53.66%

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2017–18 से 2020–21 के दौरान, निर्णायक प्राधिकारी के सम्बन्ध में रिक्त पद 18.95 से 20.72 प्रतिशत के मध्य थे। अग्रेतर, सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिक्त पद 44.64 से 53.66 प्रतिशत के मध्य थे। पर्याप्त जनशक्ति के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता को प्रभावित किया है जो विवरणियों की जाँच की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के प्रकरणों में कार्यवाही की कमी आदि से स्पष्ट है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्णय लेने वाले अधिकारियों को 1 जुलाई 2017 से BOWEB एक्सेस दिया गया था, जबकि सहायक कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 से एक्सेस की अनुमति दी गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मचारी जुलाई 2017 से सितम्बर 2022 के दौरान मा0से0क0 कार्य के सम्बन्धित पक्ष में शामिल नहीं थे।

प्रकरण शासन एवं विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2023)। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि रिक्तियों को भरने का मुद्दा समय–समय पर शासन के समक्ष उठाया जाता है।

2.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रारम्भ नहीं की गयी

किसी संगठन का आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह संगठन को खुद को आश्वस्त करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रूप से अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

नियोजित इकाइयों[50] की संख्या, आच्छादित की गयी इकाइयों की संख्या, नियोजित वाह्य लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या और आन्तरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित शून्य रिपोर्ट की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि 'माडल आल इण्डिया जीएसटी लेखापरीक्षा मैनुअल 2023' मार्च 2023 में लाया गया है और अब मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा शुरू कर दिया गया है।

2.9 निष्कर्ष

मा0से0क0 भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा), विवरणी दाखिल करने की अलग–अलग प्रवृत्ति और विवरणी दाखिल करने तथा कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आंकलन करने के उद्देश्य से निर्गत डेटा विसंगतियों के अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निरीक्षण कार्य के सन्दर्भ में की गयी थी।

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017–18 के लिए दाखिल मा0से0क0 विवरणियों में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैग और कुछ प्रकरणों में नियम–आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया था। लेखापरीक्षा में दो स्तरों पर राज्य क्षेत्राधिकार गठन के निरीक्षण कार्यों का आंकलन करना शामिल था, वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर खण्डों/जोनों तथा मा0से0क0 विवरणियों दोनों का गहन विस्तृत लेखापरीक्षा, जिसमें करदाताओं के अभिलेखों का परीक्षण शामिल था। इसलिए लेखापरीक्षा नमूने में 20 जोन, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 15 मापदण्डों के 462 उच्च मूल्य विसंगतियां तथा वर्ष 2017–18 के लिए मा0से0क0 विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित किये गए 80 करदाता शामिल थे।

10 खण्डों की समीक्षा से पता चला कि खण्डों द्वारा विवरणियां दाखिल करने की निगरानी, विवरणियों की जाँच, लेखापरीक्षा, करदाता अनुपालन और पंजीकरण रद्द करने जैसे आवश्यक निरीक्षण कार्यों का अनुपालन अपर्याप्त था।

सीमित लेखापरीक्षा में जोखिम मापदण्डों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी जैसे कि वार्षिक विवरणियों एवं लेखा पुस्तकों के मध्य प्राप्त आई0टी0सी0 की भिन्नता, जीएसटीआर–9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता, लेखा पुस्तकों एवं

[50] कर निर्धारण खण्ड, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन, सचल दस्ता इकाई आदि।

विवरणियों के मध्य भुगतान किए गए कर में भिन्नता तथा ब्याज का कम/भुगतान न किया जाना आदि।

मा0से0क0 विवरणियों के विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का सुझाव दिया गया। कुछ आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट आदि नौ प्रकरणों में प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप दायरा सीमित हो गया। पायी गई मुख्य कमियों में अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ लेना, कर जमा न करने पर शास्ति न लगाना, ब्याज न लेना और आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर का गलत निर्वहन शामिल था।

इस अध्याय में बताई गई अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने एवं बकाएदारों से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए खण्डों में संस्थागत तन्त्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.10 संस्तुतियों का सारांश

संस्तुतियां इस प्रकार हैं:

1. विभाग विवरणियों की जाँच की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा के अन्दर पूर्ण कर सकता है।

2. चूँकि मा0से0क0 स्व–मूल्यांकन कर व्यवस्था है और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा मुख्य उपकरणों में से एक है, विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बकायादारों के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। विभाग लेखापरीक्षा में बताए गए बकायों की समय पर वसूली भी सुनिश्चित कर सकता है।

3. विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जानकारी बनाए रखने और निरीक्षण कार्यों पर समय पर कार्यवाही करने और इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा करने का निर्देश दे सकता है।

4. विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए मा0से0क0 विवरणी में सत्यापन नियन्त्रण शुरू करने पर विचार कर सकता है।

5. विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

अध्याय-III

स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

अध्याय–III: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

3.1 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधिनियम), 1899, निबन्धन अधिनियम 1908, तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। इस तरह के शुल्क का भुगतान विलेखों के निष्पादकों द्वारा मुद्रित स्टाम्प पेपर अथवा ई–स्टाम्प द्वारा किया जाता है। निबन्धन अधिनियम, 1908 और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम निबन्धन फीस के निर्धारण और संग्रहण की प्रणाली को व्यापक रूप से रेखांकित करते हैं। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्तियों का मूल्यांकन विर्निदिष्ट किया जाता है। उप निबन्धक या निबन्धन अधिकारी उनके सामने प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करता है एवं देखता है कि वे अनुमन्य समय के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं तथा दस्तावेज भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 के अनुसार उचित रूप से स्टाम्पित है।

3.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियन्त्रण का कार्य प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक, निबन्धन (म0नि0नि0) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख होते हैं। वह निबन्धन कार्य के अधीक्षण एवं प्रशासन हेतु अधिकृत है। म0नि0 की सहायता क्रमशः मुख्यालय स्तर पर चार अपर महानिरीक्षकों, मुख्यालय/मण्डल स्तर पर 23 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) और तहसील स्तर पर 372 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है। संगठनात्मक ढाँचे का वर्णन नीचे **चार्ट–3.1** में दिया गया है।

चार्ट–3.1–संगठनात्मक ढाँचा

3.3 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की 438 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से कार्यालय महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं 64 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) (15 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गयी। 65 इकाईयों में अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा में 316 मामलों में ₹ 149.11 करोड़ की धनराशि की कमियाँ और अनियमितताएं पायी गयीं, जैसा कि **तालिका–3.1** में वर्णित है।

तालिका–3.1

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	204	24.02
2.	विलेखों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण स्टाम्प एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	34	11.78
3.	अन्य अनियमिततायें[1]	78	113.31
योग		**316**	**149.11**

3.4 बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से बन्धक विलेखों पर ₹ 2.57 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

भारतीय स्टाम्प (भा0स्टा0) अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत बन्धक विलेखों (बिना कब्ज़ा) पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। राज्य सरकार की अधिसूचना[2] दिनाँक 25 मई 2001 के अनुसार बन्धक विलेखों पर आरोपणीय[3] स्टाम्प शुल्क से, धनराशि की उस सीमा तक जो ₹ पाँच लाख से अधिक है, को माफ कर दिया गया। अनुवर्ती अधिसूचना[4] दिनाँक 10 जुलाई 2008 के द्वारा शासन ने पूर्व में निर्गत अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए स्टाम्प शुल्क आरोपण (बन्धक बिना कब्जा के किसी भी विलेख पर), ₹ पाँच लाख की सीमा का उल्लेख किये बिना, उस सीमा तक जो ऐसे विलेखों द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर प्रत्येक एक हजार रूपया

---

[1] भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण, राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं होना तथा सड़क एवं आबादी के गाटा संख्या की संशोधित मूल्याँकन सूची को दर सूची का हिस्सा न बनाया जाना आदि।

[2] अधिसूचना सं0.का0नि0–5–3139/II-2001–500(121)/2000 टी0सी0 दिनाँक 25 मई, 2001।

[3] अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड ख और ग के अधीन।

[4] अधिसूचना सं0.का0नि0–5–2758/XI-2008–500(159)–2006 लखनऊ दिनाँक 10 जुलाई, 2008।

(0.5 प्रतिशत) या उसके भाग पर ₹ पाँच की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक है, छूट प्रदान की गयी।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973[5] (उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973) प्रावधानित करती है कि भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो किसी विकास क्षेत्र में स्थित हो, उस मूल्य अथवा प्रतिफल की धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया है, को दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने उप निबन्धक, सरोजिनी नगर, लखनऊ कार्यालय में अगस्त 2021 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान पंजीकृत 480 बन्धक विलेखों (कुल 50,995 पंजीकृत अभिलेखों में से) की नमूना जाँच की (अगस्त 2022) एवं पाया कि चार बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) जिनकी सुरक्षित धनराशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, ऋण की अदायगी/परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन को सुरक्षित रखने हेतु विलेख के रूप में निष्पादित और निबन्धित किया गया था। बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित अधिनियमों और उसके अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के क्रम में, ऐसे विलेखों द्वारा सुरक्षित धनराशि पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आगणन क्रमशः 0.5 प्रतिशत और दो प्रतिशत की दर से किया जाना था।

यद्यपि, इन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्व अधिसूचना दिनाँक 25 मई 2001 को लागू करते हुये मात्र ₹ पाँच लाख तक सीमित कर दिया गया था। यह संशोधित अधिसूचना दिनाँक 10 जुलाई 2008 की दृष्टि से सही नहीं था जो 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क को आरोपित करने के लिये, ₹ पाँच लाख को किसी सीमा का उल्लेख किये बिना, प्रावधान करता है। अग्रेतर, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्राधिकार के अन्तर्गत आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अर्न्तगत माफ/कम नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, उ0नि0का0 अधिनियमों के प्रावधानों व अधिसूचना दिनाँक 10 जुलाई 2008 को लागू करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹ 2.57 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दर्शाया गया है।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

3.5 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 विशेष रूप से यह प्रावधानित करती है कि "प्रतिफल (यदि हो) और अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो विलेख पर शुल्क की

[5] धारा 39 के खण्ड (1)।

प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें सम्पूर्णता और सत्यतापूर्वक व्यक्त किये जाएगें" जिसका अर्थ है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले सभी तथ्य जैसे कि भूमि की प्रकृति (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक), निर्माण, सड़क से दूरी, इत्यादि का निष्पादनकर्ताओं द्वारा लेखपत्र में सत्यतापूर्वक उल्लेख किया जाये। हस्तान्तरण विलेख पर अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) द्वारा निर्गत दिशानिर्देश दिनाँक 05 जून 2003 के अनुसार, एक ही गाटा[6] संख्या में अलग–अलग दर यानी आवासीय और कृषि दर पर स्टाम्प शुल्क लगाकर भूखण्डों के निबन्धन को गलत करार दिया गया। म0नि0नि0 द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँक 27 नवम्बर 2018 के अनुसार, सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करने एवं कम स्टाम्प शुल्क अरोपित करने का अधिकार कलेक्टर स्टाम्प के पास निहित है। बाजार मूल्य निर्धारित करते समय कलेक्टर स्टाम्प लेखपत्र निष्पादन की तिथि के सन्दर्भ में सम्पत्ति के बाजार मूल्य की जाँच करेंगे तथा लेखपत्र निष्पादन की तिथि को अन्तरित सम्पत्ति की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य विनिश्चय करेंगे।

लेखापरीक्षा ने नौ उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0)[7] की नमूना जाँच (अगस्त 2022 और नवम्बर 2022 के मध्य) में मार्च 2017 से सितम्बर 2022 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की। इन नौ उप निबन्धक कार्यालयों में यह देखा गया कि 40 विक्रय विलेखों (23,305 नमूना जाँच में से) में विक्रीत भूमि को मुख्य सड़क और आबादी से दूर, 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि गतिविधियों के होने एवं भूमि के क्रय करने का उद्देश्य कृषि दर्शाया गया था। अग्रेतर, सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत अन्य विक्रय विलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि प्रश्नगत[8] विक्रय विलेखों में दर्शाये गये आराजी संख्याओं में, आवासीय भूखण्डों को प्रश्नगत विक्रय विलेखों के निबन्धन से पूर्व एवं पश्चात में विक्रय किया गया था। कुछ मामलों में, एक ही आराजी संख्या में मकान और भूखण्ड थे। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निष्पादकों ने जानबूझकर करापवंचन के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाया, जो कि भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 27 का उल्लंघन है।

यद्यपि, लेखपत्रों का पंजीकरण *प्रेरणा* साफ्टवेयर के माध्यम से आन–लाइन मोड में किया जा रहा है, निबन्धनकर्ता प्राधिकारी उसी आराजी में निष्पादित विक्रय विलेखों की तुलना में निबन्धन के लिए प्रस्तुत भूमि की महत्ता के निर्धारण में साफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के रूप में ₹ 2.28 करोड़ की धनराशि का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दर्शाया गया है।

---

6 आराजी/खसरा/गाटा किसी क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व की संख्या को दर्शाता है।

7 उ0नि0 सदर चतुर्थ लखनऊ, सरोजिनी नगर लखनऊ, पिण्डरा वाराणसी, सदर मऊ, सदर चंदौली, सदर बलिया, सदर करछना प्रयागराग, सदर–तृतीय अलीगढ़, सदर ग्रेटर नोएडा, जी0बी0 नगर।

8 प्रश्नगत विलेख ऐसे विलेख हैं जिन पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस की कम वसूली को इंगित किया गया है। इन विलेखों का उल्लेख प्रस्तर के परिशिष्ट– XVI में बोल्ड अक्षरों में किया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को (जनवरी 2023 से मार्च 2023) विभाग को प्रतिवेदित किया था। उप निबन्धक पिण्डरा, वाराणसी के दो प्रकरणों में एवं उप निबन्धक बलिया के सात प्रकरणों में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (क्रमशः मई 2023 एवं जुलाई 2023) एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं बलिया के न्यायालय में स्टाम्प वाद दर्ज किया। शेष 31 प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2024)।

अध्याय-IV

खनन प्राप्तियाँ

अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

4.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियन्त्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी अग्रेतर सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) देय एवं भुगतान योग्य रायल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी हैं।

4.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश की 80 इकाईयों में से 33 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में रायल्टी कम/न वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमित्ताओं में सन्निहित ₹ 249.41 करोड़ धनराशि के 6,188 मामले प्रकाश में आये, जैसा कि **तालिका–4.1** में वर्णित है।

तालिका–4.1

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	रायल्टी न वसूल किया जाना	1,825	63.53
2	खनिज मूल्यों की वसूली न किया जाना	176	6.75
3	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	42	8.65
4	शास्ति का अनारोपण	105	20.50
5	अन्य अनियमिततायें[1]	4,040	149.98
योग		**6,188**	**249.41**

[1] भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एमएम–11 प्रपत्रों का सत्यापन न किये जाने के कारण राजस्व की हानि, लाइसेंसधारियों/ पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में योगदान, ब्याज नहीं लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि एवं बकाएदारों से राशि की वसूली न किया जाना।

4.3 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय अंशदान और/या रायल्टी की कुल राशि को चार खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल को शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

खनन पट्टे प्रदान करने के लिए पट्टेदारों द्वारा रायल्टी एवं जि0ख0फा0ट्र0 को देय अंशदान (रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि) का किया गया भुगतान प्रतिफल है। खनन पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस[2] आरोपणीय है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0अ0) की अनुसूची I–ख का अनुच्छेद 35 (ख) (एक) प्रावधानित करता है कि जहाँ लीज 30 वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है, वहाँ स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रभार्य होना चाहिए जो ऐसा जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। इन पट्टा विलेखों पर दो/चार[3] प्रतिशत प्रतिफल का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकरण (I) कहता है कि जब पट्टाधारक ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेस या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे धनराशियाँ जिनको अदा करने की सहमति पट्टाधारक द्वारा की गयी हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि जि0खा0का0, गाजियाबाद में जून 2018 और नवम्बर 2021 के बीच पाँच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किये गये चार खनन पट्टा विलेखों में जि0ख0फा0ट्र0 को देय अंशदान को स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के प्रभार्यता के लिए प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया था। अग्रेतर, यह पाया गया कि इन चार मामलों में से दो में, केवल रायल्टी की आंशिक राशि को प्रतिफल में शामिल किया गया था। इन पट्टा विलेखों में ₹ 174.99 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 5.62 करोड़ प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के विरूद्ध ₹ 122.57 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 4.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया था। इस प्रकार, शासन ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस के कम आरोपण के कारण राजस्व से वंचित रहा (**परिशिष्ट-XVII**)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

---

2 निबन्धन फीस 12.02.2020 तक ₹ 20,000 देय था। दिनाँक 13.02.2020 से, प्रतिफल राशि का एक प्रतिशत की दर से निबन्धन फीस देय था।

3 किसी विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के मामले में।

4.4 पट्टेदारों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में अंशदान जमा न किया जाना

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय ₹ 2.27 करोड़ का अंशदान दो पट्टेदारों द्वारा जमा नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने (मई 2017) उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 अधिसूचित[4] किया जिसे 12 जनवरी 2015 से प्रभावी माना गया। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज रियायत/परमिट धारक रायल्टी के अतिरिक्त एक धनराशि जो रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर हो या जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए, उस जिले के ट्रस्ट को भुगतान करेगा जिसमें खनन कार्य किया जाता है। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित खनन अधिकारी ट्रस्ट निधि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा और इसे ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी भी अनुसूचित बैंक में खोले गए ट्रस्ट के खाते में जमा करेगा।

लेखापरीक्षा ने (मई एवं दिसम्बर 2022) जि0ख0का0, गाजियाबाद के सभी पाँच खनन पट्टा विलेखों के अभिलेखों[5] की नमूना जाँच की और पाया कि पाँच खनन पट्टेदारों में से दो पट्टेदारों ने पट्टा विलेख (अक्टूबर 2020/नवम्बर 2021) प्रारम्भ होने के बाद से जि0ख0फा0ट्र0 खाते में ₹ 2.27 करोड़ की धनराशि दिसम्बर 2022 तक जमा नहीं किया था, जैसा कि **परिशिष्ट– XVIII** में वर्णित है।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2023)। विभाग ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि जि0ख0फा0ट्र0 धनराशि की वसूली के लिए दोनों पट्टेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग से अग्रेतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2024)।

---

4 नोटिफिकेशन सं0 866/86-2017-132/2016 दिनाँक 15-05-2017।

5 पट्टा पत्रावलियाँ एवं चालान।

अध्याय-V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियन्त्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

वाहनों के लिए: विभाग वाहनों के पंजीकरण/नवीनीकरण, स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने/नवीनीकृत करने, सभी प्रकार के परमिट जारी करने/नवीनीकृत करने एवं कर और शास्ति के संग्रह के लिए वाहन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन अक्टूबर 2006 में प्रारम्भ हुआ और अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने वाहन के नवीनतम संस्करण यथा–वाहन 4.0 को जनवरी 2016 और फरवरी 2019 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह एक वेब आधारित प्रणाली है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए: विभाग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण एवं शुल्क और शास्ति वसूलने के लिए सारथी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन जून 2011 में प्रारम्भ हुआ और अप्रैल 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने सारथी के नवीनतम संस्करण यथा–सारथी 4.0 को अक्टूबर 2016 और मई 2018 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह भी एक वेब आधारित प्रणाली है।

---

[1] आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

[2] आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

प्रवर्तन के लिएः ई–चालान ऐप, परिवहन प्रवर्तन शाखा और यातायात पुलिस द्वारा उपयोग के लिए एण्ड्राइड आधारित मोबाइल ऐप और बैक–एंड वेब एप्लिकेशन के माध्यम से यातायात उल्लंघन का प्रबन्धन करने के लिए एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निपटान के लिये इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग जून 2017 से किया जा रहा है।

5.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, परिवहन विभाग की 83 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 29 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 76,645 मामलों में सन्निहित ₹ 753.97 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर, स्वस्थता शुल्क की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **तालिका–5.1** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली	29,340	319.18
2	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन	26,384	19.62
3	जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना	8,621	28.20
4	उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से शास्ति की वसूली न होना	2,144	8.94
5	अन्य अनियमितताएं[4]	10,156	378.03
	योग	**76,645**	**753.97**

5.3 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना

अतिरिक्त कर के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 985 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों पर ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[5], 1997 के अन्तर्गत, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियन्त्रण में कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन को उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त कर, उसके सम्बन्ध में देय कर का अतिरिक्त भुगतान न कर दिया गया हो। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[6], 1997 के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[7], 1998 के अनुसार, जहाँ कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेण्डर माह की 15 तारीख) में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त कर या उसका भाग के लिये (देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान के लिये सम्बन्धित व्यवसायिक नियमों का

---

3 इसमें कार्यालय के प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 17 स0प0का0 एवं 11 स0स0प0का0 शामिल हैं।

4 तीन माह से अधिक समय से समर्पित वाहनों से राजस्व प्राप्त न होना, जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से राजस्व प्राप्त न होना, 15 साल से अधिक वाहनों का पुनः पंजीकृत नहीं होने से राजस्व की हानि, कैरिज बाई रोड, अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि आदि।

5 उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1)।

6 उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 9 (1) एवं (3)।

7 उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 (1) के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 का नियम 24।

मानचित्रण करते समय, अर्थदण्ड प्रावधान को भी वाहन एप्लीकेशन में प्रतिचित्रण किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2020 से सितम्बर 2022 तक की अवधि के लिए दो[8] स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि (मई 2022 और अक्टूबर 2022) उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों के 1,002 नमूना जाँच किए गए मामलों में से 985 में, उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान 1 से 57 माह के विलम्ब से किया गया था। यद्यपि, अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर विभाग ने ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपण एवं वसूल नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में वर्णित है। लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि यद्यपि विभाग ने *वाहन* एप्लिकेशन में अतिरिक्त कर के अलावा अन्य करों के विलम्बित भुगतान के लिए अर्थदण्ड के प्रावधानों को प्रतिचित्रण किया था, लेकिन इसने न तो *वाहन* एप्लिकेशन में अतिरिक्त कर के दण्ड प्रावधानों को प्रतिचित्रण किया था और न ही इसे मैनुअल रूप से आरोपित एवं वसूला गया था। *वाहन* एप्लिकेशन में अर्थदण्ड प्रावधानों के प्रतिचित्रण से एप्लिकेशन प्रणाली द्वारा अर्थदण्ड की स्वचालित गणना की सुविधा मिल जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2022)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

5.4 बिना परमिट नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति के भुगतान के बिना संचालित होने वाले वाहन

बिना परमिट के संचालित 1,222 वाहनों पर आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम[9], 1988 के अन्तर्गत, अस्थायी परमिट के अलावा कोई भी परमिट पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा एवं मोटर वाहन स्वामी बिना परमिट के किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में न वाहन का उपयोग करेगा न करने की अनुमति देगा। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[10] में नये परमिट के जारी करने, इसके नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क के लिए दरें निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दरों का पुनरीक्षण[11] (फरवरी 2019) किया गया। अग्रेतर, बिना परमिट के वाहन का संचालन, मो0या0 अधिनियम[12] के अन्तर्गत ₹ 10,000 की दर[13] से प्रशमन योग्य है।

महामारी के कारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स0प0रा0मं0) ने उन वाहनों के परमिट की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[14] दी थी, जिनकी परमिट की वैधता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गई थी।

वाहन के डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि (मई 2022 से अक्टूबर 2022) के दौरान, विभिन्न परमिट के अन्तर्गत आच्छादित 39,918 परिवहन वाहन दो[15] स0प0अ0 में पंजीकृत थे। इनमें से, 1,222 वाहनों के परमिट की वैधता जनवरी 2020 से सितम्बर 2022 के दौरान समाप्त हो गई थी।

8 स0प0का0 गाजियाबाद एवं स0प0का0 कानपुर।

9 मो0या0 अधिनियम की धारा 81 और 66।

10 उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 125।

11 अधिसूचना संख्या 4/2019/215/30–4–2019–4(02)/2010 दिनांक 26 फरवरी 2019।

12 मो0या0 अधिनियम की धारा 192ए।

13 आदेश दिनाँक 30.07.2020 के द्वारा।

14 स0प0रा0मं0 अधिसूचना संख्या आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनाँक 30 सितम्बर 2021।

15 स0प0अ0 गाजियाबाद एवं स0प0अ0 कानपुर।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा के समय तक इन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि न तो इन वाहनों के स्वामियों ने वाहनों का उपयोग नहीं होने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण किया था और न ही विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त किया था। इन वाहनों के सम्बन्ध में परमिट की समाप्ति के बाद की अवधि तक के लिए कर का भुगतान किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि ये वाहन बिना परमिट के सड़क पर संचालित थे। इन वाहनों के स्वामियों से आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क और शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ की वसूली नहीं की गई, जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2022)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

5.5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997[16] (28 अक्टूबर 2009 को यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया हो। यद्यपि, नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहनों को अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

रा0प0उ0 की बसों पर उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की दर नीचे **तालिका–5.2** में वर्णित है।

तालिका-5.2

क्रम सं0	वाहनों का विवरण	प्रति सीट अतिरिक्त कर की दर (धनराशि ₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	दो वर्ष तक पुराने वाहन	600	1,800	6,500
2	दो वर्ष से अधिक लेकिन चार साल तक पुराने वाहन	500	1,500	5,400
3	चार साल से अधिक लेकिन छह साल तक पुराने वाहन	400	1,200	4,800
4	छह साल से अधिक पुराने वाहन	150	450	1,600

वातानुकूलित वाहनों के सम्बन्ध में प्रति सीट कर की दर उपरोक्त तालिका में उल्लिखित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान दो[17] स0प0अ0 के अभिलेखों[18] की नमूना जाँच की। नगर निगमों के अन्तर्गत परिभाषित मार्गों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों की सूची को क्रास–चेक करने से ज्ञात हुआ (सितम्बर और नवम्बर 2022 के मध्य) कि जनवरी 2020 एवं अक्टूबर 2022 की अवधि के मध्य, दो[19] रा0प0उ0 के अन्तर्गत 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर संचालित थीं, जिसके लिए ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। रा0प0उ0 ने 112

[16] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1)।

[17] स0प0अ0 मेरठ एवं स0प0अ0 वाराणसी।

[18] वाहन डेटाबेस, नगर निगम/नगर पालिका से क्षेत्रों (अन्दर/बाहर) के रूट फाइलों के अभिलेख, अतिरिक्त कर जमा के अभिलेख, नगर निगम रूट सूची, आदि।

[19] वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज (104 बसें) और मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज (08 बसें)।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के लिए ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया था।

सम्बन्धित स0प0अ0 ने परमिट में उल्लिखित इन बसों के रूट चार्ट की जाँच नहीं की और इसलिए यह ध्यान देने में विफल रहे कि ये जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें सम्बन्धित नगर निगम द्वारा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर चल रही थीं। परिणामस्वरूप, ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया जैसा कि नीचे **तालिका–5.3** में वर्णित है:

तालिका–5.3

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की सं0	उन बसों की संख्या जिनमें अनियमितता पायी गईं	वह अवधि जिसके लिए अतिरिक्त कर आरोपणीय है	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0, मेरठ	88	8	01/2020 to 08/2022	40,99,750.00
2	स0प0अ0, वाराणसी	118	104	01/2020 to 10/2022	1,56,14,400.00
योग		**206**	**112**	**01/2020 to 10/2022**	**1,97,14,150.00**

उत्तर में, वाराणसी और मेरठ के स0प0अ0 ने कहा कि नोटिस भेजे जाएगें, एवं अतिरिक्त कर की वसूली क्रमशः वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2023)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

लखनऊ
दिनाँक 9 जून 2024

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनाँक 21 JUN 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-I
लेखापरीक्षा नमूना
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.4)
सीमित लेखापरीक्षा

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
1.	09XXXXXXXXXX1ZN	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	3,75,60,315.88	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता
2.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड–3 मिर्जापुर	9,23,88,825.92	तदैव
3.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	2,86,71,457.69	तदैव
4.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड–17 कानपुर	1,77,02,502.32	तदैव
5.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड–1 गौतम बुद्ध नगर	2,59,40,209.92	तदैव
6.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड–20 लखनऊ	7,93,78,890.80	तदैव
7.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड–7 गाजियाबाद	2,49,02,610.25	तदैव
8.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड–12 प्रयागराज	3,46,41,549.01	तदैव
9.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड–14 नोएडा	14,24,34,019.10	तदैव
10.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड–5 गाजियाबाद	3,46,32,587.06	तदैव
11.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड–15 कानपुर	1,82,87,640.60	तदैव
12.	09XXXXXXXXXX3ZE	खण्ड–3 बरेली	3,77,89,028.36	तदैव
13.	09XXXXXXXXXX1ZB	कॉर्पोरेट सर्किल II कानपुर	5,67,80,008.09	तदैव
14.	09XXXXXXXXXX5ZN	खण्ड–20 लखनऊ	3,35,57,472.59	तदैव
15.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड–15 कानपुर	4,94,60,891.74	तदैव
16.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड–20 लखनऊ	2,76,43,313.52	तदैव
17.	09XXXXXXXXXX3ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, इटावा	31,05,23,104.90	तदैव
18.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 5 मुजफ्फर नगर	3,05,87,973.10	तदैव
19.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	6,66,00,606.41	तदैव
20.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड सिकंदरबाद	2,76,94,816.69	तदैव
21.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 4 आगरा	3,10,62,736.41	तदैव
22.	09XXXXXXXXXX2ZV	खण्ड 12 गाजियाबाद	2,14,40,680.36	तदैव
23.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 13 लखनऊ	2,66,23,349.46	तदैव
24.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 20 लखनऊ	15,20,77,306.00	तदैव
25.	09XXXXXXXXXX2ZW	खण्ड 20 लखनऊ	2,23,96,016.64	तदैव
26.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 4 हापुड़	4,47,95,024.76	तदैव
27.	09XXXXXXXXXX1ZF	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	4,90,18,443.45	तदैव
28.	09XXXXXXXXXX1ZD	कॉर्पोरेट सर्किल, आगरा	3,41,01,713.29	तदैव
29.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 7 नोएडा	1,99,59,072.86	तदैव
30.	09XXXXXXXXXX1ZX	कॉर्पोरेट सर्किल I, लखनऊ	6,91,89,558.14	तदैव
31.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	24,77,04,858.20	तदैव
32.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 9 लखनऊ	3,18,69,659.87	तदैव
33.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	9,08,20,125.66	तदैव
34.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 4 गाजियाबाद	1,76,59,492.52	तदैव
35.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 3 प्रयागराज	1,80,18,095.89	तदैव
36.	09XXXXXXXXXX2ZU	खण्ड 19 लखनऊ	2,20,89,017.07	तदैव
37.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 13 नोएडा	2,78,39,825.47	तदैव
38.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 2 आजमगढ़	19,07,52,380.00	तदैव
39.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 8 गाजियाबाद	4,56,43,745.74	तदैव
40.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 9 नोएडा	2,94,11,004.78	तदैव
41.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 1, गौतम बुद्ध नगर	21,24,85,153.60	तदैव
42.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	2,54,89,402.69	तदैव
43.	09XXXXXXXXXXUZQ	खण्ड 2 लखनऊ	1,90,77,643.10	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
44.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	2,83,10,859.46	तदैव
45.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 4 आजमगढ़	3,68,83,168.72	तदैव
46.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड 3 हापुड़	27,11,10,028.60	तदैव
47.	09XXXXXXXXXX1Z0	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	6,92,33,620.11	तदैव
48.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 14 नोएडा	10,55,77,575.80	तदैव
49.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 21 लखनऊ	2,95,59,492.45	तदैव
50.	09XXXXXXXXXX2Z3	खण्ड 1 गोंडा	2,09,46,197.88	तदैव
51.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 5 कानपुर	3,96,64,733.08	तदैव
52.	09XXXXXXXXXX2ZM	खण्ड 5 मुरादाबाद	1,84,70,039.18	तदैव
53.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 1 कानपुर	1,92,14,002.59	तदैव
54.	09XXXXXXXXXX1ZR	खण्ड 1 नजीबाबाद	3,20,06,492.07	तदैव
55.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 8 सहारनपुर	10,05,52,564.10	तदैव
56.	09XXXXXXXXXX2ZI	खण्ड 2 आजमगढ़	1,91,44,741.70	तदैव
57.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 3 नोएडा	2,93,09,772.00	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी /जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता
58.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 4 झाँसी	39,07,778.00	तदैव
59.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 2 भदोही	26,35,940.00	तदैव
60.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 1 बाराबंकी	50,80,928.00	तदैव
61.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 3 भदोही	49,89,560.00	तदैव
62.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 5 आगरा	44,30,817.98	तदैव
63.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 11 नोएडा	26,28,838.00	तदैव
64.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 11 गाजियाबाद	1,75,46,316.00	तदैव
65.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 9 नोएडा	4,20,29,992.00	तदैव
66.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 8 कानपुर	2,23,81,615.19	तदैव
67.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 1 भदोही	50,63,184.00	तदैव
68.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	54,44,530.00	तदैव
69.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 2 वाराणसी	26,31,557.75	तदैव
70.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 2 प्रतापगढ़	34,02,119.00	तदैव
71.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 1 कानपुर	1,87,74,300.00	तदैव
72.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 8 वाराणसी	27,65,507.50	तदैव
73.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 20 कानपुर	93,84,132.00	तदैव
74.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 1 कानपुर	68,51,676.50	तदैव
75.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 1 कन्नौज	34,07,548.50	तदैव
76.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 28 कानपुर	29,30,603.63	तदैव
77.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 4 कानपुर	43,87,365.00	तदैव
78.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 2 मिर्जापुर	26,94,874.00	तदैव
79.	09XXXXXXXXXX2ZF	खण्ड 13 कानपुर	96,06,920.00	तदैव
80.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 2 अम्बेडकर नगर	43,94,072.25	तदैव
81.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	50,23,844.00	तदैव
82.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 2 अम्बेडकर नगर	53,88,480.00	तदैव
83.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 10 अलीगढ़	92,80,258.00	तदैव
84.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 8 झाँसी	26,40,422.25	तदैव
85.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 26 कानपुर	57,67,084.00	तदैव
86.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 30 कानपुर	66,84,343.50	तदैव
87.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 20 कानपुर	45,03,712.00	तदैव
88.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 3 भदोही	77,85,093.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
89.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 12 वाराणसी	32,62,828.00	तदैव
90.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 2 गोरखपुर	1,48,47,186.14	तदैव
91.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 2 औरैया	3,22,25,920.00	तदैव
92.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 28 कानपुर	50,23,616.93	तदैव
93.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 1 कानपुर	30,33,713.25	तदैव
94.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 2 कन्नौज	55,74,487.00	तदैव
95.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 12 वाराणसी	70,27,368.50	तदैव
96.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 12 लखनऊ	31,15,934.00	तदैव
97.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 7 लखनऊ	35,51,689.20	तदैव
98.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 4 हापुड़	41,69,368.50	तदैव
99.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 18 लखनऊ	50,14,440.00	तदैव
100.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 2 बरेली	27,16,010.00	तदैव
101.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 2 कन्नौज	24,64,696.00	तदैव
102.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 2 बाराबंकी	24,81,483.25	तदैव
103.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 5 प्रयागराज	36,19,491.00	तदैव
104.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 2 उन्नाव	26,48,350.00	तदैव
105.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 1 बदायूँ	27,80,089.00	तदैव
106.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 19 वाराणसी	2,10,43,296.00	तदैव
107.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 2 बरेली	33,16,948.50	तदैव
108.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 2 बरेली	35,47,996.25	तदैव
109.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 3 बस्ती	25,64,954.50	तदैव
110.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 3 बस्ती	41,96,906.50	तदैव
111.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 2 बस्ती	24,18,644.00	तदैव
112.	09XXXXXXXXXX1ZF	कॉर्पोरेट सर्किल, इटावा	1,73,13,792.00	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता
113.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 3 मिर्जापुर	77,33,554.50	तदैव
114.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 15 वाराणसी	1,36,29,285.00	तदैव
115.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 2 औरैया	26,85,393.75	तदैव
116.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड नानपारा	63,29,828.00	तदैव
117.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 4 सीतापुर	40,45,711.41	तदैव
118.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 7 मेरठ	66,11,530.00	तदैव
119.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 1 बस्ती	46,16,253.50	तदैव
120.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 9 नोएडा	76,33,069.72	तदैव
121.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 27 कानपुर	27,47,849.00	तदैव
122.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 7 नोएडा	1,73,79,728.00	तदैव
123.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 12 गाजियाबाद	25,47,947.00	तदैव
124.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 3 भदोही	25,21,294.75	तदैव
125.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 4 हापुड़	26,32,028.00	तदैव
126.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 3 बस्ती	1,34,35,955.00	तदैव
127.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 3 भदोही	28,77,819.25	तदैव
128.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड मोदीनगर गाजियाबाद	44,14,109.05	तदैव
129.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 5 गाजियाबाद	68,12,946.50	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ
130.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 12 नोएडा	41,46,569.85	तदैव
131.	09XXXXXXXXXX4ZH	खण्ड 5 गाजियाबाद	49,11,278.00	तदैव
132.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 2 नोएडा	19,74,117.63	तदैव
133.	09XXXXXXXXXX1ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	8,72,81,307.09	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
134.	09XXXXXXXXX3Z4	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	1,50,99,716.26	तदैव
135.	09XXXXXXXXXX1ZN	कॉर्पोरेट सर्किल, मु0का0 लखनऊ	22,70,062.45	तदैव
136.	09XXXXXXXXXX1ZO	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	13,23,138.94	तदैव
137.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	13,00,875.53	तदैव
138.	09XXXXXXXXXX1ZX	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	29,11,051.00	तदैव
139.	09XXXXXXXXXX1Z9	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	13,65,990.31	तदैव
140.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 10 वाराणसी	96,92,054.00	तदैव
141.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 10 नोएडा	17,61,103.00	तदैव
142.	09XXXXXXXXXX1ZM	कॉर्पोरेट सर्किल, मेरठ	24,05,271.30	तदैव
143.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड महोबा	36,97,337.50	तदैव
144.	09XXXXXXXXXX2ZZ	खण्ड 5 फिरोजाबाद	25,07,669.50	तदैव
145.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 3 आजमगढ़	19,27,621.00	तदैव
146.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 3 नोएडा	22,73,964.00	तदैव
147.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 4 बाराबंकी	20,05,775.50	तदैव
148.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 2 गाजियाबाद	14,03,666.00	तदैव
149.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 18 लखनऊ	70,16,380.00	तदैव
150.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 4 गाजियाबाद	30,64,727.25	तदैव
151.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 5 फिरोजाबाद	15,99,385.75	तदैव
152.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 1 मिर्जापुर	28,45,752.50	तदैव
153.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 2 प्रयागराज	14,69,355.87	तदैव
154.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 6 लखनऊ	12,87,974.00	तदैव
155.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 4 वाराणसी	15,72,504.00	तदैव
156.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 5 वाराणसी	16,08,669.50	तदैव
157.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 14 नोएडा	86,484.58	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण
158.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 13 लखनऊ	85,921.88	
159.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 2 आजमगढ़	19,84,20,872.00	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)
160.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 10 नोएडा	17,75,21,472.20	तदैव
161.	09XXXXXXXXX3ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, इटावा	17,20,24,647.00	तदैव
162.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 5 बरेली	13,46,78,105.90	तदैव
163.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	13,28,81,921.00	तदैव
164.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 10 मुरादाबाद	13,22,01,553.30	तदैव
165.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 11 नोएडा	19,09,77,252.00	तदैव
166.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 13 नोएडा	12,07,05,834.50	तदैव
167.	09XXXXXXXXXX1ZC	खण्ड 8 नोएडा	14,83,08,506.00	तदैव
168.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 11 आगरा	12,02,39,090.00	तदैव
169.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	29,29,58,498.00	तदैव
170.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	59,72,91,805.00	तदैव
171.	09XXXXXXXXXX1ZC	खण्ड सिकंदराबाद	13,84,66,292.80	तदैव
172.	09XXXXXXXXXX1Z9	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	1,09,58,72,978.00	तदैव
173.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल, सहारनपुर	40,14,48,655.30	तदैव
174.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड कोसीकलां	25,80,73,376.60	तदैव
175.	09XXXXXXXXXX1ZR	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर	22,74,34,793.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
		नोएडा		
176.	09XXXXXXXXXX1ZR	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	14,16,68,350.00	तदैव
177.	09XXXXXXXXXX1ZD	कॉर्पोरेट सर्किल, मेरठ	13,59,61,910.30	तदैव
178.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	1,78,32,65,670.00	तदैव
179.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	1,26,90,63,038.00	तदैव
180.	09XXXXXXXXXX1ZN	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	95,74,40,417.60	तदैव
181.	09XXXXXXXXXX1ZG	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	82,91,39,681.10	तदैव
182.	09XXXXXXXXXX1ZY	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	76,00,06,164.40	तदैव
183.	09XXXXXXXXXX1ZA	कॉर्पोरेट सर्किल I, कानपुर	71,17,54,035.00	तदैव
184.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 14 नोएडा	62,04,80,793.00	तदैव
185.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 1 मुरादाबाद	41,85,04,362.10	तदैव
186.	09XXXXXXXXXX1ZO	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	39,08,66,784.00	तदैव
187.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 12 गाजियाबाद	16,08,81,168.00	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)
188.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 15 कानपुर	5,51,23,412.00	तदैव
189.	09XXXXXXXXXX3ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, इटावा	3,66,37,336.00	तदैव
190.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड 3 हापुड़	3,23,11,976.00	तदैव
191.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 21 वाराणसी	3,08,53,908.00	तदैव
192.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 3 नोएडा	2,95,86,204.00	तदैव
193.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 14 नोएडा	2,52,57,946.00	तदैव
194.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 5 बरेली	2,44,16,002.00	तदैव
195.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	4,56,03,088.00	तदैव
196.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 1 चंदौसी	6,99,05,112.00	तदैव
197.	09XXXXXXXXXX1ZC	असि0कमि0 कानपुर देहात,	2,91,07,552.00	तदैव
198.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 14 नोएडा	3,02,40,822.00	तदैव
199.	09XXXXXXXXXX1ZY	कॉर्पोरेट सर्किल I, वाराणसी	2,78,77,030.00	तदैव
200.	09XXXXXXXXXX1ZY	कॉर्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	2,74,02,770.00	तदैव
201.	09XXXXXXXXXX1Z6	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	2,69,17,530.00	तदैव
202.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 16 गाजियाबाद	2,47,59,724.00	तदैव
203.	09XXXXXXXXXX4ZM	खण्ड 11 कानपुर	1,92,42,246.00	तदैव
204.	09XXXXXXXXXX1ZT	कॉर्पोरेट सर्किल, आगरा	1,76,03,412.00	तदैव
205.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 1 संत कबीर नगर	1,63,13,414.00	तदैव
206.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 13 नोएडा	1,62,61,858.00	तदैव
207.	09XXXXXXXXXX1ZU	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	1,42,13,570.00	तदैव
208.	09XXXXXXXXXX1ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	1,27,23,345.00	तदैव
209.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	23,31,41,984.00	तदैव
210.	09XXXXXXXXXX1ZI	कॉर्पोरेट सर्किल, सहारनपुर	22,92,31,168.00	तदैव
211.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 4 गाजियाबाद	19,80,79,664.00	तदैव
212.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 10 नोएडा	1,20,73,165.00	तदैव
213.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 7 गोरखपुर	1,49,32,530.00	तदैव
214.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	-36,14,84,032.00	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता
215.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 14 नोएडा	-40,51,88,896.00	तदैव
216.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 1 संभल	-35,65,56,160.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
217.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 1 लखीमपुर खीरी	-17,39,26,032.00	तदैव
218.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	-16,52,82,512.00	तदैव
219.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	-1,43,25,39,390.00	तदैव
220.	09XXXXXXXXXX3ZM	खण्ड 13 नोएडा	-9,25,59,79,000.00	तदैव
221.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 1 बुलन्दशहर	-2,72,80,83,710.00	तदैव
222.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 14 नोएडा	-1,13,00,92,420.00	तदैव
223.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 16 गाजियाबाद	-56,14,00,830.00	तदैव
224.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 16 गाजियाबाद	-53,81,77,860.00	तदैव
225.	09XXXXXXXXXX1ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	-33,53,36,704.00	तदैव
226.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड सरधना	-14,84,56,480.00	तदैव
227.	09XXXXXXXXXX2Z3	कॉर्पोरेट सर्किल, आगरा	-36,54,26,432.00	तदैव
228.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 2 लखनऊ	-16,05,10,384.00	तदैव
229.	09XXXXXXXXXX1ZL	कॉर्पोरेट सर्किल I, गाजियाबाद	-8,75,81,23,500.00	तदैव
230.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 20 लखनऊ	-4,59,73,16,600.00	तदैव
231.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 16 कानपुर	-1,66,74,72,380.00	तदैव
232.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 16 गाजियाबाद	-1,54,79,01,950.00	तदैव
233.	09XXXXXXXXXX3ZJ	खण्ड 1 अलीगढ़	-67,10,62,530.00	तदैव
234.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 13 नोएडा	-60,96,21,380.00	तदैव
235.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 19 आगरा	-55,53,83,360.00	तदैव
236.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 5 गाजियाबाद	-53,70,90,110.00	तदैव
237.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 1 गाजियाबाद	-51,16,23,776.00	तदैव
238.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 3 गाजियाबाद	-49,11,84,064.00	तदैव
239.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड गुलावटी	-46,06,45,728.00	तदैव
240.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 10 नोएडा	-23,98,86,736.00	तदैव
241.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 12 नोएडा	-47,33,56,736.00	तदैव
242.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 16 लखनऊ	-2,05,43,28,060.00	तदैव
243.	09XXXXXXXXXX4ZA	खण्ड 18 लखनऊ	-64,35,14,300.00	तदैव
244.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 16 गाजियाबाद	-19,91,98,560.00	तदैव
245.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 9 लखनऊ	-2,58,04,76,670.00	तदैव
246.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 16 गाजियाबाद	-1,19,89,34,020.00	तदैव
247.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 2 बस्ती	-92,65,42,660.00	तदैव
248.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 5 गाजियाबाद	-67,41,16,860.00	तदैव
249.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 15 कानपुर	-45,16,09,888.00	तदैव
250.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 9 नोएडा	-45,05,94,112.00	तदैव
251.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 16 गाजियाबाद	-33,53,04,928.00	तदैव
252.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 19 लखनऊ	-31,31,93,952.00	तदैव
253.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 9 लखनऊ	-31,77,95,136.00	तदैव
254.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	-52,72,61,280.00	तदैव
255.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 21 लखनऊ	-1,97,41,64,220.00	तदैव
256.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड कोसीकलां	-83,87,54,240.00	तदैव
257.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड महोबा	-80,08,60,030.00	तदैव
258.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 10 सहारनपुर	-68,05,93,410.00	तदैव
259.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	-67,30,86,850.00	तदैव
260.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	-65,15,72,800.00	तदैव
261.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 2 मथुरा	-53,55,85,248.00	तदैव
262.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 6 कानपुर	-46,87,72,256.00	तदैव
263.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 2 लखनऊ	-46,64,36,352.00	तदैव
264.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 5 मुजफ्फर नगर	-46,43,80,064.00	तदैव
265.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 17 आगरा	-37,91,15,680.00	तदैव
266.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 3 अयोध्या	-37,68,33,280.00	तदैव
267.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 12 प्रयागराज	-36,09,67,456.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
268.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 10 मेरठ	-30,70,66,400.00	तदैव
269.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 9 गोरखपुर	-68,26,17,220.00	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता
270.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	-57,21,29,920.00	तदैव
271.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 8 नोएडा	-24,41,45,280.00	तदैव
272.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 1 मुरादाबाद	-17,62,39,296.00	तदैव
273.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 11 लखनऊ	-15,88,11,472.00	तदैव
274.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 1 गोंडा	-13,77,46,848.00	तदैव
275.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 3 नोएडा	-13,39,93,088.00	तदैव
276.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 16 गाजियाबाद	-19,35,19,808.00	तदैव
277.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 5 आगरा	-20,12,08,880.00	तदैव
278.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 14 नोएडा	-44,55,79,968.00	तदैव
279.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 18 आगरा	-40,37,41,248.00	तदैव
280.	09XXXXXXXXXX1ZL	कॉर्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	-35,54,28,160.00	तदैव
281.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 9 लखनऊ	-35,12,77,536.00	तदैव
282.	09XXXXXXXXXX5Z0	खण्ड मोदीनगर गाजियाबाद	-2,21,31,71,710.00	तदैव
283.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 30 कानपुर	-34,84,35,488.00	तदैव
284.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 5 गाजियाबाद	-28,71,29,664.00	तदैव
285.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	-29,69,85,472.00	तदैव
286.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 3 गाजियाबाद	-17,61,71,840.00	तदैव
287.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 3 नोएडा	-3,03,69,629.97	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता
288.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	-60,78,468.77	तदैव
289.	09XXXXXXXXXX1ZR	खण्ड 1 लखनऊ	-52,33,321.00	तदैव
290.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड 3 हापुड़	-40,32,810.58	तदैव
291.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 5 गाजियाबाद	-1,98,53,751.96	तदैव
292.	09XXXXXXXXXX1Z7	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	-96,46,798.00	तदैव
293.	09XXXXXXXXXX1ZD	कॉर्पोरेट सर्किल I, कानपुर	-56,49,880.41	तदैव
294.	09XXXXXXXXXX3ZZ	कॉर्पोरेट सर्किल I, लखनऊ	-13,78,74,192.60	तदैव
295.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 6 मुरादाबाद	-7,71,51,488.55	तदैव
296.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 1 चंदौसी	-6,82,16,588.00	तदैव
297.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 3 भदोही	-4,88,44,050.00	तदैव
298.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 10 नोएडा	-2,99,88,120.38	तदैव
299.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 8 लखनऊ	-2,42,24,490.47	तदैव
300.	09XXXXXXXXXX1Z7	कॉर्पोरेट सर्किल, आगरा	-2,17,57,427.00	तदैव
301.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 10 गाजियाबाद	-1,99,17,815.00	तदैव
302.	09XXXXXXXXXX1ZJ	कॉर्पोरेट सर्किल I, गाजियाबाद	-1,29,63,158.14	तदैव
303.	09XXXXXXXXXX2ZO	खण्ड 1 लखनऊ	-1,23,49,413.40	तदैव
304.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 7 नोएडा	-1,06,86,628.43	तदैव
305.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 12 वाराणसी	-94,23,894.00	तदैव
306.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 6 मेरठ	-91,98,234.37	तदैव
307.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 4 शाहजहाँपुर	-88,85,631.76	तदैव
308.	09XXXXXXXXXX1ZP	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	-82,35,863.00	तदैव
309.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	-69,83,043.76	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
310.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 3 भदोही	-61,35,848.00	तदैव
311.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 1 संभल	-59,41,859.94	तदैव
312.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 2 बहराईच	-57,17,125.76	तदैव
313.	09XXXXXXXXXX2ZM	खण्ड 16 गाजियाबाद	-54,39,599.52	तदैव
314.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 8 प्रयागराज	-50,06,031.88	तदैव
315.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 1 सिद्धार्थ नगर	-89,92,110.12	तदैव
316.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 14 नोएडा	-96,98,674.00	तदैव
317.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	-2,82,95,517.00	तदैव
318.	09XXXXXXXXXX3ZK	खण्ड 12 गाजियाबाद	-52,14,575.11	तदैव
319.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 2 बदायूँ	-85,41,834.09	तदैव
320.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 16 गाजियाबाद	-48,20,122.00	तदैव
321.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 17 कानपुर	-38,67,301.00	तदैव
322.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 12 लखनऊ	-1,94,88,433.00	तदैव
323.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 7 गोरखपुर	-1,35,22,354.51	तदैव
324.	09XXXXXXXXXX1ZX	खण्ड 16 लखनऊ	-1,34,38,983.06	तदैव
325.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 3 बस्ती	-1,06,31,386.00	तदैव
326.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 3 आगरा	-1,01,91,792.78	तदैव
327.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 3 मिर्जापुर	-93,38,586.00	तदैव
328.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 10 बरेली	-86,17,680.96	तदैव
329.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 11 लखनऊ	-82,88,307.40	तदैव
330.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 1 सीतापुर	-82,36,815.38	तदैव
331.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 3 भदोही	-82,32,122.00	तदैव
332.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 16 गाजियाबाद	-71,65,800.04	तदैव
333.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 1 बलरामपुर	-60,44,605.92	तदैव
334.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 16 वाराणसी	-54,75,566.00	तदैव
335.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 1 सीतापुर	-53,92,271.06	तदैव
336.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 3 लखीमपुर खीरी	-48,53,621.16	तदैव
337.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 11 कानपुर	-46,12,942.00	तदैव
338.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 1 मुरादाबाद	-44,10,383.80	तदैव
339.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 14 प्रयागराज	-42,94,940.00	तदैव
340.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 2 बलिया	-1,05,72,132.01	तदैव
341.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 12 नोएडा	-1,06,47,450.00	तदैव
342.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	6,51,38,768.00	अनिर्वहित कर देनदारियाँ
343.	09XXXXXXXXXX1Z4	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	4,72,85,680.00	तदैव
344.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 3 नोएडा	3,02,21,611.00	तदैव
345.	09XXXXXXXXXX1ZH	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	43,62,88,041.00	तदैव
346.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 1 फतेहगढ़	8,18,57,580.00	तदैव
347.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 1 संभल	6,98,65,780.00	तदैव
348.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 7 नोएडा	3,40,33,628.00	तदैव
349.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 12 गाजियाबाद	3,09,25,040.00	तदैव
350.	09XXXXXXXXXX1ZR	कॉर्पोरेट सर्किल I, वाराणसी	3,21,65,829.00	तदैव
351.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 2 लखनऊ	5,51,09,122.00	तदैव
352.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 10 नोएडा	2,98,35,576.00	तदैव
353.	09XXXXXXXXXX3ZZ	कॉर्पोरेट सर्किल I, लखनऊ	1,28,63,02,120.00	तदैव
354.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 20 कानपुर	4,55,65,998.00	तदैव
355.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 1 चंदौसी	6,82,16,329.00	तदैव
356.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 12 लखनऊ	12,83,17,656.00	तदैव
357.	09XXXXXXXXXX1Z3	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	4,82,99,550.00	तदैव
358.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 22 लखनऊ	4,80,77,143.00	तदैव
359.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 2 गोरखपुर	8,31,37,238.00	तदैव
360.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 4 झाँसी	4,07,74,796.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
361.	09XXXXXXXXXX9ZO	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	8,59,92,340.00	तदैव
362.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 19 कानपुर	16,73,77,104.00	तदैव
363.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 14 नोएडा	5,70,52,704.00	तदैव
364.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 18 लखनऊ	4,79,64,220.00	तदैव
365.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 4 नोएडा	7,37,18,336.00	तदैव
366.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड 2 महराजगंज	8,52,43,024.00	तदैव
367.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 2 गौतम बुद्ध नगर	3,30,58,056.00	तदैव
368.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 1 हापुड़	34,92,47,606.00	तदैव
369.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 2 बस्ती	18,25,75,798.00	तदैव
370.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 2 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना
371.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 16 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
372.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड 16 गाजियाबाद	उपलब्ध नहीं	तदैव
373.	09XXXXXXXXXX2ZC	खण्ड 15 गाजियाबाद	उपलब्ध नहीं	तदैव
374.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 13 नोएडा	उपलब्ध नहीं	तदैव
375.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 4 गाजियाबाद	उपलब्ध नहीं	तदैव
376.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 2 धामपुर	उपलब्ध नहीं	तदैव
377.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 1 बरेली	उपलब्ध नहीं	तदैव
378.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 3 कानपुर	उपलब्ध नहीं	तदैव
379.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 12 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
380.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 6 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
381.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 5 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
382.	09XXXXXXXXXX1ZI	खण्ड 1 कानपुर	उपलब्ध नहीं	तदैव
383.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 3 सहारनपुर	उपलब्ध नहीं	तदैव
384.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 2 बलिया	उपलब्ध नहीं	तदैव
385.	09XXXXXXXXXX1ZW	खण्ड 17 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
386.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 10 प्रयागराज	उपलब्ध नहीं	तदैव
387.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 8 नोएडा	उपलब्ध नहीं	तदैव
388.	09XXXXXXXXXX1ZP	खण्ड 5 गाजियाबाद	उपलब्ध नहीं	तदैव
389.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 2 मैनपुरी	उपलब्ध नहीं	तदैव
390.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 11 प्रयागराज	उपलब्ध नहीं	तदैव
391.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड 1 अलीगढ़	उपलब्ध नहीं	तदैव
392.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	उपलब्ध नहीं	तदैव
393.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 15 आगरा	उपलब्ध नहीं	तदैव
394.	09XXXXXXXXXX1ZH	खण्ड 5 झाँसी	उपलब्ध नहीं	तदैव
395.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	उपलब्ध नहीं	तदैव
396.	09XXXXXXXXXX1ZD	खण्ड 5 मेरठ	उपलब्ध नहीं	तदैव
397.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 16 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
398.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	उपलब्ध नहीं	तदैव
399.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड 16 गाजियाबाद	उपलब्ध नहीं	तदैव
400.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 5 अयोध्या	उपलब्ध नहीं	तदैव
401.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 1 छत्रपति साहूजी महाराज (अमेठी)	उपलब्ध नहीं	तदैव
402.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 5 बरेली	उपलब्ध नहीं	तदैव
403.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	उपलब्ध नहीं	तदैव
404.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 17 लखनऊ	उपलब्ध नहीं	तदैव
405.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 15 आगरा	उपलब्ध नहीं	तदैव
406.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 8 अलीगढ़	उपलब्ध नहीं	तदैव
407.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 12 लखनऊ	12,83,17,656.00	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था किन्तु

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
				जीएसटीआर–1 उपलब्ध है
408.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 16 गाजियाबाद	1,13,53,304.00	तदैव
409.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 1 बांदा	1,66,65,771.00	तदैव
410.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	98,75,162.00	तदैव
411.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 1 जौनपुर	50,43,669.00	तदैव
412.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 21 लखनऊ	38,98,731.25	तदैव
413.	09XXXXXXXXXX1Z4	खण्ड 12 प्रयागराज	20,25,000.00	तदैव
414.	09XXXXXXXXXX1ZC	खण्ड 4 नोएडा	19,50,626.00	तदैव
415.	09XXXXXXXXXX1ZJ	खण्ड 5 गाजियाबाद	14,92,555.50	तदैव
416.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड 11 कानपुर	14,10,652.87	तदैव
417.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 11 अलीगढ़	13,65,585.50	तदैव
418.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	13,01,412.75	तदैव
419.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 5 लखनऊ	11,58,266.00	तदैव
420.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 16 गाजियाबाद	11,30,004.12	तदैव
421.	09XXXXXXXXXX2ZK	खण्ड 12 गाजियाबाद	10,55,813.87	तदैव
422.	09XXXXXXXXXX1Z2	खण्ड 8 लखनऊ	9,80,545.37	तदैव
423.	09XXXXXXXXXX1ZS	खण्ड 14 लखनऊ	9,24,441.25	तदैव
424.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 21 लखनऊ	8,74,049.37	तदैव
425.	09XXXXXXXXXX2ZR	खण्ड 3 सीतापुर	8,19,378.43	तदैव
426.	09XXXXXXXXXX2ZX	खण्ड 5 सहारनपुर	7,81,751.12	तदैव
427.	09XXXXXXXXXX1ZZ	खण्ड 3 मऊ	7,46,883.37	तदैव
428.	09XXXXXXXXXX1ZK	खण्ड 1 महराजगंज	6,55,976.87	तदैव
429.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड 15 लखनऊ	6,37,076.37	तदैव
430.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 7 गोरखपुर	6,26,878.06	तदैव
431.	09XXXXXXXXXX1ZR	खण्ड 10 नोएडा	5,96,082.25	तदैव
432.	09XXXXXXXXXX1Z1	खण्ड 10 अलीगढ़	4,56,560.00	तदैव
433.	09XXXXXXXXXX2ZC	खण्ड 1 अम्बेडकर नगर	4,32,500.03	तदैव
434.	09XXXXXXXXXX1Z6	खण्ड 3 बस्ती	4,31,800.00	तदैव
435.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 1 गाजियाबाद	17,89,133.00	कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना
436.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड 14 नोएडा	19,03,069.00	तदैव
437.	09XXXXXXXXXX1Z4	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	69,39,148.00	तदैव
438.	09XXXXXXXXXX2ZV	खण्ड 12 गाजियाबाद	70,00,670.00	तदैव
439.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 20 लखनऊ	18,12,972.00	तदैव
440.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	44,40,246.00	तदैव
441.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 14 नोएडा	32,06,761.00	तदैव
442.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड 8 मेरठ	48,86,280.00	तदैव
443.	09XXXXXXXXXX1ZY	खण्ड 1 संभल	28,20,751.00	तदैव
444.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड 2 एटा	21,01,087.00	तदैव
445.	09XXXXXXXXXX1ZC	खण्ड 3 नोएडा	1,16,53,122.00	तदैव
446.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	18,24,451.00	तदैव
447.	09XXXXXXXXXX1Z0	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	18,68,000.00	तदैव
448.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 9 लखनऊ	32,18,001.00	तदैव
449.	09XXXXXXXXXX2Z8	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	55,78,158.00	तदैव
450.	09XXXXXXXXXX1ZT	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	1,83,75,026.00	तदैव
451.	09XXXXXXXXXX3Z7	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	51,93,501.00	तदैव
452.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड 2 नोएडा	19,46,778.00	तदैव

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम
453.	09XXXXXXXXXX1Z7	खण्ड 20 कानपुर	66,93,881.00	तदैव
454.	09XXXXXXXXXX1Z5	खण्ड 1 लखनऊ	25,54,641.00	तदैव
455.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 2 लखनऊ	53,58,574.00	तदैव
456.	09XXXXXXXXXX1Z9	खण्ड 5 सोनभद्र	18,05,121.00	तदैव
457.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 1 गौतम बुद्ध नगर	19,28,950.00	तदैव
458.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड 3 शाहजहाँपुर	18,16,452.00	तदैव
459.	09XXXXXXXXXX1ZT	खण्ड 20 आगरा	35,76,336.00	तदैव
460.	09XXXXXXXXXX1Z8	खण्ड 5 अयोध्या	26,22,819.00	तदैव
461.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड 2 बिजनौर	19,95,475.00	तदैव
462.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड 11 मेरठ		दाखिल न करने वाले

विस्तृत लेखापरीक्षा

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	स्तर	खण्ड का नाम	समूह मानदण्ड
1.	09XXXXXXXXXX1Z8	वृ0	खण्ड 1 मुरादाबाद	यूपी 80
2.	09XXXXXXXXXX2Z5	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, आगरा	यूपी 80
3.	09XXXXXXXXXX1ZI	वृ0	खण्ड 4 नोएडा	यूपी 80
4.	09XXXXXXXXXX1ZH	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, गोरखपुर	यूपी 80
5.	09XXXXXXXXXX1ZU	वृ0	खण्ड 20 लखनऊ	यूपी 80
6.	09XXXXXXXXXX1Z5	वृ0	खण्ड 3 नोएडा	यूपी 80
7.	09XXXXXXXXXX1ZB	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, मुजफ्फरनगर	यूपी 80
8.	09XXXXXXXXXX1Z9	वृ0	खण्ड 20 वाराणसी	यूपी 80
9.	09XXXXXXXXXX1ZY	वृ0	खण्ड 17 गाजियाबाद	यूपी 80
10.	09XXXXXXXXXX1ZM	वृ0	खण्ड 9 लखनऊ	यूपी 80
11.	09XXXXXXXXXX2Z1	वृ0	खण्ड 14 नोएडा	यूपी 80
12.	09XXXXXXXXXX1ZB	वृ0	खण्ड 2 हरदोई	यूपी 80
13.	09XXXXXXXXXX1ZC	वृ0	खण्ड 11 गाजियाबाद	यूपी 80
14.	09XXXXXXXXXX1ZO	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	यूपी 80
15.	09XXXXXXXXXX1ZY	वृ0	खण्ड 6 लखनऊ	यूपी 80
16.	09XXXXXXXXXX2ZS	वृ0	खण्ड 2 लखनऊ	यूपी 80
17.	09XXXXXXXXXXSZA	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल–I, लखनऊ	यूपी 80
18.	09XXXXXXXXXX1ZT	वृ0	खण्ड 21 वाराणसी	यूपी 80
19.	09XXXXXXXXXX1ZJ	वृ0	खण्ड 4 गाजियाबाद	यूपी 80
20.	09XXXXXXXXXX2ZG	वृ0	खण्ड 2 रामपुर	यूपी 80
21.	09XXXXXXXXXX1Z3	वृ0	खण्ड 1 बांदा	यूपी 80
22.	09XXXXXXXXXX1ZW	वृ0	खण्ड 13 नोएडा	यूपी 80
23.	09XXXXXXXXXX1ZN	वृ0	खण्ड 16 कानपुर	यूपी 80
24.	09XXXXXXXXXX1ZC	वृ0	खण्ड 9 गाजियाबाद	यूपी 80
25.	09XXXXXXXXXX1Z8	वृ0	खण्ड 1 हरदोई	यूपी 80
26.	09XXXXXXXXXX1ZA	वृ0	खण्ड 17 लखनऊ	यूपी 80
27.	09XXXXXXXXXX1Z0	वृ0	खण्ड 12 गाजियाबाद	यूपी 80
28.	09XXXXXXXXXX1ZK	वृ0	खण्ड 12 लखनऊ	यूपी 80
29.	09XXXXXXXXXX1Z8	वृ0	खण्ड 1 उन्नाव	यूपी 80
30.	09XXXXXXXXXX1ZZ	वृ0	खण्ड 4 अयोध्या	यूपी 80
31.	09XXXXXXXXXX1ZS	वृ0	खण्ड 10 नोएडा	यूपी 80
32.	09XXXXXXXXXX1ZW	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल–II, लखनऊ	यूपी 80
33.	09XXXXXXXXXX1Z2	वृ0	खण्ड 26 कानपुर	यूपी 80
34.	09XXXXXXXXXX1ZD	वृ0	खण्ड 11 मेरठ	यूपी 80
35.	09XXXXXXXXXX1Z0	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल–I, वाराणसी	यूपी 80
36.	09XXXXXXXXXX1Z1	वृ0	खण्ड 6 गाजियाबाद	यूपी 80

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	स्तर	खण्ड का नाम	समूह मानदण्ड
37.	09XXXXXXXXX1ZF	वृ0	खण्ड 8 नोएडा	यूपी 80
38.	09XXXXXXXXX1ZC	वृ0	खण्ड 6 नोएडा	यूपी 80
39.	09XXXXXXXXX1Z5	म0	खण्ड 12 लखनऊ	यूपी 80
40.	09XXXXXXXXX1ZE	म0	खण्ड 2 मुजफ्फर नगर	यूपी 80
41.	09XXXXXXXXX1ZM	म0	खण्ड श्रावस्ती	यूपी 80
42.	09XXXXXXXXX1Z5	म0	खण्ड 3 बस्ती	यूपी 80
43.	09XXXXXXXXX1Z4	म0	खण्ड 8 गाजियाबाद	यूपी 80
44.	09XXXXXXXXX1ZR	वृ0	खण्ड 16 गाजियाबाद	यूपी 80
45.	09XXXXXXXXX3ZI	म0	खण्ड 9 नोएडा	यूपी 80
46.	09XXXXXXXXX1Z8	म0	खण्ड 9 नोएडा	यूपी 80
47.	09XXXXXXXXX1ZD	म0	खण्ड कोसीकलां	यूपी 80
48.	09XXXXXXXXX1ZG	म0	खण्ड 2 मऊ	यूपी 80
49.	09XXXXXXXXX1ZK	म0	खण्ड 1 नोएडा	यूपी 80
50.	09XXXXXXXXX1ZZ	म0	खण्ड 5 नोएडा	यूपी 80
51.	09XXXXXXXXX1ZP	म0	खण्ड 11 गाजियाबाद	यूपी 80
52.	09XXXXXXXXX1ZG	म0	खण्ड 10 गाजियाबाद	यूपी 80
53.	09XXXXXXXXX1ZJ	म0	खण्ड 23 कानपुर	यूपी 80
54.	09XXXXXXXXX1ZV	म0	खण्ड 2 हरदोई	यूपी 80
55.	09XXXXXXXXX2ZO	म0	खण्ड 1 बाराबंकी	यूपी 80
56.	09XXXXXXXXX1ZQ	म0	खण्ड 14 नोएडा	यूपी 80
57.	09XXXXXXXXX1Z9	म0	खण्ड 4 बस्ती	यूपी 80
58.	09XXXXXXXXX1ZG	ल0	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	यूपी 80
59.	09XXXXXXXXX1ZD	ल0	खण्ड 3 गौतम बुद्ध नगर	यूपी 80
60.	09XXXXXXXXX1ZL	ल0	खण्ड 11 गाजियाबाद	यूपी 80
61.	09XXXXXXXXX1ZA	ल0	खण्ड 3 चंदौली	यूपी 80
62.	09XXXXXXXXX1ZL	ल0	खण्ड 16 लखनऊ	यूपी 80
63.	09XXXXXXXXX1ZR	ल0	खण्ड 1 सिद्धार्थ नगर	यूपी 80
64.	09XXXXXXXXX1ZH	ल0	खण्ड 1 पीलीभीत	यूपी 80
65.	09XXXXXXXXX2ZQ	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	यूपी 20
66.	09XXXXXXXXX1Z3	वृ0	खण्ड 6 वाराणसी	यूपी 20
67.	09XXXXXXXXX2ZM	वृ0	खण्ड 1 रायबरेली	यूपी 20
68.	09XXXXXXXXX1ZF	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल गौतम बुद्ध नगर	यूपी 20
69.	09XXXXXXXXX1Z3	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	यूपी 20
70.	09XXXXXXXXX1ZU	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, मेरठ	यूपी 20
71.	09XXXXXXXXX1ZL	वृ0	खण्ड 11 नोएडा	यूपी 20
72.	09XXXXXXXXX1ZL	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	यूपी 20
73.	09XXXXXXXXX1ZC	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	यूपी 20
74.	09XXXXXXXXX1ZY	वृ0	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	यूपी 20
75.	09XXXXXXXXX1ZF	म0	खण्ड 4 बाराबंकी	यूपी 20
76.	09XXXXXXXXX1ZQ	म0	खण्ड 1 बलिया	यूपी 20
77.	09XXXXXXXXX1ZT	म0	खण्ड 10 मुरादाबाद	यूपी 20
78.	09XXXXXXXXX1ZH	म0	खण्ड 13 लखनऊ	यूपी 20
79.	09XXXXXXXXX1ZU	म0	खण्ड 3 लखीमपुर खीरी	यूपी 20
80.	09XXXXXXXXX1ZC	ल0	खण्ड 22 लखनऊ	यूपी 20

खण्ड लेखापरीक्षा

क्र0सं0	खण्ड का नाम
1.	खण्ड–12 लखनऊ
2.	खण्ड–11 गाजियाबाद
3.	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर
4.	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ
5.	खण्ड–8 गाजियाबाद
6.	खण्ड–2 हरदोई
7.	खण्ड–14 नोएडा
8.	खण्ड–9 नोएडा
9.	खण्ड–3 गौतम बुद्ध नगर
10.	खण्ड–20 वाराणसी

परिशिष्ट-II

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए विवरणी दाखिल न करने वालों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु पूर्ण नहीं की गयी (जीएसटीआर–3ए जारी किया गया लेकिन एएसएमटी–13 जारी नहीं किया गया)

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.1.2. (i) एवं (ii))

क्र0 सं0	वर्ष	खण्ड का नाम	पहचाने गए विवरणी दाखिल न करने वालों की संख्या	जीएसटीआर–3ए जारी किए गए मामलों की संख्या	मामले जहाँ जीएसटीआर–3ए के अनुसरण में विवरणियां दाखिल की गयीं	शेष मामले जहाँ जीएसटीआर–3ए जारी करने के बाद भी विवरणियां दाखिल नहीं की गयीं (5–6)	मामले जहाँ सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण शुरू किया गया (एएसएमटी –13)	पूर्ण किया गया	पूर्ण होने के लिए बाकी (8–9)	निर्धारित की गयी राशि (₹ करोड़ में)	वसूल की गयी राशि (₹ करोड़ में)	कार्यवाही नहीं की गयी (4–5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	10,038	9,382	8,335	1,047	851	851	0	उपलब्ध नहीं	14.71	656
2.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	12,375	9,310	8,166	1,144	729	729	0	उपलब्ध नहीं	4.06	3,065
3.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद	28,701	22,633	18,075	4,558	1,129	1,129	0	उपलब्ध नहीं	0.84	6,068
4.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 2 रा0क0 हरदोई	7,039	7,039	6,914	125	125	125	0	0.83	0.83	0
5.	2017-18 से 2020-21	खण्ड–3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर	33,311	35,070	25,802	9,268	3,457	1,990	1,467	8.86	0	0
6.	2017-18 से 2020-21	ज्वा0कमि0 का0स0 II, रा0क0 कानपुर	1	1	0	1	1	1	0	0.99	0	0
		योग	**91,465**	**83,435**	**67,292**	**16,143**	**6,292**	**4,825**	**1,467**	**10.68**	**20.44**	**9,789**

* खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर द्वारा अधिक जीएसटीआर–3ए जारी किया गया था।

परिशिष्ट-III
विवरणियों की जांच की धीमी गति
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.1.3)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	वर्ष	करदाताओं की संख्या जिनके विवरणियों की जांच की गयी	जांचे गए विवरणियों की संख्या	मामलों की संख्या जहाँ एएसएमटी–10 जारी किए गए	ऐसे मामले जहाँ करदाताओं द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी		मामले जहाँ एस0सी0एन0 जारी किए गए				पूर्ण होने के लिए लंबित (9–11)	राशि (10–12)	आई0ए0पी0 के लिए चिह्नित
						संख्या	वसूल की गयी राशि	संख्या	राशि	पूर्ण की गयी	वसूल की गयी राशि			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1.	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	2017-18 से 2020-21	1,370	1,370	280	0	0	71	उपलब्ध नहीं	49	32.08	22	उपलब्ध नहीं	0
2.	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	2017-18 से 2020-21	2,070	2,219	96	0	0	42	2.14	12	0	30	2.14	0
3.	खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद	2017-18 से 2020-21	1,913	2,173	215	28	0.48	87	54.67	28	0.04	59	54.63	0
4.	ज्वा0कमि0 का0स0 II, रा0क0 कानपुर	2017-18 से 2020-21	97	120	120	18	4.89	41	42.25	4	0.19	37	42.06	3
5.	खण्ड–3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर	2017-18 से 2020-21	4,482	19,915	1,647	348	4.12	311	26.10	219	1.36	92	24.74	0
	योग		**9,932**	**25,797**	**2,358**	**394**	**9.49**	**552**	**125.16**	**312**	**33.67**	**240**	**123.57**	**3**

***₹ 123.57 करोड़–सेक्टर 8 गाजियाबाद ₹ 2.14 करोड़, सेक्टर 11 गाजियाबाद ₹ 54.63 करोड़, ज्वा0कमि0 कार्पो0स0–II कानपुर ₹ 42.06 करोड़ और सेक्टर 3 गौतम बुद्ध नगर ₹ 24.74 करोड़।**

परिशिष्ट-IV
बिजनेस इंटेलिजेंस एवं फ्राड एनालिटिक्स (बीफा) प्रतिवेदन पर कार्यवाही का अभाव
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.1.5)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	खण्ड का नाम	सत्यापन के लिए चिह्नित बीआईएफए रिपोर्टों की संख्या	कर की भिन्नता	खण्डों द्वारा पूर्ण किए गए सत्यापन के मामले		शुरू किए गए परन्तु सत्यापन के लिए लंबित		शुरू नहीं किए गए	जहाँ सत्यापित मामलों में से "कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है" प्रस्तावित है
					रिपोर्टों की संख्या	वसूल की गयी राशि	रिपोर्टों की संख्या	वसूल की गयी राशि	रिपोर्टों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
1.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	778	58.01	5	5.37	313	6.71	344	116
2.	2017-18 से 2020-21	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	344	23.83	1	0.03	148	0.80	109	86
3.	2017-18 से 2020-21	ज्वा0कमि0 का0स0 II, रा0क0 कानपुर	104	उपलब्ध नहीं कराया गया	21	4.70	83	0	उपलब्ध नहीं कराया गया	0
	योग		**1,226**	**81.84**	**27**	**10.10**	**544**	**7.51**	**453**	**202**

परिशिष्ट-V
सभी प्रकरणों में रद्दीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई/प्रारम्भ नहीं की गयी
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.1.6.(i))

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	रद्द करने के लिए करदाताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वतः संज्ञान पर कार्यवाही	रद्द करने के लिए मामलों की कुल संख्या (3+4)	मामलों की संख्या आरईजी 17 में एससीएन जारी किए गए	मामलों की संख्या आरईजी –19 में रद्द करने के आदेश जारी किए गए	मामलों की संख्या आरईजी–20 आदेश पारित किए गए (कार्यवाही रद्द करना)	पूरा होने के लिए लंबित मामले जहाँ एससीएन जारी किया गया था {6–(7+8)}	मामलों की संख्या जहाँ जीएसटीआर–10 दाखिल किया गया	कर निर्धारण पूरा होने की संख्या (एएसएमटी–13)	कार्यवाही शुरू नहीं की गयी (5–6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1.	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	413	404	817	817	817	उपलब्ध नहीं कराया गया	0	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	0
2.	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	510	422	932	932	0	उपलब्ध नहीं कराया गया	932	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	0
3.	खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद	997	961	1,958	1,958	0	उपलब्ध नहीं कराया गया	1,958	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	0
4.	खण्ड 2 रा0क0 हरदोई	636	674	1,310	1,111	1,111	उपलब्ध नहीं कराया गया	0	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	199
5.	खण्ड–3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर	1482	2,603	4,085	4,085	3,201	877	7	399	उपलब्ध नहीं कराया गया	0
	योग	**4,038**	**5,064**	**9,102**	**8,903**	**5,129**	**877**	**2,897**	**399**		**199**

परिशिष्ट-VI
मा0से0क0 कानून और नियमों से विचलन
(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.2.3.(अ)*)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
1.	09XXXXXXXXXX1ZN	लखनऊ खण्ड–20	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	15.21	वसूली की गयी	0.94
2.	09XXXXXXXXXX1ZU	कानपुर खण्ड–26	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.58	वसूली की गयी	0.15
3.	09XXXXXXXXXX1ZS	कॉर्पोरेट सर्किल, अलीगढ़	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	8.73	वसूली की गयी	8.73
4.	09XXXXXXXXXX1ZA	नोएडा खण्ड–14	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.19	वसूली की गयी	0.19
5.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.44	वसूली की गयी	0.44
6.	09XXXXXXXXXX1ZE	खण्ड–1, गौतम बुद्ध नगर	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.18	वसूली की गयी	0.12
7.	09XXXXXXXXXX3Z7	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.52	वसूली की गयी	0.06
8.	09XXXXXXXXXX1Z7	कानपुर खण्ड–20	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.70	वसूली की गयी	0.65
9.	09XXXXXXXXXX1ZT	लखनऊ खण्ड–2	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.56	वसूली की गयी	0.54
10.	09XXXXXXXXXX1ZL	बिजनौर खण्ड–2	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.20	वसूली की गयी	0.20
	योग			**27.31**		**12.02**
1.	09XXXXXXXXXX1ZW	कॉर्पोरेट सर्किल, प्रयागराज	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.87	एससीएन जारी किया गया	0.01
2.	09XXXXXXXXXX5ZN	लखनऊ खण्ड–20	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.36	एससीएन जारी किया गया	3.36
3.	09XXXXXXXXXX1ZI	लखनऊ खण्ड–20	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.76	एससीएन जारी किया गया	2.76

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
4.	09XXXXXXXXXX1Z0	मुजफ्फर नगर खण्ड–5	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.06	एससीएन जारी किया गया	3.06
5.	09XXXXXXXXXX1ZW	लखनऊ खण्ड–9	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.19	एससीएन जारी किया गया	3.19
6.	09XXXXXXXXXX1ZV	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	9.08	एससीएन जारी किया गया	9.08
7.	09XXXXXXXXXX2ZU	लखनऊ खण्ड–19	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.21	एससीएन जारी किया गया	2.21
8.	09XXXXXXXXXXUZQ	लखनऊ खण्ड–2	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	1.91	एससीएन जारी किया गया	1.98
9.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.83	एससीएन जारी किया गया	2.83
10.	09XXXXXXXXXX1Z0	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	6.92	एससीएन जारी किया गया	6.92
11.	09XXXXXXXXXX1ZN	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.76	एससीएन जारी किया गया	3.76
12.	09XXXXXXXXXX2ZV	गाजियाबाद खण्ड–12	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.14	एससीएन जारी किया गया	2.35
13.	09XXXXXXXXXX2ZW	लखनऊ खण्ड–20	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.24	एससीएन जारी किया गया	2.24
14.	09XXXXXXXXXX1ZX	कॉर्पोरेट सर्किल I, लखनऊ	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	6.92	एससीएन जारी किया गया	7.10
15.	09XXXXXXXXXX1ZP	नोएडा खण्ड–9	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.94	एससीएन जारी किया गया	2.94

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
16.	09XXXXXXXXXX2Z3	गोंडा, खण्ड–1	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.09	एससीएन जारी किया गया	0.09
17.	09XXXXXXXXXX1ZR	नजीबाबाद, खण्ड–1	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.20	एससीएन जारी किया गया	3.20
18.	09XXXXXXXXXX1Z9	नोएडा खण्ड–3	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	2.93	एससीएन जारी किया गया	2.93
19.	09XXXXXXXXXX1ZV	प्रतापगढ़ खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.34	एससीएन जारी किया गया	0.27
20.	09XXXXXXXXXX1ZN	कानपुर खण्ड–20	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.94	एससीएन जारी किया गया	0.80
21.	09XXXXXXXXXX1ZG	कानपुर खण्ड–20	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.45	एससीएन जारी किया गया	0.45
22.	09XXXXXXXXXX1ZA	वाराणसी खण्ड–12	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.33	एससीएन जारी किया गया	0.01
23.	09XXXXXXXXXX1Z1	लखनऊ खण्ड–12	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.31	एससीएन जारी किया गया	0.04
24.	09XXXXXXXXXX2ZF	कानपुर खण्ड–13	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.96	एससीएन जारी किया गया	0.96

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
25.	09XXXXXXXXXX1ZG	आजमगढ़ खण्ड–3	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.19	एससीएन जारी किया गया	0.19
26.	09XXXXXXXXXX1ZU	लखनऊ खण्ड–18	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.70	एससीएन जारी किया गया	0.70
27.	09XXXXXXXXXX1Z9	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.14	एससीएन जारी किया गया	0.14
28.	09XXXXXXXXXX1ZL	कोसीकलां खण्ड	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	25.81	एससीएन जारी किया गया	25.81
29.	09XXXXXXXXXX1ZE	चंदौसी खण्ड–1	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	6.99	एससीएन जारी किया गया	6.99
30.	09XXXXXXXXXX1ZO	गोरखपुर खण्ड–7	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	1.49	एससीएन जारी किया गया	1.49
31.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड–2, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	36.15	एससीएन जारी किया गया	36.15
32.	09XXXXXXXXXX4ZA	लखनऊ खण्ड–18	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	64.35	एससीएन जारी किया गया	64.35
33.	09XXXXXXXXXX1ZE	लखनऊ खण्ड–19	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	31.32	एससीएन जारी किया गया	31.32
34.	09XXXXXXXXXX1Z9	महोबा खण्ड	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	80.09	एससीएन जारी किया गया	80.09
35.	09XXXXXXXXXX1ZW	मुजफ्फर नगर खण्ड–5	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	46.44	एससीएन जारी किया गया	46.44
36.	09XXXXXXXXXX1Z0	सरधना खण्ड	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	14.85	एससीएन जारी किया गया	1.78
37.	09XXXXXXXXXX1ZU	आगरा खण्ड–18	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	40.37	एससीएन जारी किया गया	40.37

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
38.	09XXXXXXXXXX1ZD	कॉर्पोरेट सर्किल I, कानपुर	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.56	एससीएन जारी किया गया	0.56
39.	09XXXXXXXXXX1Z7	वाराणसी खण्ड–12	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.95	एससीएन जारी किया गया	0.95
40.	09XXXXXXXXXX1ZM	मिर्जापुर खण्ड–3	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.93	एससीएन जारी किया गया	0.93
41.	09XXXXXXXXXX1ZH	बरेली खण्ड–10	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.86	एससीएन जारी किया गया	0.86
42.	09XXXXXXXXXX1Z7	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.96	एससीएन जारी किया गया	0.96
43.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मेरठ खण्ड–6	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.92	एससीएन जारी किया गया	0.92
44.	09XXXXXXXXXX1ZY	संभल खण्ड–1	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.59	एससीएन जारी किया गया	0.59
45.	09XXXXXXXXXX2ZM	गाजियाबाद खण्ड–16	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.54	एससीएन जारी किया गया	0.54

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
46.	09XXXXXXXXXX 1ZN	बस्ती खण्ड–3	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.06	एससीएन जारी किया गया	1.06
47.	09XXXXXXXXXX1ZN	सीतापुर खण्ड–1	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.54	एससीएन जारी किया गया	0.54
48.	09XXXXXXXXXX1ZE	चंदौसी खण्ड–1	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	6.82	एससीएन जारी किया गया	6.82
49.	09XXXXXXXXXX1Z9	लखनऊ खण्ड–18	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	4.80	एससीएन जारी किया गया	4.80
50.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, कानपुर	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	6.51	एससीएन जारी किया गया	5.18
51.	09XXXXXXXXXX1ZY	संभल खण्ड–1	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	6.99	एससीएन जारी किया गया	6.99
52.	09XXXXXXXXXX1Z6	नोएडा खण्ड–7	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	3.40	एससीएन जारी किया गया	3.40
53.	09XXXXXXXXXX1ZS	नोएडा खण्ड–4	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	7.37	एससीएन जारी किया गया	7.37
54.	09XXXXXXXXXX1ZU	लखनऊ खण्ड–5	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एससीएन जारी किया गया	0
55.	09XXXXXXXXXX1ZM	बलिया खण्ड–2	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एससीएन जारी किया गया	0
56.	09XXXXXXXXXX1ZU	आगरा खण्ड–15	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एससीएन जारी किया गया	0
57.	09XXXXXXXXXX1ZE	लखनऊ खण्ड–16	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एससीएन जारी किया गया	0
58.	09XXXXXXXXXX1ZK	लखनऊ खण्ड–12	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	12.83	एससीएन जारी किया गया	12.83
59.	09XXXXXXXXXX1Z4	प्रयागराज खण्ड–12	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.20	एससीएन जारी किया गया	0.20

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
60.	09XXXXXXXXXX1ZC	नोएडा खण्ड–4	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.20	एससीएन जारी किया गया	0.20
61.	09XXXXXXXXXX1ZG	कानपुर खण्ड–11	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.14	एससीएन जारी किया गया	0.14
62.	09XXXXXXXXXX1ZU	लखनऊ खण्ड–5	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.12	एससीएन जारी किया गया	0.12
63.	09XXXXXXXXXX1ZS	लखनऊ खण्ड–14	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.09	एससीएन जारी किया गया	0.09
64.	09XXXXXXXXXX1ZE	लखनऊ खण्ड–21	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.09	एससीएन जारी किया गया	0.09
65.	09XXXXXXXXXX1ZQ	लखनऊ खण्ड–15	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.06	एससीएन जारी किया गया	0.06
66.	09XXXXXXXXXX1ZR	नोएडा खण्ड–10	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.06	एससीएन जारी किया गया	0.06
67.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड–1, गौतमबुद्ध नगर	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.99	एससीएन जारी किया गया	0.99
68.	09XXXXXXXXXX1ZY	लखनऊ खण्ड–21	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.39	एससीएन जारी किया गया	0.39
69.	09XXXXXXXXXX1Z1	अलीगढ खण्ड–11	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.14	एससीएन जारी किया गया	0.14
70.	09XXXXXXXXXX1Z2	लखनऊ खण्ड–8	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.10	एससीएन जारी किया गया	0.01
71.	09XXXXXXXXXX1ZK	महराजगंज, खण्ड–1	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.07	एससीएन जारी किया गया	0.07

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
72.	09XXXXXXXXXX1Z1	अलीगढ खण्ड–10	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.05	एससीएन जारी किया गया	0.05
73.	09XXXXXXXXXX2ZC	अंबेडकर नगर ,खण्ड–1	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.04	एससीएन जारी किया गया	0.04
74.	09XXXXXXXXXX1ZO	मेरठ खण्ड–8	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.49	एससीएन जारी किया गया	0.49
75.	09XXXXXXXXXX1ZB	एटा खण्ड–2	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.21	एससीएन जारी किया गया	0.21
76.	09XXXXXXXXXX1ZN	नोएडा खण्ड–2	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.19	एससीएन जारी किया गया	0.19
77.	09XXXXXXXXXX1Z0	खण्ड–1, गौतम बुद्ध नगर	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.19	एससीएन जारी किया गया	0.19
78.	09XXXXXXXXXX1ZC	नोएडा खण्ड–3	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	1.16	एससीएन जारी किया गया	1.16
79.	09XXXXXXXXXX1Z5	लखनऊ खण्ड–1	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.26	एससीएन जारी किया गया	0.26
80.	09XXXXXXXXXX1Z0	शाहजहाँपुर खण्ड–3	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.18	एससीएन जारी किया गया	0.18
81.	09XXXXXXXXXX1Z8	अयोध्या खण्ड–5	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	0.26	एससीएन जारी किया गया	0.23
	योग			**478.94**		**459.22**
1.	09XXXXXXXXXX1ZA	नोएडा खण्ड–14	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	14.24	एएसएमटी–10	
2.	09XXXXXXXXXX1ZU	गाजियाबाद खण्ड–5	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.46	एएसएमटी–10	
3.	09XXXXXXXXXX3ZE	बरेली खण्ड–3	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.78	एएसएमटी–10	
4.	09XXXXXXXXXX1Z2	नोएडा खण्ड–7	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.00	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
5.	09XXXXXXXXXX1ZN	नोएडा खण्ड–13	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.78	एएसएमटी–10	
6.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	2.55	एएसएमटी–10	
7.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड–3 हापुड	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	27.11	एएसएमटी–10	
8.	09XXXXXXXXXX1Z6	प्रयागराज खण्ड–12	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.46	एएसएमटी–10	
9.	09XXXXXXXXXX1ZZ	नोएडा खण्ड–14	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	10.56	एएसएमटी–10	
10.	09XXXXXXXXXX1ZO	बाराबंकी खण्ड–1	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.51	एएसएमटी–10	
11.	09XXXXXXXXXX1ZO	नोएडा खण्ड–11	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.26	एएसएमटी–10	
12.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.54	एएसएमटी–10	
13.	09XXXXXXXXXX1ZA	खण्ड–2, गौतम बुद्ध नगर	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.50	एएसएमटी–10	
14.	09XXXXXXXXXX1ZN	कन्नौज खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.56	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
15.	09XXXXXXXXXX1Z4	लखनऊ खण्ड–7	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.36	एएसएमटी–10	
16.	09XXXXXXXXXX1ZI	लखनऊ खण्ड–18	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.50	एएसएमटी–10	
17.	09XXXXXXXXXX1Z9	बरेली खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.27	एएसएमटी–10	
18.	09XXXXXXXXXX1ZD	कन्नौज खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.25	एएसएमटी–10	
19.	09XXXXXXXXXX1ZF	बरेली खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.33	एएसएमटी–10	
20.	09XXXXXXXXXX1ZP	बरेली खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.35	एएसएमटी–10	
21.	09XXXXXXXXXX1ZX	गाजियाबाद खण्ड–12	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	0.25	एएसएमटी–10	
22.	09XXXXXXXXXX1ZX	गाजियाबाद मोदीनगर खण्ड	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	0.44	एएसएमटी–10	
23.	09XXXXXXXXXX1Z8	गाजियाबाद खण्ड–5	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.68	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
24.	09XXXXXXXXXX1ZO	नोएडा खण्ड–12	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.41	एएसएमटी–10	
25.	09XXXXXXXXXX3Z4	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	1.51	एएसएमटी–10	
26.	09XXXXXXXXXX1ZO	कॉर्पोरेट सर्किल II, गाजियाबाद	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.13	एएसएमटी–10	
27.	09XXXXXXXXXX1ZX	कॉर्पोरेट सर्किल, ग्रेटर नोएडा –2	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.29	एएसएमटी–10	
28.	09XXXXXXXXXX1ZH	वाराणसी खण्ड–10	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.97	एएसएमटी–10	
29.	09XXXXXXXXXX1ZM	कॉर्पोरेट सर्किल, मेरठ	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.24	एएसएमटी–10	
30.	09XXXXXXXXXX1Z8	महोबा खण्ड	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.37	एएसएमटी–10	
31.	09XXXXXXXXXX2ZZ	फिरोजाबाद खण्ड–5	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.25	एएसएमटी–10	
32.	09XXXXXXXXXX1Z4	नोएडा खण्ड–3	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.23	एएसएमटी–10	
33.	09XXXXXXXXXX1ZN	गाजियाबाद खण्ड–2	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.14	एएसएमटी–10	
34.	09XXXXXXXXXX1ZM	गाजियाबाद खण्ड–4	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.31	एएसएमटी–10	
35.	09XXXXXXXXXX1Z3	फिरोजाबाद खण्ड–5	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.16	एएसएमटी–10	
36.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मिर्जापुर खण्ड–1	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.28	एएसएमटी–10	
37.	09XXXXXXXXXX1ZE	प्रयागराज खण्ड–2	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.15	एएसएमटी–10	
38.	09XXXXXXXXXX1ZY	नोएडा खण्ड–14	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	0.01	एएसएमटी–10	
39.	09XXXXXXXXXX1ZP	नोएडा खण्ड–13	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	12.07	एएसएमटी–10	
40.	09XXXXXXXXXX1ZC	नोएडा खण्ड–8	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	14.83	एएसएमटी–10	
41.	09XXXXXXXXXX1ZQ	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	59.73	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
42.	09XXXXXXXXXX1ZR	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	14.17	एएसएमटी–10	
43.	09XXXXXXXXXX1Z5	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	178.33	एएसएमटी–10	
44.	09XXXXXXXXXX1ZY	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	76.00	एएसएमटी–10	
45.	09XXXXXXXXXX1ZY	गाजियाबाद खण्ड–12	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	16.09	एएसएमटी–10	
46.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड–3 हापुड	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	3.23	एएसएमटी–10	
47.	09XXXXXXXXXX1ZO	नोएडा खण्ड–14	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	2.53	एएसएमटी–10	
48.	09XXXXXXXXXX1ZQ	नोएडा खण्ड–14	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	3.02	एएसएमटी–10	
49.	09XXXXXXXXXX1Z6	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	2.69	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
50.	09XXXXXXXXXX1ZW	गाजियाबाद खण्ड–16	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	2.48	एएसएमटी–10	
51.	09XXXXXXXXXX4ZM	कानपुर खण्ड–11	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	1.92	एएसएमटी–10	
52.	09XXXXXXXXXX1ZT	नोएडा खण्ड–13	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	1.63	एएसएमटी–10	
53.	09XXXXXXXXXX1ZU	कॉर्पोरेट सर्किल, मुरादाबाद	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	1.42	एएसएमटी–10	
54.	09XXXXXXXXXX1ZH	गाजियाबाद खण्ड–4	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	19.81	एएसएमटी–10	
55.	09XXXXXXXXXX1ZQ	नोएडा खण्ड–10	वार्षिक विवरणियों एवं खाता पुस्तकों में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता (जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ)	1.21	एएसएमटी–10	
56.	09XXXXXXXXXX3ZM	नोएडा खण्ड–13	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	925.60	एएसएमटी–10	
57.	09XXXXXXXXXX1ZJ	नोएडा खण्ड–14	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	40.52	एएसएमटी–10	
58.	09XXXXXXXXXX1ZD	बुलन्दशहर खण्ड–1	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	272.81	एएसएमटी–10	
59.	09XXXXXXXXXX1Z7	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	56.14	एएसएमटी–10	
60.	09XXXXXXXXXX1ZW	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	53.82	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
61.	09XXXXXXXXXX1ZL	लखनऊ खण्ड–20	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	459.73	एएसएमटी–10	
62.	09XXXXXXXXXX1ZE	नोएडा खण्ड–13	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	60.97	एएसएमटी–10	
63.	09XXXXXXXXXX1ZP	गाजियाबाद खण्ड–1	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	51.16	एएसएमटी–10	
64.	09XXXXXXXXXX1ZX	नोएडा खण्ड–12	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	47.34	एएसएमटी–10	
65.	09XXXXXXXXXX1ZK	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	19.92	एएसएमटी–10	
66.	09XXXXXXXXXX1Z4	लखनऊ खण्ड–9	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	258.05	एएसएमटी–10	
67.	09XXXXXXXXXX1ZG	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	119.89	एएसएमटी–10	
68.	09XXXXXXXXXX1ZS	बस्ती खण्ड–2	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	92.66	एएसएमटी–10	
69.	09XXXXXXXXXX1ZG	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	33.53	एएसएमटी–10	
70.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	52.73	एएसएमटी–10	
71.	09XXXXXXXXXX1ZD	लखनऊ खण्ड–21	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	197.42	एएसएमटी–10	
72.	09XXXXXXXXXX1ZL	खण्ड–2, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	67.31	एएसएमटी–10	
73.	09XXXXXXXXXX1ZO	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	65.16	एएसएमटी–10	
74.	09XXXXXXXXXX1Z8	लखनऊ खण्ड–2	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	46.64	एएसएमटी–10	
75.	09XXXXXXXXXX1ZM	खण्ड–2, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	57.21	एएसएमटी–10	
76.	09XXXXXXXXXX1ZF	नोएडा खण्ड–8	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	24.41	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
77.	09XXXXXXXXXX1Z6	नोएडा खण्ड–3	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	13.40	एएसएमटी–10	
78.	09XXXXXXXXXX1ZM	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	19.35	एएसएमटी–10	
79.	09XXXXXXXXXX1Z3	नोएडा खण्ड–14	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	44.56	एएसएमटी–10	
80.	09XXXXXXXXXX1ZI	लखनऊ खण्ड–9	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	35.13	एएसएमटी–10	
81.	09XXXXXXXXXX5Z0	गाजियाबाद मोदीनगर खण्ड	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	221.32	एएसएमटी–10	
82.	09XXXXXXXXXX4ZE	खण्ड–3 हापुड़	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.40	एएसएमटी–10	
83.	09XXXXXXXXXX1ZE	चंदौसी खण्ड–1	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	6.82	एएसएमटी–10	
84.	09XXXXXXXXXX1ZH	लखनऊ खण्ड–8	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	2.42	एएसएमटी–10	
85.	09XXXXXXXXXX1Z6	गाजियाबाद खण्ड–10	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.99	एएसएमटी–10	
86.	09XXXXXXXXXX1ZJ	कॉर्पोरेट सर्किल I, गाजियाबाद	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.30	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
87.	09XXXXXXXXXX1ZG	शाहजहाँपुर खण्ड–4	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.89	एएसएमटी–10	
88.	09XXXXXXXXXX1ZF	खण्ड–2, गौतम बुद्ध नगर	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.70	एएसएमटी–10	
89.	09XXXXXXXXXX1ZS	नोएडा खण्ड–14	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.97	एएसएमटी–10	
90.	09XXXXXXXXXX1ZV	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	2.83	एएसएमटी–10	
91.	09XXXXXXXXXX3ZK	गाजियाबाद खण्ड–12	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.52	एएसएमटी–10	
92.	09XXXXXXXXXX1ZO	लखनऊ खण्ड–12	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.95	एएसएमटी–10	
93.	09XXXXXXXXXX1ZO	गोरखपुर खण्ड–7	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.35	एएसएमटी–10	
94.	09XXXXXXXXXX1ZX	लखनऊ खण्ड–16	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.34	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
95.	09XXXXXXXXXX1ZU	गाजियाबाद खण्ड–16	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	0.72	एएसएमटी–10	
96.	09XXXXXXXXXX1ZH	नोएडा खण्ड–12	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता	1.06	एएसएमटी–10	
97.	09XXXXXXXXXX1Z9	नोएडा खण्ड–3	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	3.02	एएसएमटी–10	
98.	09XXXXXXXXXX1ZJ	गाजियाबाद खण्ड–12	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	3.09	एएसएमटी–10	
99.	09XXXXXXXXXX9ZO	कॉर्पोरेट सर्किल II, लखनऊ	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	8.60	एएसएमटी–10	
100.	09XXXXXXXXXX1ZI	नोएडा खण्ड–14	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	5.71	एएसएमटी–10	
101.	09XXXXXXXXXX1ZJ	लखनऊ खण्ड–2	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
102.	09XXXXXXXXXX1ZV	गाजियाबाद खण्ड–16	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
103.	09XXXXXXXXXX2ZC	गाजियाबाद खण्ड–15	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
104.	09XXXXXXXXXX1Z5	नोएडा खण्ड–13	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
105.	09XXXXXXXXXX1Z0	गाजियाबाद खण्ड–4	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
106.	09XXXXXXXXXX1ZN	नोएडा खण्ड–8	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
107.	09XXXXXXXXXX1ZP	गाजियाबाद खण्ड–5	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
108.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मैनपुरी खण्ड–2	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
109.	09XXXXXXXXXX1ZB	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
110.	09XXXXXXXXXX1ZG	खण्ड–3, गौतम बुद्ध नगर	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता (₹ करोड़ में)	की गयी कार्यवाही	लगाया गया कर/ब्याज (₹ करोड़ में)
111.	09XXXXXXXXXX1Z3	गाजियाबाद खण्ड–16	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	एएसएमटी–10	
112.	09XXXXXXXXXX1Z6	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	1.14	एएसएमटी–10	
113.	09XXXXXXXXXX1Z0	जौनपुर खण्ड–1	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.50	एएसएमटी–10	
114.	09XXXXXXXXXX1ZJ	गाजियाबाद खण्ड–5	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.15	एएसएमटी–10	
115.	09XXXXXXXXXX1ZL	गाजियाबाद खण्ड–16	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.11	एएसएमटी–10	
116.	09XXXXXXXXXX2ZK	गाजियाबाद खण्ड–12	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.11	एएसएमटी–10	
117.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मऊ खण्ड–3	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.07	एएसएमटी–10	
118.	09XXXXXXXXXX1Z7	गोरखपुर खण्ड–7	जीएसटीआर–3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर–1 उपलब्ध है।	0.06	एएसएमटी–10	
119.	09XXXXXXXXXX1ZA	गाजियाबाद खण्ड–1	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का न/कम भुगतान	0.18	एएसएमटी–10	
120.	09XXXXXXXXXX1ZN	लखनऊ खण्ड–20	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का न/कम भुगतान	0.18	एएसएमटी–10	
121.	09XXXXXXXXXX1Z9	नोएडा खण्ड–14	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का न/कम भुगतान	0.32	एएसएमटी–10	
122.	09XXXXXXXXXX1Z8	लखनऊ खण्ड–9	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का न/कम भुगतान	0.32	एएसएमटी–10	
123.	09XXXXXXXXXX1ZT	कॉर्पोरेट सर्किल, नोएडा	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का न/कम भुगतान	1.84	एएसएमटी–10	
	योग			**3,879.79**		

परिशिष्ट-VII

ऐसे प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं था

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.2.3.(ब))

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	खंडन
1.	09XXXXXXXXXX1ZQ	खण्ड–1, गौतम बुद्ध नगर	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	21.25	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने पहले ही अधिक दावा किये गये आई0टी0सी0 सीजीएसटी ₹ 16,052.00 एवं एसजीएसटी ₹ 16,052.00 को जमा कर दिया है।	विभाग ने जीएसटीआर–3बी में दावा किए गए ₹ 21,24,85,153.00 के आई0टी0सी0 एवं जीएसटीआर–2ए में ऑटो–पापुलेटेड आई0टी0सी0 के अंतर पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है।
2.	09XXXXXXXXXX1ZT	आजमगढ़ खण्ड–4	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	3.69	विभाग ने उत्तर दिया कि धारा 61 के अंतर्गत नोटिस 30.06.2021 को जारी किया गया था, उत्तर 09.07.2021 को प्रस्तुत किया गया जो विश्वसनीय एवं पोर्टल से सत्यापित पाया गया।	जीएसआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 दावे के अंतर पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZP	कानपुर खण्ड–1	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	1.92	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 1,87,74,300.00 की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6बी में आवक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अतिरिक्त) पर दर्ज किया जाना था, गलती के कारण कॉलम 6डी, जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 था, में दर्ज किया गया था।	विभाग का उत्तर आर0सी0एम0 पर है जबकि लेखापरीक्षा में 3बी एवं 2ए के मध्य आई0टी0सी0 दावे के अंतर का मुद्दा उठाया गया है।
4.	09XXXXXXXXXX1ZE	भदोही खण्ड–3	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी / जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.50	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा केवल ₹ 2,744.00 के आई0टी0सी0 का दावा किया गया है जिसके लिए चालान के माध्यम से कर जमा किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(डी) में आर0सी0एम0–आई0टी0सी0 ₹ 49,89,560.00 दर्शाया गया है।
5.	09XXXXXXXXXX1ZK	कन्नौज खण्ड–1	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के	0.34	विभाग ने उत्तर दिया कि 2017–18 के दौरान ₹ 34,07,538.56 के आई0टी0सी0 का दावा किया गया था, जिसमें से ₹ 30,64,046.10 के	कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर0सी0एम0 के अंतर्गत अपंजीकृत व्यक्तियों से की गयी

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	खंडन
			विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता		आई0टी0सी0 को कराधेय व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया है तथा ₹ 3,43,492.00 के शुद्ध आई0टी0सी0 का दावा किया गया है। धारा 73 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए ₹ 3,43,492.00 की मांग ₹ 4,39,670.00 ब्याज सहित की गयी है।	खरीद पर पहले भुगतान किया जाना है, उसके बाद आई0टी0सी0 का दावा किया जा सकता है। कराधेय व्यक्ति ने नकद में कर जमा नहीं किया था।
6.	09XXXXXXXXXX1ZS	मिर्जापुर खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.27	विभाग ने उत्तर दिया कि आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 6850.00 का कर जमा किया गया है।	आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 26,94,874.00 के आई0टी0सी0 के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
7.	09XXXXXXXXXX1Z4	अंबेडकर नगर ,खण्ड–2	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.54	विभाग ने उत्तर दिया कि धारा 73 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए ₹ 16,55,884.00 की मांग सृजित की गयी है।	आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 53,88,480.00 के आई0टी0सी0 दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
8.	09XXXXXXXXXX1ZX	भदोही खण्ड–3	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.78	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा आर0सी0एम0 के अंतर्गत किसी भी आई0टी0सी0 का दावा नहीं किया गया है।	जीएसटीआर–9 में आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 77,85,093.00 के आई0टी0सी0 के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
9.	09XXXXXXXXXX1ZZ	वाराणसी खण्ड–12	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त	0.70	विभाग ने उत्तर दिया कि धारा 73(1) के	विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी लेखापरीक्षा आपत्ति,

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	खंडन
			आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता		अंतर्गत डीआरसी–01 में ब्याज सहित ₹ 1.22 लाख की कर देनदारी की सूचना देते हुए नोटिस जारी किया गया है।	आर0सी0एम0 पर किए गये अतिरिक्त आई0टी0सी0 के दावे से मेल नहीं खा रहा है।
10.	09XXXXXXXXXX1ZF	बदायूँ खण्ड–1	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	0.28	विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 27,80,089.00 के आई0टी0सी0 के दावे पर विभाग द्वारा कोई विशिष्ठ टिप्पणी नहीं दी गयी है।
11.	09XXXXXXXXXX1Z0	सीतापुर, खण्ड–4	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	0.41	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–3बी की तालिका 3.1(डी) एवं जीएसटीआर–9 की तालिका 6(सी) में आई0टी0सी0 दावे में कोई अंतर नहीं पाया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर 9 के कॉलम 6डी में कराधेय व्यक्ति ने आर0सी0एम0 के अंतर्गत ₹ 40,45,711.41 के आई0टी0सी0 का दावा किया है।
12.	09XXXXXXXXXX1ZU	नोएडा खण्ड–9	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	0.76	विभाग ने उत्तर दिया कि आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के बिना आई0टी0सी0 का कोई दावा नहीं है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(डी) में आर0सी0एम0–आई0टी0सी0 ₹ 76,34,149.00 दर्शायी गयी है।
13.	09XXXXXXXXXX1ZD	भदोही खण्ड–3	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/	0.29	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–9सी के अनुसार असमाशोधित राशि असमाशोधित राशि के कारण थी।	आर0सी0एम0 पर कोई विशिष्ठ उत्तर नहीं दिया गया।

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	खंडन
			जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता			
14.	09XXXXXXXXXX1ZT	वाराणसी खण्ड–5	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	0.16	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा की गयी खरीदारी पर ₹ 13,90,606.00 की आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए में ऑटो–पॉप्युलेट है। ₹ 2,06,352.00 की आई0टी0सी0 ऑटो–पॉप्युलेट नहीं है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार है। अधिक दावा की गयी आई0टी0सी0 ₹ 10,348.00 कर योग्य व्यक्ति द्वारा डीआरसी दिनांक 22.02.2023 के माध्यम से ब्याज सहित जमा कर दिया गया है।	स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई0एस0डी0 क्रेडिट वितरकों द्वारा उक्त कराधेय व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दिखाने पर कोई टिप्पणी नहीं है।
15.	09XXXXXXXXXX1ZH	लखनऊ खण्ड–13	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण उत्क्रमण	0.01	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 15,78,296.00 की आर0आई0टी0सी0 की गयी है।	विभाग द्वारा आई0एस0डी0 उत्क्रमण पर कोई विशिष्ठ उत्तर नहीं दिया गया।
16.	09XXXXXXXXXX1ZO	कॉर्पोरेट सर्किल–2, ग्रेटर नोएडा	वार्षिक विवरणियों में प्राप्त आई0टी0सी0 का वित्तीय विवरणों में व्ययों के साथ मिलान (जीएसटीआर–9सी की तालिका–14टी)	39.09	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–2ए के मध्य आई0टी0सी0 के अंतर के लिए धारा 61 के अंतर्गत 10.04.2023 को नोटिस जारी किया गया था। कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।	₹ 39,08,66,784.00 के असमाशोधित टर्नओवर पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
17.	09XXXXXXXXXX1ZT	लखनऊ खण्ड–9	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	31.78	विभाग ने उत्तर दिया कि आदेश पारित करके आई0टी0सी0 के अधिक दावे के लिए ₹ 24,19,765.82, शास्ति ₹ 2,41,976.00 एवं ब्याज ₹ 24,56,924.00 की मांग सृजित की गयी है।	लेखापरीक्षा आपत्ति जीएसटीआर–9 सी की तालिका 5आर में ₹ 31,77,95,136.00 के टर्नओवर के अंतर पर थी, जिसे विभाग द्वारा संबोधित नहीं किया गया है।
18.	09XXXXXXXXXX1ZS	बलिया खण्ड–2	खाता पुस्तकों एवं विवरणियों जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में	1.06	विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय विवरण में कराधेय व्यक्ति ने ₹ 24,95,177.59 का टर्नओवर दिखाया है जिसमें वैट टर्नओवर ₹ 87,54,589.55 है, इस प्रकार शुद्ध टर्नओवर ₹	₹1,05,72,132.00 के भुगतान न किये गये अन्तरीय कर पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	आयाम	भिन्नता की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	खंडन
			भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता		1,61,50,588.00 है जबकि वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर ₹ 1,62,11,571.89 है। इस प्रकार असमाशोधित टर्नओवर ₹ 60,983.00 है।	
19.	09XXXXXXXXXX1ZH	झाँसी खण्ड–5	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रशमन अवधि जुलाई 2017–मार्च 2018 के दौरान उसने ई–कॉमर्स की सुविधा का लाभ उठाया है। 2018–19 से उन्होंने नियमित करदाता का विकल्प चुना है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने ग्राहकों से कर एकत्र किया है जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस संबंध में की गयी कार्यवाही की लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा की जायेगी।
20.	09XXXXXXXXXX1Z1	लखनऊ खण्ड–16	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण 20.11.2019 से रद्द है।	ई–कॉमर्स सुविधा पर कोई टिप्पणी नहीं.
21.	09XXXXXXXXXX1ZJ	अयोध्या खण्ड–5	प्रशमन करदाता द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	0	विभाग ने उत्तर दिया कि धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में 30.01.2023 को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने उत्तर दिया जो सहमत होने योग्य नहीं पाया गया। अग्रेतर धारा 125 के अंतर्गत 11.04.2023 को ₹ 10,000.00 का शास्ति नोटिस जारी किया गया था। अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने उत्तर प्रस्तुत किया जो सहमत होने योग्य नहीं पाया गया। फिर धारा 125 के अंतर्गत शास्ति आदेश जारी कर ₹10,000.00 की मांग की गयी।	विभाग द्वारा ई–कॉमर्स सुविधा पर कोई टिप्पणी नहीं दी गयी।
	योग			**103.83**		

परिशिष्ट-VIII
करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.2.3.(स))

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZF	कॉर्पोरेट सर्किल, अयोध्या	4.90	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण ₹ 4,67,73,389.00 के अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था, जिसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा डीआरसी 03 दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से उत्क्रमित कर दिया गया था।
2.	09XXXXXXXXXX1ZV	कानपुर खण्ड–5	3.97	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि अगस्त 2017 के विवरणी जीएसटीआर–3बी में एसजीएसटी के कॉलम में त्रुटिवश ₹ 3,99,587.71 की जगह ₹ 3,99,58,771.00 प्रविष्ट हो गया था, जिसे अगस्त 2018 के जीएसटीआर–3बी में उत्क्रमित कर दिया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZH	नोएडा खण्ड–9	4.20	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि अनजाने में हुई त्रुटि के कारण कर बीजक वाले आवक आपूर्ति पर ₹ 4,22,08,943.00 की आई0टी0सी0 को विवरणी दाखिल करते समय आर0सी0एम0 के अंतर्गत आई0टी0सी0 शीर्ष के अंतर्गत मान लिया गया था।
4.	09XXXXXXXXXX1ZP	कानपुर खण्ड–1	1.88	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि त्रुटिवश ₹ 1,87,74,300.00 की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6बी में आवक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अलावा) पर दर्ज किया जाना था, रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 के कॉलम 6डी में प्रविष्ट कर दिया गया था।
5.	09XXXXXXXXXX1ZS	कानपुर खण्ड–1	0.69	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय आई0टी0सी0 जिसे कॉलम 8–ए में दर्ज किया जाना था, लिपिकीय त्रुटि के कारण कॉलम 8डी में प्रविष्ट कर दिया गया था। जीएसटीआर–3बी में आर0सी0एम0 पर कोई देनदारी स्वीकार नहीं की गयी है।
6.	09XXXXXXXXXX1ZO	कानपुर खण्ड–4	0.44	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि पंजीकृत व्यक्तियों से की गई खरीद एवं जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित ₹ 43,87,365.00 की आई0टी0सी0 को त्रुटिवश जीएसटीआर–9 के कॉलम 6डी में प्रविष्ट कर दिया गया था।
7.	09XXXXXXXXXX1Z0	कानपुर खण्ड–28	0.29	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 29,30,105.00 की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6बी में आवक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अलावा) पर दर्ज किया जाना था, त्रुटिवश

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
				जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 के कॉलम 6डी में प्रविष्ट कर दिया गया था। पंजीकृत व्यक्ति ने आर0सी0एम0 पर ₹ 2,242.74 के आई0टी0सी0 का दावा किया है, उसी की कर देनदारी का नकद में भुगतान किया गया है।
8.	09XXXXXXXXXX1ZE	कानपुर खण्ड–30	0.67	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 66,84,343.00 की आई0टी0सी0 जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(बी) में दर्शाया जाना था, त्रुटिवश जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(डी) में दिखा दिया गया था। आवक आपूर्ति पर दावा किये गये आई0टी0सी0 को जीएसटीआर–3बी में सही ढंग से दर्शाया गया है।
9.	09XXXXXXXXXX1Z5	गोरखपुर खण्ड–2	1.49	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि त्रुटिवश जीएसटीआर–9 के कॉलम 6 (डी) में आर0सी0एम0 इनपुट दिखाया गया था। जीएसटीआर–3बी कॉलम 3.1 (डी) में आर0सी0एम0 पर कोई आई0टी0सी0 नहीं दिखाई गयी है। पंजीकृत व्यक्ति की आर0सी0एम0 की कोई आवक आपूर्ति नहीं है।
10.	09XXXXXXXXXX1ZH	औरैया खण्ड–2	3.22	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–9 के कॉलम 6बी में दावा की जाने वाली आई0टी0सी0 त्रुटिवश कॉलम 6सी में प्रविष्ट हो गयी थी। सत्यापन में यह सही पाया गया।
11.	09XXXXXXXXXX1ZD	कानपुर खण्ड–28	0.50	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 50,23,617.00 की आई0टी0सी0 जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(बी) में दिखाया जाना था, त्रुटिवश जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(डी) में में दिखाया गया था। आवक आपूर्ति पर दावा किये गये आई0टी0सी0 को जीएसटीआर–3बी में सही ढंग से दर्शाया गया है।
12.	09XXXXXXXXXX1Z3	कानपुर खण्ड–1	0.30	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा आर0सी0एम0 के अंतर्गत कोई कर देयता स्वीकार नहीं की गई है। जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय कॉलम 6ए में क्लेम की जाने वाली आई0टी0सी0 त्रुटिवश कॉलम 6डी में प्रविष्ट हो गई।
13.	09XXXXXXXXXX1Z3	खण्ड–4 हापुड	0.42	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के	विभाग ने उत्तर दिया कि जुलाई 2017 के जीएसटीआर–3बी में त्रुटिवश आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 ₹ 41,281.38 के बजाय ₹ 41,28,138.00 दर्शाया गया था। नवम्बर 2017 के महीने के लिए 3बी विवरणी में अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 को संशोधित कर दिया गया था।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
				भुगतान के मध्य भिन्नता	
14.	09XXXXXXXXXX1ZW	बाराबंकी खण्ड–2	0.25	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों से कोई खरीद नहीं की जाती है। त्रुटिवश जीएसटीआर–9 के कॉलम 6डी में ₹ 24,81,483.00 की आई0टी0सी0 प्रविष्ट हो गयी थी। इसका लाभ कराधेय व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है।
15.	09XXXXXXXXXX1ZT	उन्नाव खण्ड–2	0.26	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा दावा किया गया ₹ 26,48,350.00 की आई0टी0सी0 पंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति पर है, जो कराधेय व्यक्ति के जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित हो रहा है। त्रुटिवश इसे जीएसटीआर–3बी के कॉलम 4(ए)5 अन्य सभी आई0टी0सी0 के बजाय 4(ए)3, आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी में दिखा दिया गया था। जीएसटीआर–9 में इसे कॉलम 6(बी) में सही दर्शाया गया है।
16.	09XXXXXXXXXX1ZG	वाराणसी खण्ड–19	2.11	आर0सी0एम0 के अंतर्गत प्राप्त आई0टी0सी0 के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में कर के भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि आर0सी0एम0 के अंतर्गत जीएसटीआर–3बी या जीएसटीआर–9 के कॉलम 4(जी) में कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई कर देयता स्वीकार नहीं की गई है। त्रुटिवश आई0टी0सी0 को जीएसटीआर–9 की तालिका 6(डी) में दिखा दिया गया है।
17.	09XXXXXXXXXX1ZQ	वाराणसी खण्ड–15	1.36	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 1,36,29,285.00 की आई0टी0सी0 जो पंजीकृत व्यक्तियों से की गई खरीद पर अर्जित की गयी थी, त्रुटिवश आर0सी0एम0 पर आई0टी0सी0 के कॉलम में दिखा दी गयी थी। जीएसटीआर–2ए में आई0टी0सी0 का सारा विवरण उपलब्ध है।
18.	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेरठ खण्ड–7	0.66	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–3बी में कराधेय व्यक्ति द्वारा आर0सी0एम0 के अंतर्गत किसी भी आई0टी0सी0 का दावा नहीं किया गया था। जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय, जीएसटीआर–9 के कॉलम 6बी में दावा किए जाने वाले पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आपूर्ति पर आई0टी0सी0, को त्रुटिवश कॉलम 6डी में प्रविष्ट कर दिया गया था।
19.	09XXXXXXXXXX1ZJ	बस्ती खण्ड–1	0.46	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त	विभाग ने उत्तर दिया कि जुलाई 2017 से नवंबर 2017 तक जीएसटीआर–2ए में स्वतः प्रविष्ट हुई आई0टी0सी0 त्रुटिवश जीएसटीआर–3बी के आर0सी0एम0 कॉलम में दिखा दी गई थी। कोई कर अपवंचन नहीं पाया गया अतः नोटिस निरस्त कर दिया गया।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
				आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	
20.	09XXXXXXXXXX1ZM	कानपुर खण्ड–27	0.28	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 27,47,849.00 की आई0टी0सी0, जिसे जीएसटीआर–9 के कॉलम 6 बी में आंतरिक आपूर्ति (आर0सी0एम0 के अलावा) पर प्रविष्ट किया जाना था, त्रुटिवश कॉलम 6 डी रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 में प्रविष्ट कर दिया गया था। पंजीकृत व्यक्तियों से की गयी खरीद पर आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित हो रही है।
21.	09XXXXXXXXXX1Z1	नोएडा खण्ड–7	1.74	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों से कोई खरीद नहीं की गयी है। जीएसटीआर–3बी में कराधेय व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई कर देयता स्वीकार नहीं की गई है। जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय पंजीकृत व्यक्तियों से खरीद पर दावा किया गया आई0टी0सी0 त्रुटिवश कॉलम 6सी में प्रविष्ट हो गया था।
22.	09XXXXXXXXXX1ZF	भदोही खण्ड–3	0.25	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति के कॉलम में आई0टी0सी0 की राशि गलती से भर दी है।
23.	09XXXXXXXXXX1ZN	खण्ड–4 हापुड	0.26	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–9 के कॉलम 4(जी) में आवक आपूर्ति, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है, राशि शून्य है, जबकि त्रुटिवश कराधेय व्यक्ति ने कॉलम 6(बी) के बजाय कॉलम 6 (डी) में ₹ 26,32,028.00 दिखा दिया है। ।
24.	09XXXXXXXXXX1ZY	बस्ती खण्ड–3	1.34	आर0सी0एम0 के अंतर्गत कर भुगतान के विरुद्ध जीएसटीआर–3बी/ जीएसटीआर–9 में प्राप्त आई0टी0सी0 के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि पंजीकृत व्यक्तियों से की गई खरीद पर दावा की गयी ₹ 1,34,35,955.00 की आई0टी0सी0, जो जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित हो रही है, त्रुटि के कारण आर0सी0एम0 के कॉलम में दर्शा दी गयी थी। दावा की गयी आई0टी0सी0 पंजीकृत व्यक्तियों से की गई खरीद से संबंधित है जो जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित हो रही है।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
25.	09XXXXXXXXXX1ZL	नोएडा खण्ड–10	0.18	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा आई0एस0डी0 के किसी भी आई0टी0सी0 का दावा नहीं किया गया है, जीएसटीआर–3बी में पंजीकृत व्यक्ति (अन्य आई0टी0सी0) से खरीद पर तालिका 4(ए)(5) में दावा की जाने वाली आई0टी0सी0 को त्रुटिवश तालिका 4(ए)(4) में प्रविष्ट कर दिया गया था। जीएसटीआर–3बी में दावा की गयी आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित हो रही है।
26.	09XXXXXXXXXX1ZP	बाराबंकी खण्ड–4	0.20	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	विभाग ने उत्तर दिया कि जुलाई एवं अगस्त 2017 के विवरणी 3बी में त्रुटिवश एस0जी0एस0टी0 ₹ 10,02,887.77 एवं सी0जी0एस0टी0, ₹ 10,02,887.77 की आई0टी0सी0 कॉलम 4(ए)(5) अन्य सभी आई0टी0सी0 के बजाय कॉलम 4(ए)(4) आई0एस0डी0 से आवक आपूर्ति, में प्रविष्ट कर दिया गया था। इसे कराधेय व्यक्ति के खातों से सत्यापित किया गया और सही पाया गया।
27.	09XXXXXXXXXX1ZB	लखनऊ खण्ड– 6	0.13	आई0एस0डी0 क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण लाभ	विभाग ने उत्तर दिया कि जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन का पहला वर्ष होने एवं कराधेय व्यक्ति के विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं होने के कारण जीएसटीआर–2ए में ऑटो–पापुलेटेड आई0टी0सी0 की राशि कॉलम 4(ए)(5) के बजाय कॉलम 4(ए)(4) में प्रविष्ट कर दिया गया था। जीएसटीआर–9 के कॉलम 6(जी) में भी ₹ 12,87,974.00 की आई0टी0सी0 दर्ज की गयी है। कराधेय व्यक्ति द्वारा दावा किया गया आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए के साथ सत्यापन में सही पाया गया।
28.	09XXXXXXXXXX1ZA	लखीमपुर खीरी खण्ड–1	17.39	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 17,39,26,033.00 का टर्नओवर जीएसटीआर–9 में दिखाने में गलती से रह गया था।
29.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेरठ खण्ड–10	30.71	जीएसटीआर–9सी के तालिका–5आर में घोषित टर्नओवर में भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि जीएसटीआर–9 के कॉलम 5एफ में गैर–जीएसटी आपूर्ति टर्नओवर ₹ 69,85,10,034.00 के बजाय ₹ 39,14,43,645.70 दर्ज कर दिया गया था, जिसे जीएसटीआर–9सी के कॉलम 06ए में वर्णित किया गया है। जांच करने पर यह विश्वासप्रद पाया गया एवं गैर–जीएसटी की आपूर्ति होने के कारण कोई कर देयता उत्पन्न नहीं होती है।
30.	09XXXXXXXXXX1ZA	गोरखपुर खण्ड–9	68.26	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि दालों का कर मुक्त टर्नओवर त्रुटिवश कर योग्य टर्नओवर के कॉलम में दिखा दिया गया था। पंजीकृत व्यक्ति पर कोई कर दायित्व नहीं है।
31.	09XXXXXXXXXX1ZS	गोंडा खण्ड–1	13.78	जीएसटीआर–9सी के तालिका–7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा लिपिकीय त्रुटि से ₹ 13,77,45,849.00 का कर मुक्त टर्नओवर जीएसटीआर–9सी में कॉलम 7(बी) के स्थान पर 7(ए) में दर्शाया गया था। अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया गया कि कराधेय व्यक्ति धान, गेहूं और चावल का व्यापार करता है जो कर मुक्त माल है। जीएसटीआर–9, जीएसटीआर–1 एवं

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
					जीएसटीआर–3बी में कोई कर देयता स्वीकार नहीं की गई है।
32.	09XXXXXXXXXX1ZP	लखनऊ खण्ड– 2	5.51	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	विभाग ने उत्तर दिया कि कर योग्य टर्नओवर ₹ 5,50,77,200.00 को अनजाने में जीएसटीआर–9 के भाग–V कॉलम–10 के अंतर्गत आई0जी0एस0टी0 कर के रूप में प्रविष्ट कर दिया गया था। जीएसटीआर–9सी की पंक्ति 10सी में इस असमाशोधित कर की राशि के कारणों को स्पष्ट कर दिया गया है। कराधेय व्यक्ति के जीएसटीआर–9, लाभ और हानि खाते एवं बैलेंस शीट की जांच की गई तथा कर योग्य व्यक्ति का स्पष्टीकरण सही पाया गया।
33.	09XXXXXXXXXX1Z7	लखनऊ खण्ड–22	4.81	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति के उत्तर का मिलान पोर्टल पर उपलब्ध करदाता के विवरणियों से किया गया। यह पाया गया कि जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय लिपिकीय त्रुटि से ₹ 26,24,662.63 के स्थान पर सीजीएसटी के शीर्ष में ₹ 2,62,46,662.63 और एसजीएसटी में ₹ 2,62,46,662.63 प्रविष्ट हो गया। सत्यापन में कराधेय व्यक्ति का कथन सही पाया गया।
34.	09XXXXXXXXXX1ZP	गोरखपुर खण्ड–2	8.31	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	विभाग द्वारा धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में 19.12.2022 को नोटिस एवं 17.04.2023 को अनुस्मारक जारी किया गया था। उत्तर में कराधेय व्यक्ति ने बताया कि नवंबर 2017 के जीएसटीआर–3बी के अनुसार ₹ 75,95,810.00 की बिक्री घोषित की गई थी, जबकि जीएसटीआर–1 में 28 प्रतिशत की दर से जावक आपूर्ति जो बी से सी थी, लिपिकीय त्रुटि से ₹ 29,66,864.00 के स्थान पर ₹ 29,66,86,467.00 प्रविष्ट हो गई। कराधेय व्यक्ति के खातों का सत्यापन करने पर अंतर के कारण विश्वासप्रद पाये गये।
35.	09XXXXXXXXXX1ZU	खण्ड–1 हापुड	34.92	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति को धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। उत्तर में कराधेय व्यक्ति ने बताया कि जीएसटीआर–9 दाखिल करते समय कॉलम 4बी में गलती से ₹ 35,27,753.00 की जगह ₹ 35,27,75,392.00 आई0जी0एस0टी0 प्रविष्ट हो गया था। जीएसटीआर–9 के कॉलम 9(ए) में ₹ 35,27,754.00 की सही राशि का उल्लेख है, जो जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–3बी की वार्षिक राशि के बराबर है। इसका सत्यापन कराधेय व्यक्ति के खाता–बही से किया गया था।
36.	09XXXXXXXXXX1Z1	बस्ती खण्ड–2	18.26	निर्वहन न की गयी कर देनदारियाँ	विभाग ने उत्तर दिया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण, जीएसटीआर–9 के कॉलम 4 में सही कर देनदारी सी0जी0एस0टी0 ₹ 1,01,43,125.93 एवं एस0जी0एस0टी0 ₹ 1,01,43,125.93 जो करदाता द्वारा ₹ 7,26,14,502.00, की बाहरी आपूर्ति पर भुगतान किया गया था की जगह सी0जी0एस0टी0 ₹ 10,14,31,025.93 एवं एस0जी0एस0टी0 ₹ 10,14,31,025.93 की प्रविष्टी कर दी गई थी।
	योग		**234.40**		

परिशिष्ट-IX
कराधेय व्यक्तियों द्वारा ब्याज का न/कम–भुगतान
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.2.(अ))

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में देय कर का माह	जीएसटीआर–3बी में दिखाया गया कर भुगतान (नकद घटक)	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	दिनों में देरी	कर देर से जमा करने पर ब्याज	पहले से ही जमा किया गया ब्याज	योग	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZO	मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स	ज्वा0क0 का0स0 रा0क0 अयोध्या	नवंबर 2017	8,38,572.00	20.12.2017	21.12.2017	1	413.00			कराधेय व्यक्ति द्वारा दिनांक 08.06.2023 को ₹ 768.00 का ब्याज जमा कर दिया गया है।
				मार्च 2018	7,20,336.00	20.04.2018	21.04.2018	1	355.00		768.00	
2.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स सुनील कुमार सिंह	खण्ड 1 बलिया	मार्च 2018	4,816.00	20.04.2018	31.05.2019	426	893.00		893.00	कराधेय व्यक्ति द्वारा दिनांक 10.04.2023 को ₹ 894.00 का ब्याज जमा कर दिया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1Z3	मेसर्स वेन्शा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	खण्ड 1 रा0क0 बांदा	मार्च 2018	2,50,51,473.00	20.04.2018	08.05.2018	18	2,22,375.00		2,22,375.00	डीआरसी–01 में 27.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
4.	09XXXXXXXXXXIZF	मेसर्स पवन ट्रेडर्स	खण्ड 4 बाराबंकी	जुलाई 2017	12,80,984.00	20.08.2017	25.08.2017	5	3,159.00			29.05.2023 को ₹ 1.33 लाख का ब्याज जमा किया गया है।
				अगस्त 2017	20,79,346.00	20.09.2017	01.12.2017	72	73,821.00			
				सितंबर 2017	11,10,796.00	20.10.2017	07.12.2017	48	26,294.00			
				अक्टूबर 2017	20,36,854.00	20.11.2017	08.12.2017	18	18,081.00			
				नवंबर 2017	16,38,620.00	20.12.2017	21.12.2018	1	808.00			
				दिसंबर 2017	12,49,452.00	20.01.2018	07.02.2018	18	11,091.00		1,33,254.00	
5.	09XXXXXXXXXXIZA	मेसर्स बब्लू एंड संस	खण्ड 3 रा0क0 चंदौली	फरवरी 2018	25,063.00	20.03.2018	16.03.2019	361	4,462.00		4,462.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में 27.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
6.	09XXXXXXXXXX1Z4	मेसर्स पीआरएल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	अक्टूबर 2017	1,57,362.00	20.11.2017	23.11.2017	3	233.00			कराधेय व्यक्ति को धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
				दिसंबर 2017	2,24,074.00	20.01.2018	01.10.2019	619	68,400.00			
				मार्च 2018	15,57,822.00	20.04.2018	01.10.2019	529	4,06,399.00		4,75,032.00	
7.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स मिसन इंजीनियरिंग वर्क्स	खण्ड 10 रा0क0 गाजियाबाद	सितंबर 2017	7,27,611.00	20.10.2017	20.11.2017	30	10,765.00			कराधेय व्यक्ति को धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
				अक्टूबर 2017	3,18,780.00	20.11.2017	21.12.2017	32	5,030.00			
				दिसंबर 2017	3,50,585.00	20.01.2018	16.02.2018	27	4,668.00			
				जनवरी 2018	1,09,740.00	20.02.2018	17.03.2018	25	1,353.00			
				फरवरी 2018	19,751.00	20.03.2018	11.04.2018	22	214.00		22,030.00	

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में देय कर का माह	जीएसटीआर–3बी में दिखाया गया कर भुगतान (नकद घटक)	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	दिनों में देरी	कर देर से जमा करने पर ब्याज	पहले से ही जमा किया गया ब्याज	योग	विभाग का उत्तर
8.	09XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड	खण्ड 16 रा0क0 गाजियाबाद	जुलाई 2017	22,05,710.00	20.08.2017	27.08.2018	372	4,04,642.00			विभाग ने उत्तर दिया कि धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है (जून 2023)।
				अगस्त 2017	90,47,661.00	20.09.2017	27.08.2018	341	1,59,363.00			
				सितंबर 2017	13,99,938.00	20.10.2017	27.08.2018	311	2,14,708.00			
				अक्टूबर 2017	21,40,929.00	20.11.2017	27.08.2018	280	2,95,624.00			
				नवंबर 2017	20,96,847.00	20.12.2017	27.08.2018	250	2,58,515.00			
				दिसंबर 2017	15,18,683.00	20.01.2018	27.08.2018	219	1,64,018.00			
				जनवरी 2018	16,18,568.00	20.02.2018	30.08.2018	191	1,52,456.00			
				फरवरी 2018	6,08,959.00	20.03.2018	30.08.2018	163	48,950.00			
				मार्च 2018	1,42,380.00	20.04.2018	30.08.2018	132	9,268.00		17,07,544.00	
9.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स विद्या सागर सुमन कुमार	खण्ड 1 हरदोई	जुलाई 2017	4,11,952.00	20.08.2017	20.09.2017	31	6,928.00		6,928.00	धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–01 में 11.05.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
10.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स आरएसपीएल लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 –II रा0क0 कानपुर	जुलाई 2017	21,57,73,758.00	20.08.2017	28.08.2017	3	3,19,226.00			विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि करदाता ने जुलाई 2017 की विवरणी 28 अगस्त 2017 को दाखिल किया था, जो कि केवल तीन दिन के विलम्ब से हुआ था क्योंकि 20 अगस्त 2017 की सीबीआईसी की अधिसूचना के अनुसार जीएसटीआर–3बी दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त 2017 तक बढ़ा दी गई थी, जिसके लिए ₹ 3.19 लाख का ब्याज 06 फरवरी 2023 को जमा किया गया है, दिसंबर 2017 के महीने के लिये कहा गया कि अधिसूचना दिनांक 20.01.2018 द्वारा विवरणी दाखिल करने की तिथि 22 जनवरी 2018 तक बढ़ा दी गई थी इसलिए ब्याज प्रभार्य नहीं था एवं माह मार्च 2018 के लिए ₹ 50082.00 का ब्याज दिनांक 06 फरवरी 2023 को
				मार्च 2018	10,15,54,195.00	20.04.2018	21.04.2018	1	50,082.00	6022.00	3,63,286.00	

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में देय कर का माह	जीएसटीआर–3बी में दिखाया गया कर भुगतान (नकद घटक)	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	दिनों में देरी	कर देर से जमा करने पर ब्याज	पहले से ही जमा किया गया ब्याज	योग	विभाग का उत्तर
												जमा कर दिया गया है।
11.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स गोला ट्रैक्टर्स	खण्ड 3 रा0क0 लखीमपुर खीरी	अक्टूबर 2017	7,79,156.00	20.11.2017	27.11.2017	7	2,690.00			कराधेय व्यक्ति द्वारा दिनांक 27.04.2023 को ₹ 7100.00 का ब्याज जमा किया गया है
				दिसंबर 2017	1,51,653.00	20.01.2018	27.01.2018	7	524.00			
				जनवरी 2018	9,66,159.00	20.02.2018	28.02.2018	8	3,812.00		7,026.00	
12.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0–II रा0क0 लखनऊ	जुलाई 2017	10,47,01,120.00	20.08.2017	25.08.2017	5	2,58,167.00			एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है।
				दिसंबर 2017	17,20,29,545.00	20.01.2018	22.01.2018	2	1,69,673.00		4,27,840.00	
13.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स ग्लोब ट्रेड हाउस	खण्ड 17 रा0क0 लखनऊ	जुलाई 2017	57,412.00	20.08.2017	09.09.2017	20	566.00			एएसएमटी–10 में 10.11.2022 को नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–01 में नोटिस और अनुस्मारक जारी किए।
				अगस्त 2017	1,890.00	20.09.2017	25.12.2017	96	89.00		655.00	
14.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	खण्ड 20 लखनऊ	मार्च 2018 (2017–18)	1,44,53,312.00	20.04.2018	24.03.2022	1434	1,02,21,065.00		1,02,21,065.00	धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
15.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स त्रिदेव बिजनेस	खण्ड 2 रा0क0 मऊ	जुलाई 2017	730.00	25.08.2017	07.10.2017	48	17.00			डीआरसी–03 के माध्यम से दिनांक 27.04.2023 को ₹ 80686.00 का ब्याज जमा कर दिया गया है।
				अगस्त 2017	800.00	20.09.2017	07.10.2017	17	7.00			
				जनवरी 2018	1,74,951.00	20.02.2018	11.10.2018	233	20,103.00			
				फरवरी 2018	2,43,726.00	20.03.2018	11.10.2018	205	24,640.00			
				मार्च 2018	3,82,599.00	20.04.2018	11.10.2018	174	32,830.00		77,597.00	
16.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स प्रथमा बैंक	खण्ड 1 रा0क0 मुरादाबाद	जुलाई 2017	42,11,043.00	20.08.2017	11.12.2017	113	2,34,665.00			विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि जुलाई 2017 माह के लिए ₹ 2.24 लाख का ब्याज 19 मई 2023 को जमा कर दिया गया है, हालांकि शेष महीनों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।
				अगस्त 2017	29,52,260.00	20.09.2017	11.12.2017	81	1,17,928.00			
				दिसंबर 2017	1,74,753.00	20.01.2018	23.01.2018	3	258.00			
				मार्च 2018	2,32,37,093.00	20.04.2018	08.06.2018	49	5,61,510.00		9,14,361.00	
17.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स यूफ्लेक्स लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–ए रा0क0 नोएडा	जुलाई 2017	2,33,58,730.00	20.08.2017	01.09.2017	12	1,38,232.00		1,38,232.00	12.04.2023 को नोटिस जारी किया गया था, कराधेय व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसे सत्यापित किया जा रहा है।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में देय कर का माह	जीएसटीआर–3बी में दिखाया गया कर भुगतान (नकद घटक)	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	दिनों में देरी	कर देर से जमा करने पर ब्याज	पहले से ही जमा किया गया ब्याज	योग	विभाग का उत्तर
18.	09XXXXXXXXXX1Z3	मेसर्स वन 97 कम्युनिकेशन		जुलाई 2017	8,12,54,261.00	20.08.2017	31.08.2017	11	4,40,775.00		4,40,775.00	कराधेय व्यक्ति को दिनांक 12.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
19.	09XXXXXXXXXX1ZF	मेसर्स जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–बी रा0क0 नोएडा	जुलाई 2017	3,74,02,351.00	20.08.2017	28.08.2017	8	1,47,560.00		1,47,560.00	विभाग ने उत्तर दिया कि अधिसूचना द्वारा जुलाई 2017 महीने के लिए विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि 28 अगस्त 2017 तक बढ़ा दी गई थी। इसलिए कर के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिसूचना सशर्त थी जहाँ 20.08.2017 से ब्याज देय था।
20.	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स डीएससी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड	खण्ड 3 रा0क0 नोएडा	नवंबर 2017	80,04,016.00	20.12.2017	14.09.2018	268	10,57,846.00			विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 67.96 लाख का ब्याज प्रभारित किया गया था। कराधेय व्यक्ति ने अपील की है।
				दिसंबर 2017	34,99,455.00	20.01.2018	14.09.2018	237	4,09,005.00		14,66,851.00	
21.	09XXXXXXXXXX1ZI	मेसर्स सिल्वर एरो ऑटोमोबाइल्स प्रा. लिमिटेड	खण्ड 4 रा0क0 नोएडा	जुलाई 2017	59,367.00	20.08.2017	24.08.2017	4	117.00		117.00	कराधेय व्यक्ति से ₹ 117.00 का ब्याज प्राप्त कर लिया गया है।
22.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स जेकेएम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	खण्ड 6 नोएडा	सितंबर 2017	68,32,632.00	20.10.2017	20.12.2017	60	2,05,540.00		2,05,540.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
23.	09XXXXXXXXXX3ZI	मेसर्स सुविधा इन्फ्रोकॉन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	फरवरी 2018	2,37,934.00	20.03.2018	24.10.2018	218	25,580.00			धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में 30.05.2023 को नोटिस जारी किया गया है
				मार्च 2018	9,40,672.00	20.04.2018	15.01.2019	270	1,25,251.00		1,50,831.00	
24.	09XXXXXXXXXX1ZW	मेसर्स गोल्फ ग्रीन बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 13 रा0क0 नोएडा	जुलाई 2017	27,000.00	20.08.2017	03.10.2017	44	586.00			कराधेय व्यक्ति द्वारा दिनांक 07.06.2023 को ₹ 1940.00 का ब्याज जमा कर दिया गया है।
				अगस्त 2017	21,370.00	20.09.2017	18.01.2018	120	1,265.00			
				सितंबर 2017	1,696.00	20.10.2017	18.01.2018	90	75.00		1,926.00	
25.	09XXXXXXXXXX2ZM	मेसर्स बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	खण्ड 1 रायबरेली	जुलाई 2017	32,53,232.00	20.08.2017	25.08.2017	5	8,022.00			धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में कराधेय व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है
				दिसंबर 2017	27,31,075.00	20.01.2018	21.01.2018	1	1,347.00		9,369.00	

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में देय कर का माह	जीएसटीआर–3बी में दिखाया गया कर भुगतान (नकद घटक)	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	दिनों में देरी	कर देर से जमा करने पर ब्याज	पहले से ही जमा किया गया ब्याज	योग	विभाग का उत्तर
26.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स	खण्ड 1 रा0क0 उन्नाव	जुलाई 2017	23,764.00	20.08.2017	30.09.2017	41	480.00			विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
				दिसंबर 2017	50,130.00	20.01.2018	08.03.2018	47	1,162.00		1,642.00	
27.	09XXXXXXXXXX1Z0	मेसर्स आइडिया सेल्स एजेंसीज प्रा. लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 –I रा0क0 वाराणसी	अगस्त 2017	5,90,896.00	20.09.2017	14.12.2017	85	24,769.00			विभाग ने उत्तर दिया कि अगस्त 2017 के महीने के लिए कर का नकद घटक ₹ 5,90,898.00, 05.12.2017 को जमा किया गया था, इसलिए 85 दिनों के बजाय 76 दिनों के विलम्ब के लिए ₹ 22,146.00 का ब्याज 02.05. 2023 को जमा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसे 14.12.2017 को कैश लेजर में डेबिट किया गया था। अग्रेतर, सितंबर एवं अक्टूबर 2017 के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
				सितंबर 2017	9,33,410.00	20.10.2017	02.01.2018	74	34,063.00			
				अक्टूबर 2017	6,22,009.00	20.11.2017	02.01.2018	43	13,190.00		72,022.00	
28.	09XXXXXXXXXX1Z9	मेसर्स राज ब्रदर्स	खण्ड 20 वाराणसी	जुलाई 2017	9,878.00	20.08.2017	24.08.2017	4	19.00			दिनांक 16.05.2023 को ₹ 1,872.00 का ब्याज जमा किया गया है
				दिसंबर 2017	18,78,530.00	20.01.2018	22.01.2018	2	1,853.00		1,872.00	
29.	09XXXXXXXXXX1ZT	मेसर्स उमा एसोसिएट्स	खण्ड 21 रा0क0 वाराणसी	सितंबर 2017	5,40,000.00	20.10.2017	16.11.2017	27	7,190.00			विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति द्वारा ₹ 3.21 लाख का ब्याज पहले ही जमा कर दिया गया है, शेष राशि ₹ 1.04 लाख डीआरसी 03 के माध्यम से 28.04.2023 को जमा की गई।
				नवम्बर 2017	10,86,200.00	20.12.2017	08.01.2018	19	10,178.00			
				दिसम्बर 2017	70,06,285.00	20.01.2018	24.03.2018	63	2,17,675.00			
				जनवरी 2018	19,73,053.00	20.02.2018	04.04.2018	43	41,840.00			
				फरवरी 2018	34,53,691.00	20.03.2018	15.06.2018	87	1,48,178.00		4,25,061.00	
	योग								**15,52,998.00**	**6,022.00**	**1,76,46,914.00**	

परिशिष्ट-X
डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.2.(ब))

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	भिन्नता की राशि ₹ में	आयाम	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेसर्स बंदे मातरम ट्रेडर्स	खण्ड श्रावस्ती, रा0क0 श्रावस्ती	18,19,472.00	जीएसटीआर–9 की तालिका 9 एवं जीएसटीआर–9सी की तालिका 9क्यू के मध्य कर भुगतान की भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने ₹ 41,51,282.00 की कर देयता स्वीकार की थी जिसका भुगतान उसने कर दिया था। जीएसटीआर–9सी की तालिका 9क्यू में लिपिकीय त्रुटि के कारण इसे ₹ 59,70,755.00 दर्शाया गया था।
2.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स पंचशील रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड 9 रा0क0 गाजियाबाद	5,91,22,001.00	जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–3बी के मध्य कर भुगतान की भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने वास्तविक कर राशि एस0जी0एस0टी0 ₹ 32,84,546.00 एवं सी0जी0एस0टी0 ₹ 32,84,546.00 के बजाय अनजाने में एस0जी0एस0टी0 ₹ 3,28,45,546.00 एवं सी0जी0एस0टी0 ₹ 3,28,45,546.00 का कर जीएसटीआर–1 की तालिका 4 में प्रविष्ट कर दिया था। जिसे जीएसटीआर–3बी में सही ढंग से दर्शाया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZF	मेसर्स पवन ट्रेडर्स	खण्ड 4 रा0क0 बाराबंकी	19,35,109.00	जीएसटीआर–2ए एवं जीएसटीआर–3बी में आई0टी0सी0 दावे में भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि अगस्त 2017 के महीने के लिए जीएसटीआर–3बी में रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर आई0टी0सी0 को त्रुटिवश कॉलम 4(ए)(3) के बजाय कॉलम 4(ए)(5) में दर्शाया गया था।
4.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स गोला ट्रैक्टर्स	खण्ड 3 रा0क0 लखीमपुर खीरी	26,29,510.00	आर0सी0एम0 के अन्तर्गत आई0टी0सी0 दावे एवं आर0सी0एम0 के अन्तर्गत कर भुगतान के मध्य भिन्नता	विभाग ने उत्तर दिया कि कराधेय व्यक्ति ने जुलाई 2017 के जीएसटीआर–3बी में त्रुटिवश अन्य सभी आईटीसी के बजाय आर0सी0एम0 के अन्तर्गत ₹ 26,29,510.00 के आई0टी0सी0 का दावा किया था, जिसे जीएसटीआर–9 में सुधारा गया था।

परिशिष्ट-XI
आई0टी0सी0 का न/कम उत्क्रमण
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.3.(ब))

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	कुल आपूर्ति {तालिका (आर 9 कॉलम 4एन+5एम–4जी)=5एन (–) आर 9 कॉलम 5एफ}	छूट/शून्य आपूर्ति (आर 9 कॉलम 5डी+5ई)	कुल पात्र आई0टी0सी0 (आर 9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)+6एफ+6जी+ तालिका 8सी(–) (जीएसटीआर–3बी की तालिका 4डी (2)+ जीएसटीआर–9 की तालिका 7ई +तालिका 12, का योग)	उत्क्रमणीय आई0टी0सी0	करदाता द्वारा उत्क्रमित आई0टी0सी0 (धारा 42 के अन्तर्गत) (जीएसटीआर–9 की तालिका 7सी+7डी))	आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमण	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स पवन ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड	खण्ड 17 रा0क0 गाजियाबाद	36,04,43,739.00	1,76,926.00	12,15,69,604.00	59,673.00	0	59,673.00	धारा 61 के अन्तर्गत 30.05. 2023 को नोटिस जारी किया गया है।
2.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स विद्या सागर सुमन कुमार	खण्ड 1 रा0क0 हरदोई	37,00,48,574.00	31,89,76,647.00	23,23,664.00	20,02,965.00	0	20,02,965.00	धारा 73 के अन्तर्गत 11.05. 2023 को डीआरसी–01 जारी किया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स अवध शुगर एंड एनर्जी	ज्वा0क0 का0स0–II रा0क0 लखनऊ	17,85,19,70,831.00	76,40,60,261.00	29,68,05,770.00	1,27,03,219.00	0	1,27,03,219.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
4.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स यूफ्लेक्स लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–ए	19,91,49,91,960.00	2,52,80,603.00	2,68,08,66,199.00	34,03,160.00	13,46,475.00	20,56,685.00	04.12.2023 को नोटिस जारी किया गया था।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	कुल आपूर्ति {तालिका (आर 9 कॉलम 4एन+5एम–4जी)=5एन (–) आर 9 कॉलम 5एफ}	छूट/शून्य आपूर्ति (आर 9 कॉलम 5डी+5ई)	कुल पात्र आई0टी0सी0 (आर 9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)+6एफ+6जी+ तालिका 8सी(–) (जीएसटीआर–3बी की तालिका 4डी (2)+ जीएसटीआर–9 की तालिका 7ई +तालिका 12, का योग)	उत्क्रमणीय आई0टी0सी0	करदाता द्वारा उत्क्रमित आई0टी0सी0 (धारा 42 के अन्तर्गत) (जीएसटीआर–9 की तालिका 7सी+7डी))	आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमण	विभाग का उत्तर
			रा0क0 नोएडा							08.06.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
5.	09XXXXXXXXXX1ZF	मेसर्स जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–बी रा0क0 नोएडा	16,11,75,75,281.00	6,30,24,752.00	2,32,35,63,245.00	90,85,858.00	0	90,85,858.00	कराधेय व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है।
6.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स लिसनअप इंडिया हियरिंग सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	6,13,14,649.00	5,89,63,888.00	20,26,896.00	19,49,186.00	0	19,49,186.00	धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में 10.05.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
7.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स	खण्ड 1 रा0क0 उन्नाव	10,77,28,343.00	3,92,491.00	1,93,56,739.00	70,523.00	0	70,523.00	धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
	योग			**54,78,40,73,377.00**	**1,23,08,75,568.00**	**5,44,65,12,117.00**	**2,92,74,584.00**	**13,46,475.00**	**2,79,28,109.00**	

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	कुल आपूर्ति जीएसटीआर–3बी {कॉलम 3.1 (ए+बी+सी+)–कॉलम 3.1 (ई)}	छूट/शून्य आपूर्ति (जीएसटीआर–3बी) कॉलम 3.1 (सी)	कुल पात्र आई0टी0सी0 जीएसटीआर–3बी {कॉलम 4ए(1+2+3+4+5)}	उत्क्रमणीय आईटीसी	करदाता द्वारा उत्क्रमित आई0टी0सी0 (धारा 42 एवं 43 के अन्तर्गत)	आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमण	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स मोहन स्वीट्स एंड बेकर्स	खण्ड 13 रा0क0 लखनऊ	1,64,75,309.00	13,34,400.00	5,24,073.00	42,446.00	5,360.00	37,086.00	धारा 61 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।
2.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स आनंदा डेयरी लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 रा0क0 मेरठ	9,61,82,66,080.00	7,06,98,93,137.00	12,61,02,734.00	9,26,91,640.00	4,26,80,080.00	5,00,11,560.00	धारा 61 के अन्तर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
	योग			**9,63,47,41,389.00**	**7,07,12,27,537.00**	**12,66,26,807.00**	**9,27,34,086.00**	**4,26,85,440.00**	**5,00,48,646.00**	
	वृहद योग			**64,41,88,14,766.00**	**8,30,21,03,105.00**	**5,57,31,38,924.00**	**12,20,08,670.00**	**4,40,31,915.00**	**7,79,76,755.00**	

परिशिष्ट-XII
जीएसटीआर–3बी एवं जीएसटीआर–2ए के मध्य आई0टी0सी0 की भिन्नता
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.3.(सी).(i))

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX2Z5	मेसर्स कॉन्सेप्ट कंसीवर्स एंड एक्जीक्यूटर्स	ज्वा0क0 का0स0 रा0क0 आगरा	6,74,53,514.00	5,56,51,645.00	1,18,01,869.00	विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 1.06 करोड़ की आई0टी0सी0 आयात से संबंधित है जो जीएसटीआर–2ए में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। ₹ 7.59 लाख की आई0टी0सी0 को पहले ही कराधेय व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया था। शेष राशि ₹ 5.05 लाख हेतु नोटिस जारी किया गया, अनुपालन में इसे डीआरसी–03 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से ₹ 2.27 लाख के ब्याज सहित जमा कर दिया गया है।
2.	09XXXXXXXXXX1Z0	मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स	ज्वा0क0 का0स0 रा0क0 अयोध्या	4,69,28,480.00	2,01,83,802.00	2,67,44,678.00	विभाग ने उत्तर दिया कि डीआरसी दिनांक 22.04.2021 एवं 11.11.2021 के माध्यम से क्रमशः ₹ 1.94 करोड़ एवं ₹ 11.00 लाख जमा किया गया है। शेष राशि हेतु धारा 61 के अंतर्गत 06.06.2023 के लिए नोटिस जारी किया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मेसर्स सिंघल गुड्स कैरियर	खण्ड 4 रा0क0 अयोध्या	1,02,59,660.00	79,00,286.00	23,59,374.00	विभाग ने उत्तर दिया कि नोटिस दिनांक 21.10.2022 के अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने डीआरसी–03

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
							दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से ₹ 23.59 लाख जमा कर दिया है।
4.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स सुनील कुमार सिंह	खण्ड 1 रा0क0 बलिया	19,55,035.00	18,69,858.00	85,177.00	कराधेय व्यक्ति को एएसएमटी–10 में 06.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
5.	09XXXXXXXXXX1Z3	मेसर्स वेन्सा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	खण्ड 1 रा0क0 बांदा	1,62,05,538.00	1,32,72,559.00	29,32,979.00	धारा 74 के अंतर्गत आदेश पारित कर ₹ 29.32 लाख की मांग की गयी। कराधेय व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की है।
6.	09XXXXXXXXXX2ZO	मेसर्स श्याम सुंदर मेडिकल्स	खण्ड 1 रा0क0 बाराबंकी	80,83,838.00	48,70,569.00	32,13,269.00	कोई विसंगति सामने नहीं आ रही है, हालांकि जांच चल रही है।
7.	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स अशोक इंटरप्राइजेज	खण्ड 3 रा0क0 बस्ती	27,26,552.00	3,087.00	27,23,465.00	विभाग ने उत्तर दिया कि अतिरिक्त दावा किया गया आई0टी0सी0 ₹ 27.27 लाख पहले ही डीआरसी–03 दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से जमा किया जा चुका है।
8.	09XXXXXXXXXXIZA	मेसर्स बब्लू एंड संस	खण्ड 3 रा0क0 चंदौली	25,60,387.00	1,73,988.00	23,86,399.00	धारा 73 के अंतर्गत 10.01.2023 को नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए धारा 73(9) दिनांक 27.04.2023 के अंतर्गत आदेश पारित करके ₹ 23.86 लाख की मांग सृजित की गयी।
9.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स न्यूजेन लेबोरेटरीज लिमिटेड	खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर	31,74,991.00	8,48,278.00	23,26,713.00	अतिरिक्त दावा किए गए आई0टी0सी0 ₹ 23.27 लाख की मांग डीआरसी–07 दिनांक 19.11.2022 के माध्यम से सृजित की गयी थी, जिसमें से

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
							₹ 21.52 लाख कराधेय व्यक्ति द्वारा डेबिट प्रविष्टि दिनांक 04.05.2023 द्वारा जमा किया गया है।
10.	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स श्री सी प्रोजेक्ट्स	खण्ड 4 रा0क0 गाजियाबाद	7,31,19,191.00	3,73,00,770.00	3,58,18,421.00	धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
11.	09XXXXXXXXXX1Z1	मेसर्स दुर्गा सेल्स कॉर्पोरेशन	खण्ड 6 रा0क0 गाजियाबाद	3,86,80,408.00	3,45,65,033.00	41,15,375.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
12.	09XXXXXXXXXX1Z4	मेसर्स पीआरएल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	खण्ड 8 रा0क0 गाजियाबाद	27,28,509.00	12,85,111.00	14,43,398.00	धारा 61 के अंतर्गत 02.05.2023 को नोटिस जारी किया गया था। कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।
13.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स मिसन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड	खण्ड 10 रा0क0 गाजियाबाद	56,66,709.00	46,56,768.00	10,09,941.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
14.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स भूमि ट्रेड्स	खण्ड 11 रा0क0 गाजियाबाद	2,52,14,334.00	1,40,47,265.00	1,11,67,069.00	कराधेय व्यक्ति पर ₹ 16.27 करोड़ का शास्ति लगाया गया है।
15.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स न्यूटेक शेल्टर्स प्रा. लिमिटेड		46,72,036.00	16,42,774.00	30,29,262.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
16.	09XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स शिप्रा एस्टेट्स लिमिटेड	खण्ड 16 रा0क0 गाजियाबाद	1,36,39,240.00	1,12,17,367.00	24,21,873.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
17.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स विद्या सागर सुमन कुमार	खण्ड 1 रा0क0 हरदोई	21,31,736.00	1,91,520.00	19,40,216.00	डीआरसी–01ए में धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
18.	09XXXXXXXXXX1ZV	मेसर्स सीमेंट एंड स्टील	खण्ड 2 रा0क0 हरदोई	34,02,538.00	8,86,710.00	25,15,828.00	धारा 74 के अंतर्गत डीआरसी–01ए में नोटिस जारी किया गया है।
19.	09XXXXXXXXXX1ZN	मेसर्स आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड	खण्ड 16 रा0क0 कानपुर	66,01,84,856.00	60,43,22,856.00	5,58,62,000.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
20.	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स प्रियंका इंडेन गैस एजेंसीज	खण्ड 23 रा0क0 कानपुर	17,93,663.00	5,37,597.00	12,56,066.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
21.	09XXXXXXXXXXSZA	मेसर्स यू.पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0 –I रा0क0 लखनऊ	65,70,09,946.00	58,82,57,611.00	6,87,52,335.00	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
22.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स अवध शुगर एनर्जी लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0–II रा0क0 लखनऊ	28,44,94,789.00	28,15,32,338.00	29,62,451.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
23.	09XXXXXXXXXX2ZS	मेसर्स शिवम गेस्ट हाउस	खण्ड 2 रा0क0 लखनऊ	1,02,70,325.00	5,79,254.00	96,91,071.00	एस0आई0बी0 के सर्वे में फर्म फर्जी पायी गयी। ₹ 2.11 करोड़ का शास्ति पहले ही लगाया जा चुका है।
24.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स गीता इंटरप्राइजेज	खण्ड–6 रा0क0 लखनऊ	2,64,04,093.00	39,92,316.00	2,24,11,777.00	फर्म फर्जी पायी गयी, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया। ₹ 3.82 करोड़ का शास्ति लगाया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
25.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेसर्स जे.बी. ट्रेडिंग कंपनी	खण्ड 9 रा0क0 लखनऊ	49,18,918.00	37,00,897.00	12,18,021.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
26.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स	खण्ड 12	1,22,71,116.00	48,85,844.00	73,85,272.00	धारा 74 के अंतर्गत डीआरसी–01 में

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
		एलएसीडीएम इंजीनियर्स	रा0क0 लखनऊ				नोटिस जारी किया गया है।
27.	09XXXXXXXXXX1ZH	मेसर्स मोहन स्वीट्स एंड बेकर्स	खण्ड 13 रा0क0 लखनऊ	5,24,073.00	4,46,051.00	78,022.00	दिनांक 04.05.2023 को ₹ 78030.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है।
28.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स अरविन्द सिंह	खण्ड 16 रा0क0 लखनऊ	12,01,008.00	89,534.00	11,11,474.00	धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–01 में नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए, 06.12.2022 को एक–पक्षीय आदेश पारित करके ₹ 9.33 लाख का कर लगाया गया है।
29.	09XXXXXXXXXX1ZA	मेसर्स ग्लोब ट्रेड हाउस	खण्ड 17 रा0क0 लखनऊ	2,53,45,508.00	1,59,81,333.00	93,64,175.00	विभाग ने उत्तर दिया कि अक्टूबर 2018 के विवरणी जीएसटीआर–3बी में ₹ 85.12 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित की गयी थी। ₹ 8.37 लाख की अंतरीय राशि का सत्यापन प्रक्रिया में है।
30.	09XXXXXXXXXX1ZU	मेसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	खण्ड 20 रा0क0 लखनऊ	7,93,15,596.00	3,32,13,625.00	4,61,01,971.00	दिनांक 26.05.2023 को डीआरसी–01 जारी किया गया, जिसके अनुपालन में कराधेय व्यक्ति ने ₹ 3.54 करोड़ जमा किये हैं। शेष ब्याज ₹ 1.07 करोड़ जमा करना है।
31.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स गोर्रा स्पेशलिटीज लिमिटेड	खण्ड कोसीकलां, रा0क0, मथुरा	59,93,524.00	58,79,044.00	1,14,480.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
32.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स श्याम पावर	खण्ड 11 रा0क0 मेरठ	4,38,80,715.00	3,74,41,130.00	64,39,585.00	धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। कराधेय व्यक्ति के उत्तर

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
		सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड					पर विचार करते हुए दिनांक 04.06. 2022 को धारा 73 के अंतर्गत आदेश पारित कर ₹ 54.99 लाख की मांग सृजित की गयी।
33.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स प्रथमा बैंक	खण्ड 1 मुरादाबाद	6,06,70,331.00	4,40,79,729.00	1,65,90,602.00	कराधेय व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है।
34.	09XXXXXXXXXX1ZE	मेसर्स हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स	खण्ड 2 रा0क0 मुजफ्फरनगर	1,41,37,092.00	68,28,112.00	73,08,980.00	दिनांक 15.05.2023 को डीआरसी–07 में एक पक्षीय आदेश पारित कर ₹ 84.76 लाख की मांग सृजित की गयी।
35.	09XXXXXXXXXX1Z3	मेसर्स वन 97 कम्युनिकेशन	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–ए नोएडा	7,09,63,37,254.00	6,68,24,49,368.00	41,38,87,886.00	दिनांक 12.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
36.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स वी 3 मोबी कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 1 रा0क0 नोएडा	26,71,857.00	11,58,151.00	15,13,706.00	इस मामले पर पहले ही 10.08.2022 को नोटिस जारी किया जा चुका था। कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए, एक–पक्षीय आदेश पारित करते हुए ₹ 16.83 लाख की मांग सृजित की गयी, जिसमें से ₹ 8.89 लाख को क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर दिया गया है एवं शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है।
37.	09XXXXXXXXXX1Z5	मेसर्स डीएससी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड	खण्ड 3 रा0क0 नोएडा	1,26,66,294.00	74,50,554.00	52,15,740.00	धारा 73 के अंतर्गत 16.11.2022 को नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए, आदेश पारित करके ₹ 88.27 लाख की मांग सृजित

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
							की गयी। कराधेय व्यक्ति ने अपील की है।
38.	09XXXXXXXXXX1ZF	मेसर्स सीएलई प्राइवेट लिमिटेड	खण्ड 8 रा0क0 नोएडा	15,24,41,592.00	14,31,64,506.00	92,77,086.00	इस मामले पर 29.09.2021 को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। उत्तर में कराधेय व्यक्ति ने कहा कि अधिक दावा किया गया आई0टी0सी0 अगले वर्ष में पहले ही उत्क्रमित किया जा चुका है। सत्यापन में यह सही पाया गया लेकिन ब्याज हेतु आदेश पारित कर दिया गया। कराधेय व्यक्ति ने 28.04.2023 को ₹ 31.59 लाख का ब्याज जमा किया है।
39.	09XXXXXXXXXX3ZI	मेसर्स सुविधा इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	86,69,142.00	61,67,345.00	25,01,797.00	कराधेय व्यक्ति को धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
40.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स के एंड के कॉन्टेक इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड	खण्ड 11 रा0क0 नोएडा	4,14,70,218.00	3,52,55,994.00	62,14,224.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
41.	09XXXXXXXXXX1ZW	मेसर्स गोल्फ ग्रीन बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 13 रा0क0 नोएडा	2,51,99,590.00	1,71,75,073.00	80,24,517.00	डीआरसी–01 में 17.12.2022 को नोटिस जारी किया गया है।
42.	09XXXXXXXXXX2Z1	मेसर्स सनसोर्स एनर्जी	खण्ड 14 रा0क0 नोएडा	2,36,19,334.00	37,33,127.00	1,98,86,207.00	कराधेय व्यक्ति को नोटिस एवं अनुस्मारक जारी किया गया। कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 15.04.2023 को आदेश पारित करते हुए ₹ 8.45 करोड़ की मांग सृजित की गयी। कराधेय व्यक्ति ने अपील की है।

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–3बी में दावा किया गया आई0टी0सी0 {3बी तालिका 4ए(5)–4बी(2) +जीएसटीआर–9 तालिका 8सी}	आई0टी0सी0 जीएसटीआर–2ए /आईटीसी जीएसटीआर–9 की तालिका 8ए /विभाग की सारांश रिपोर्ट	आई0टी0सी0 का अधिक लाभ	विभाग का उत्तर
43.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स मोहित इंफ्राटेक		52,70,496.00	29,81,279.00	22,89,217.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस और 19.06.2023 के लिए अनुस्मारक जारी किया गया।
44.	09XXXXXXXXXX2ZG	मेसर्स एएमक्यू एग्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड	खण्ड 2 रा0क0 रामपुर	1,07,33,949.00	89,24,608.00	18,09,341.00	एएसएमटी–10 में 16.01.2023 को नोटिस जारी किया गया था। कराधेय व्यक्ति का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः दिनांक 03.03.2023 को डीआरसी–01 में नोटिस जारी किया गया। कराधेय व्यक्ति द्वारा दिनांक 20.05.2023 को उत्तर अपलोड कर दिया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
	योग			**9,59,60,97,975.00**	**8,75,07,94,666.00**	**84,53,03,309.00**	

परिशिष्ट-XIII
जीएसटीआर–1/जीएसटीआर–9 में स्वीकार की गयी कर देयता एवं जीएसटीआर–9 में दिखाए गए कर भुगतान में भिन्नता
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.4.(सी).(i))

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देयता तालिका 4एन–4जी+10–11	वृहद् कर देयता	जीएसटीआर–9 में भुगतान किया गया कर (तालिका 9+ तालिका 14– तालिका 4जी)	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1Z9	मेसर्स भारतीय भाईयों की दुकान	खण्ड 4 रा0क0 बस्ती	21,47,288.00	37,95,756.00	37,95,756.00	21,47,788.00	16,47,968.00	कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी–03 दिनांक 03.11.2022 एवं 01.05.2023 के माध्यम से ₹ 17.16 लाख का कर जमा किया गया है।
2.	09XXXXXXXXXXIZA	मेसर्स बब्लू एंड संस	खण्ड 3 रा0क0 चंदौली	37,48,944.00	37,48,944.00	37,48,944.00	19,41,806.00	18,07,138.00	विभाग ने धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–07 दिनांक 27.04.2023 में आदेश पारित कर ₹ 13.96 लाख की मांग सृजित की।
3.	09XXXXXXXXXX1Z1	मेसर्स दुर्गा सेल्स कॉर्पोरेशन	खण्ड 6 रा0क0 गाजियाबाद	3,84,13,060.00	3,84,13,060.00	3,84,13,060.00	3,26,60,403.00	57,52,659.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
4.	09XXXXXXXXXX1ZG	मेसर्स मिसन इंजीनियरिंग वर्क्स	खण्ड 10 रा0क0 गाजियाबाद	67,31,894.00	82,95,726.00	82,95,726.00	69,19,815.00	13,75,911.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देयता तालिका 4एन–4जी+10–11	वृहद् कर देयता	जीएसटीआर–9 में भुगतान किया गया कर (तालिका 9+ तालिका 14– तालिका 4जी)	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
5.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स पवन ऑटो व्हील्स	खण्ड 17 रा0क0 गाजियाबाद	12,51,62,529.00	13,37,46,945.00	13,37,46,945.00	12,36,95,852.00	1,00,51,093.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
6.	09XXXXXXXXXX1ZN	मेसर्स आदित्य बिड़ला फैशन	खण्ड 16 रा0क0 कानपुर	57,32,25,652.00	56,39,96,902.00	57,32,25,652.00	55,96,19,035.00	1,36,06,617.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
7.	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स प्रियंका इंडेन गैस एजेंसी	खण्ड 23 रा0क0 कानपुर	24,68,778.00	26,28,138.00	26,28,138.00	18,71,920.00	7,56,218.00	डीआरसी–03 के माध्यम से दिनांक 11.11. 2022 को ₹ 5.00 लाख का टैक्स जमा किया गया है।
8.	09XXXXXXXXXXXSZA	मेसर्स यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0–I रा0क0 लखनऊ	1,18,41,15,953.00	1,21,46,26,205.00	1,21,46,26,205.00	1,10,67,21,810.00	10,79,04,394.00	विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
9.	09XXXXXXXXXX1ZW	मेसर्स स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0–II रा0क0 लखनऊ	34,09,90,629.00	34,09,31,753.00	34,09,90,629.00	33,34,66,042.00	75,24,586.00	एएसएमटी–10 में 06.06.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
10.	09XXXXXXXXXX1ZM	मेसर्स जे.बी. ट्रेडिंग	खण्ड 9 रा0क0 लखनऊ	74,45,305.00	74,45,214.00	74,45,305.00	55,84,027.00	18,61,278.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
11.	09XXXXXXXXXX1ZK	मेसर्स एलएडीसीएम इंजीनियर्स	खण्ड 12 रा0क0 लखनऊ	2,22,39,618.00	1,89,87,786.00	2,22,39,618.00	1,85,39,682.00	36,99,936.00	धारा 74 के अंतर्गत डीआरसी–01 में

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देयता तालिका 4एन–4जी+10–11	वृहद् कर देयता	जीएसटीआर–9 में भुगतान किया गया कर (तालिका 9+ तालिका 14– तालिका 4जी)	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
									नोटिस जारी किया गया है।
12.	09XXXXXXXXXX1ZC	मेसर्स यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज	खण्ड 22 रा0क0 लखनऊ	20,40,733.00	20,40,733.00	20,40,733.00	11,15,976.00	9,24,757.00	डीआरसी–03 दिनांक 26.09. 2022 के माध्यम से ₹ 9.26 लाख का टैक्स जमा किया गया है।
13.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स गोर्रा स्पेशियलिटीज लिमिटेड	खण्ड कोसीकलां रा0क0 मथुरा	65,99,132.00	65,99,132.00	65,99,132.00	75,990.00	65,23,142.00	एएसएमटी–10 में नोटिस जारी कर दिया गया है।
14.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	खण्ड 11 रा0क0 मेरठ	3,20,28,788.00	3,20,28,788.00	3,20,28,788.00	2,75,70,402.00	44,58,386.00	धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
15.	09XXXXXXXXXX1Z3	मेसर्स वन 97 कम्युनिकेशन	ज्वा0क0 का0स0 रेंज–ए रा0क0 नोएडा	9,63,52,19,898.00	9,48,09,64,947.00	9,63,52,19,898.00	9,48,11,97,765.00	15,40,22,133.00	कराधेय व्यक्ति को दिनांक 12. 04.2023 को नोटिस जारी किया गया है।
16.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स यूफ्लेक्स लिमिटेड		2,82,96,30,128.00	2,78,31,67,419.00	2,82,96,30,128.00	2,77,29,71,135.00	5,66,58,993.00	12.04.2023 को नोटिस जारी किया गया था। 08.06.2023 को उत्तर प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।
17.	09XXXXXXXXXX1ZF	मेसर्स जीईटी एंड डी लिमिटेड	ज्वा0क0 का0स0–रेंज–बी रा0क0 नोएडा	3,08,08,53,860.00	2,87,67,59,072.00	3,08,08,53,860.00	2,86,93,75,252.00	21,14,78,608.00	विभाग ने उत्तर दिया कि कंपनी ने मार्च 2019 के लिए दाखिल

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देयता तालिका 4एन–4जी+10–11	वृहद् कर देयता	जीएसटीआर–9 में भुगतान किया गया कर (तालिका 9+ तालिका 14– तालिका 4जी)	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
									अपने जीएसटीआर–1 एवं जीएसटीआर–3बी में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए बीजक में संशोधन के माध्यम से ₹ 24.57 लाख की कर देनदारी कम कर दी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देनदारी ₹ 308.09 करोड़ बनती है।
18.	09XXXXXXXXXX1ZZ	मेसर्स पीको इंडिया इंजीनियरिंग	खण्ड 5 रा0क0 नोएडा	1,37,92,650.00	1,02,84,176.00	1,37,92,650.00	1,17,43,983.00	20,48,667.00	धारा 61 के अंतर्गत नोटिस एवं अनुस्मारक जारी किया गया था। उत्तर प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है।

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	जीएसटीआर–9 के अनुसार कर देयता तालिका 4एन–4जी+10–11	वृहद् कर देयता	जीएसटीआर–9 में भुगतान किया गया कर (तालिका 9+ तालिका 14– तालिका 4जी)	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
19.	09XXXXXXXXXX3ZI	मेसर्स सुविधा इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड	खण्ड 9 रा0क0 नोएडा	1,00,42,358.00	1,16,58,760.00	1,16,58,760.00	1,00,42,352.00	16,16,408.00	दिनांक 12.04. 2023 को नोटिस जारी किया गया है।
20.	09XXXXXXXXXX2Z1	मेसर्स सनसोर्स एनर्जी प्रा. लिमिटेड	खण्ड 14 रा0क0 नोएडा	1,78,94,291.00	2,37,98,017.00	2,37,98,017.00	1,83,31,769.00	54,66,248.00	दिनांक 15.04. 2023 को आदेश पारित कर ₹ 8. 45 करोड़ की मांग सृजित की गयी। कराधेय व्यक्ति ने अपील की है।
21.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स मोहित इंफ्राटेक		34,15,692.00	31,93,392.00	34,15,692.00	24,24,922.00	9,90,770.00	धारा 61 के अंतर्गत 21.04. 2023 को नोटिस और 19.06.2023 को अनुस्मारक जारी किया गया है।
22.	09XXXXXXXXXX2ZM	मेसर्स बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	खण्ड 1 रायबरेली	6,19,23,133.00	5,89,26,249.00	6,19,23,133.00	5,89,37,633.00	29,85,500.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
23.	09XXXXXXXXXX1Z8	मेसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स	खण्ड 1 रा0क0 उन्नाव	1,93,62,786.00	1,92,86,518.00	1,93,62,786.00	1,46,22,596.00	47,40,190.00	धारा 61 के अंतर्गत एएसएमटी–10 में नोटिस जारी किया गया है।
	योग			**18,01,94,93,099.00**	**17,64,53,23,632.00**	**18,06,94,79,555.00**	**17,46,15,77,955.00**	**60,79,01,600.00**	

परिशिष्ट-XIV
जीएसटीआर–1 में कर देनदारी और जीएसटीआर–3बी में भुगतान किए गए कर के मध्य भिन्नता
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0. 2.6.3.4.(सी).(ii))

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	3बी में देय कर तालिका 3. 1(ए+बी)	जीएसटीआर–3बी में भुगतान किया गया कर	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
1.	09XXXXXXXXXX1ZQ	मेसर्स सुनील कुमार सिंह	खण्ड 1 रा0क0 बलिया	42,17,895.00	19,59,130.00	19,59,130.00	22,58,765.00	धारा 61 के अंतर्गत 11.08.2021 को नोटिस जारी किया गया था, कराधेय व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः दिनांक 07.09. 2021 एवं दिनांक 02.12.2021 को अनुस्मारक जारी किया गया। कराधेय व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया इसलिए धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–01 में नोटिस जारी किया गया।
2.	09XXXXXXXXXX1ZD	मेसर्स न्यू एज लेबोरेटरीज लिमिटेड	खण्ड 3 रा0क0 गौतम बुद्ध नगर	9,26,539.00	2,28,600.00	2,28,600.00	6,97,939.00	दिनांक 04.05.2023 को कराधेय व्यक्ति से ₹ 6.97 लाख का कर प्राप्त कर लिया गया है।
3.	09XXXXXXXXXX1ZJ	मेसर्स श्री सी प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	खण्ड 4 रा0क0 गाजियाबाद	9,59,74,616.00	6,18,10,040.00	6,18,10,040.00	3,41,64,576.00	धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
4.	09XXXXXXXXXX1ZV	मेसर्स सीमेंट एंड स्टील	खण्ड 2 रा0क0 हरदोई	45,83,259.00	33,90,462.00	33,90,462.00	11,92,795.00	धारा 74 के अंतर्गत डीआरसी–01ए में सूचना का नोटिस जारी किया गया है।
5.	09XXXXXXXXXX2ZS	मेसर्स शिवम गेस्ट हाउस	खण्ड 2 रा0क0 लखनऊ	2,11,23,926.00	97,81,263.00	97,81,263.00	1,13,42,663.00	30.07.2019 को एस.आई.बी. सर्वेक्षण पर फर्म फर्जी मिली। ₹ 2.11 करोड़ का शास्ति लगाया गया।

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	कराधेय व्यक्ति का नाम	खण्ड का नाम	जीएसटीआर–1 के अनुसार कर देयता (तालिका 4ए+5ए+6ए+9बी+7 बी2सी अन्य+11ए–11बी)	3बी में देय कर तालिका 3.1(ए+बी)	जीएसटीआर–3बी में भुगतान किया गया कर	कर का कम भुगतान	विभाग का उत्तर
6.	09XXXXXXXXXX1ZY	मेसर्स गीता इंटरप्राइजेज	खण्ड 6 रा0क0 लखनऊ	3,82,37,683.00	2,51,46,756.00	2,51,46,756.00	1,30,90,927.00	धारा 122(1) (ii)/27 के अंतर्गत आदेश पारित कर ₹ 3.82 करोड़ की मांग सृजित की गयी है।
7.	09XXXXXXXXXX1ZL	मेसर्स अरविन्द सिंह	खण्ड 16 रा0क0 लखनऊ	19,32,992.00	11,79,316.00	11,79,316.00	7,53,676.00	धारा 73 के अंतर्गत डीआरसी–01 में 12.10.2022 को नोटिस जारी किया गया था। कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए ₹ 18.65 लाख का कर लगाया गया।
8.	09XXXXXXXXXX1ZE	मेसर्स हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स	खण्ड 2 रा0क0 मुजफ्फरनगर	60,94,463.00	50,15,090.00	50,15,090.00	10,79,373.00	धारा 125 के अंतर्गत 16.12.2022 को नोटिस जारी किया गया तथा डीआरसी–01 18.01.2023 को जारी किया गया।
9.	09XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स अजंता इंटरप्राइजेज	खण्ड 1 रा0क0 सिद्धार्थनगर	14,12,893.00	13,79,494.00	13,79,494.00	33,399.00	कराधेय व्यक्ति द्वारा डीआरसी–03 के माध्यम से ₹ 33400.00 का कर जमा किया गया है।
		योग		**17,45,04,266.00**	**10,98,90,151.00**	**10,98,90,151.00**	**6,46,14,113.00**	

परिशिष्ट- XV
₹ 10 करोड़ रुपये से अधिक सुरक्षित धनराशि वाले बन्धक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खंड संख्या/दस्तावेज संख्या	निष्पादन की तिथि/ पंजीकरण की तिथि	बन्धक सम्पत्ति का विवरण	बन्धककर्ता का नाम/ बन्धकग्रहीता का नाम	सुरक्षित धनराशि/ सम्पत्ति का मूल्य	आरोपित कुल स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क @ 0.5 %	आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क @ 2 %	स्टाम्प और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
1.	उप निबन्धक, सरोजिनी नगर, लखनऊ	8521 16027	07.05.2022 09.05.2022	टावर सी 2,सी 3 और डी 2, जीएच–1, सेक्टर–सी, पाकेट–6, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ के अन्तर्गत भूमि का अविभाजित हिस्सा।	रिशिता डेवलपर्स प्रा0 लिमिटेड/ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	40,00,00,000	5,00,000	20,00,000	80,00,000	95,00,000
2.		8115 7300	03.03.2022 03.03.2022	खसरा नंबर 184 और अन्य गांव हसनपुर, खेवाली, लखनऊ में स्थित हैं।	अंसल प्रापर्टीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड/ लखनऊ विकास प्राधिकरण	35,68,00,000	5,00,000	17,84,000	71,36,000	84,20,000
3.		8122 7454	04.03.2022 04.03.2022	खसरा संख्या 2438 सीएचए, 2438 डीए और अन्य भूमि ग्राम कल्ली पश्चिमी, लखनऊ में स्थित हैं।	ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड/ जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	20,00,00,000	5,00,000	10,00,000	40,00,000	45,00,000
4.		7381 34195	29.10.2021 30.10.2021	ब्लॉक बी में 83 फ्लैट, ब्लॉक ए में 15 फ्लैट, अजिया बोटानिका, जीएचपी एन 11/जीएच 8, सेक्टर 11, वृंदावन योजना–3, रायबरेली रोड, लखनऊ।	अज़ीजिया डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड/ पंजाब नेशनल बैंक	15,00,00,000	5,00,000	7,50,000	30,00,000	32,50,000
योग							**20,00,000**	**55,34,000**	**2,21,36,000**	**2,56,70,000**

परिशिष्ट-XVI
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.5)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
1	उ0नि0–4 सदर, लखनऊ	**19,911**	**6,374**	**13-05-2022**	**ए**	**बी**	**2,505**	**0.293 हे0**	**200 मीटर क्षेत्र में न सड़क, न निर्माण**	**115 लाख/हे0**	**33,69,500**	**7%**	**2,36,000**	**33,700**	**1,000 व0मी0 के लिए 7,000 और 1,930 व0मी0 के लिए 4,900**	**1,64,57,000**	**11,51,990**	**1,64,570**	**10,46,860**
		19,900	6,112	10-05-2022	बी	सी	2,505	185.873 व0मी0	दो तरफ 25 फीट रोड और प्लॉट नंबर 122 और 124	7,000/ व0मी0	14,32,000	7%	1,00,300	14,320					
		19,980	8,057	14-06-2022	बी	डी	2,505	139.405 व0मी0	प्लॉट और 30 फीट चौड़ी सड़क	7,500/ व0मी0	10,46,000	7%	73,300	10,460					
2	उ0नि0– सरोजिनी नगर लखनऊ	**7,172**	**29,761**	**29-09-2021**	**ए**	**बी**	**174,स**	**0.6111 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 200 मीटर दूर**	**30 लाख/हे0**	**19,00,000**	**7%**	**1,33,100**	**19,000**	**1,000 व0मी0 के लिए 1,800 और 5,111व0मी0 के लिए 1,260**	**82,39,860**	**5,76,800**	**82,400**	**5,07,100**
		6,940	24,615	19-08-2021	बी	सी	174,स	92.936 व0मी0	शेष भूमि और 24 फीट चौड़ी सड़क	1,800/ व0मी0	1,75,000	7%	12,300	1,750					
		7,172	29,777	29-09-2021	बी	डी	174,स	74.349 व0मी0	भूमि और 15 फीट चौड़ी सड़क	1,800/ व0मी0	1,40,000	6%	8,400	1,400					
3		**8,821**	**22,536**	**23-06-2022**	**ए**	**बी**	**1,194,स**	**0.117 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 200 मीटर दूर**	**100 लाख/हे0**	**11,70,000**	**7%**	**81,900**	**11,700**	**1,000 व0मी0 के लिए 5,500 और 170 व0मी0 के लिए 3,850**	**61,54,500**	**4,30,850**	**61,550**	**3,98,800**
		4,102	8,018	18-03-2020	सी	डी	1,194,स	83.643 व0मी0	दो तरफ 18 फीट रोड और आवासीय भूमि	5,500/ व0मी0+10%	5,07,000	6%	30,500	5,070					
		9,032	26,933	22-07-2022	ई	एफ	1,194,स	139.405 व0मी0	दो तरफ 20–22 फीट सड़क और जमीन का हिस्सा	5,500/ व0मी0+10%	8,44,000	6%	50,600	8,440					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
4		**9,096**	**28,288**	**30-07-2022**	**ए**	**बी**	**373,स**	**0.215 हे0**	**सड़क और आबादी से 200 मीटर दूर**	**30 लाख / हे0**	**6,45,000**	**7%**	**45,200**	**6,450**	**1,000 व0मी0 के लिए 1,800 और 1,150 व0मी0 के लिए 1,260**	**32,49,000**	**2,27,430**	**32,490**	**2,08,270**
		4,869	19,017	05-10-2020	बी	सी	373,स	139.405 व0मी0	दो तरफ 25 फीट चौड़ी सड़क और आवासीय भूखंड	1,800/ व0मी0+10%	2,77,000	6%	17,000	2,770					
5		**9,011**	**26,519**	**20-07-2022**	**ए**	**बी**	**1,151**	**0.1518 हे0**	**सड़क और आबादी से दूर**	**30 लाख / हे0**	**4,56,000**	**7%**	**32,000**	**4,560**	**1,000 व0मी0 के लिए 1,700 और 518 व0मी0 के लिए 1,190**	**23,16,420**	**1,62,190**	**23,170**	**1,48,800**
		5,004	21,009	20-10-2020	सी	डी	1,151	111.524 व0मी0	25 फीट चौड़ी सड़क और आवासीय भूखंड	1,700/ व0मी0	1,90,000	6%	11,500	1,900					
		9,022	26,735	21-07-2022	बी	ई	1,151	139.405 व0मी0	25 फीट चौड़ी सड़क और आवासीय भूखंड	1,700/ व0मी0	3,00,000	6%	18,000	3,000					
6		**8,536**	**16,357**	**11-05-2022**	**ए**	**बी**	**1,924,मी**	**0.1425 हे0**	**आबादी से 200 मीटर दूर और सकरा–डोना रोड पर**	**50 लाख / हे0**	**9,00,000**	**7%**	**63,000**	**9,000**	**1,000 व0मी0 के लिए 2,000 और 425 व0मी0 के लिए 1,400**	**25,95,000**	**1,81,650**	**25,950**	**1,35,600**
		4,884	19,233	06-10-2020	सी	डी	1,924,मी	185.873 व0मी0	दो तरफ 18–30 फीट चौड़ी सड़क और भूमि	2,500/ व0मी0+10%	5,12,000	6%	31,000	5,120					
		8,726	20,508	09-06-2022	ई	एफ	1,924,मी	278.81 व0मी0	15 फीट चौड़ी सड़क और आवासीय भूखंड	2,000/ व0मी0	5,58,000	6%	33,500	5,580					
7	उप निबन्धक पिण्डरा, वाराणसी	**5,815**	**8,012**	**13-12-2021**	**ए**	**बी**	**1,350**	**0.2750 हे0**	**250 मीटर में खेती**	**220 लाख / हे0 +15%**	**87,00,000**	**5%**	**4,35,000**	**87,000**	**6,500**	**1,78,75,000**	**8,93,750**	**1,78,750**	**5,50,500**
		5,754	6,766	27-10-2021	ए	बी	1,350	126.40 व0मी0	वाराणसी–जौनपुर से 7 किमी और जमीन का हिस्सा	7,600/ व0मी0	9,61,000	5%	48,100	9,610					
		3,992	640	17-02-2018	सी	ए	1,350	126.40 व0मी0	वाराणसी–जौनपुर से 7 किमी और जमीन का हिस्सा	6,500/ व0मी0	8,22,000	5%	41,100	16,440					
8		**5,934**	**1,788**	**09-03-2022**	**ए**	**बी**	**1,328**	**0.109 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 250 मीटर दूर**	**140 लाख / हे0**	**15,26,000**	**5%**	**76,300**	**15,260**	**6,500**	**70,85,000**	**3,54,250**	**70,850**	**3,33,540**

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		5,900	1,137	11-02-2022	सी	डी	1,328	126.39 व0मी0	आवासीय भूमि और एक तरफ 15 फीट खड़ंजा रोड और विक्रेता की शेष भूमि	7,600/ व0मी0	9,61,000	4%	38,440	9,610					
		5,935	1,812	11-03-2022	सी	डी	1,328	126.394 व0मी0	आवासीय भूमि और एक तरफ 15 फीट खड़ंजा रोड और विक्रेता की शेष भूमि	7,600/ व0मी0	9,61,000	4%	38,440	9,610					
9	उप निबन्धक सदर, मऊ	**6,989**	**6,888**	**01-11-2021**	**ए**	**बी**	**121**	**0.3465 हे0**	**सड़क और आबादी से दूर। लेकिन दूरी का कोई उल्लेख नहीं**	**44 लाख/हे0**	**15,25,000**	**5%**	**76,250**	**15,250**	**2,400**	**83,16,000**	**4,15,800**	**83,160**	**4,07,460**
10		**7,049**	**8,044**	**17-12-2021**	**ए**	**बी**	**121**	**0.3465 हे0**	**सड़क और आबादी से दूर। लेकिन दूरी का कोई उल्लेख नहीं**	**44 लाख/हे0**	**15,25,000**	**5%**	**76,250**	**15,250**	**2,400**	**83,16,000**	**4,15,800**	**83,160**	**4,07,460**
11		**7,049**	**8,043**	**17-12-2021**	**ए**	**बी**	**122**	**0.22672 हे0**	**आबादी से दूर। लेकिन दूरी का कोई उल्लेख नहीं**	**75 लाख/हे0**	**17,01,000**	**5%**	**85,050**	**17,010**	**2,400**	**54,41,280**	**2,72,100**	**54,420**	**2,24,460**
12		**7,059**	**8,236**	**24-12-2021**	**ए**	**बी**	**122**	**0.26328 हे0**	**आबादी से दूर। लेकिन दूरी का कोई उल्लेख नहीं**	**75 लाख/हे0**	**19,75,000**	**5%**	**98,750**	**19,750**	**2,400**	**63,18,720**	**3,15,950**	**63,190**	**2,60,640**
		6,602	353	16-01-2021	ए	बी	121	6,930 व0मी0	1250 व0मी0 निर्मित क्षेत्र और 5680 व0मी0 खेल मैदान और 20 फीट सड़क	ट्रस्ट के लिए पट्टा	72,000	1%	1,450	720					
		6,211	2,438	18-06-2020	सी	बी	121 एवं 122	8,120 व0मी0	2000 व0मी0 निर्मित क्षेत्र और 6120 व0मी0 खेल मैदान और 12 फीट सड़क	स्कूल के लिए पट्टा	72,000	1%	1,440	720					
13		**6,990**	**6,896**	**01-11-2021**	**ए**	**बी**	**122**	**0.202 हे0**	**सड़क और आबादी से दूर**	**75 लाख/हे0**	**15,15,000**	**5%**	**75,750**	**15,150**	**2,400**	**48,48,000**	**2,42,400**	**48,480**	**1,99,980**
		6,211	2,438	18-06-2020	सी	बी	121 एवं 122	8120 व0मी0	2000 व0मी0 निर्मित क्षेत्र और 6120 व0मी0 खेल मैदान और 12 फीट सड़क	स्कूल के लिए पट्टा	72,000	1%	1,440	720					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
14	उप निबन्धक सदर, चन्दौली	**9,568**	**12,373**	**16-12-2020**	**ए**	**बी**	**357**	**0.408 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 500 मीटर दूर**	**82 लाख / हे0**	**33,54,000**	**6 एवं 7%**	**2,25,050**	**33,540**	**2,800**	**1,14,24,000**	**7,89,680**	**1,14,240**	**6,45,330**
		8,584	8,890	01-08-2019	ए	सी	357	185.87 व0मी0	आवासीय भूमि और एक तरफ 20 फीट रोड और आराजी की शेष भूमि	4,000/ व0मी0	7,44,000	6%	44,700	14,880					
15		**8,523**	**7,821**	**05-07-2019**	**ए**	**बी**	**325**	**0.298 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 300 मीटर दूर**	**60 लाख / हे0**	**18,00,000**	**5%**	**90,100**	**20,000**	**2,800**	**83,44,000**	**4,17,200**	**20,000**	**3,27,100**
		8,436	6,312	03-06-2019	बी	सी	325	379.182 व0मी0	आवासीय भूमि और सड़क से 50 मीटर और एक तरफ 16 फीट सड़क	4,000/ व0मी0	15,17,000	4 एवं 5%	66,000	20,000					
		8,532	7,988	09-07-2019	बी	डी	325	142.19 व0मी0	आवासीय भूमि और दो तरफ 12 फीट रोड और आराजी की शेष भूमि	3,400/ व0मी0+10%	5,32,000	5%	26,700	10,640					
16		**8,607**	**9,301**	**09-08-2019**	**ए**	**बी**	**167/23मी**	**0.202 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 300 मीटर दूर**	**125 लाख / हे0**	**25,25,000**	**7%**	**1,78,500**	**20,000**	**3,400**	**68,68,000**	**4,80,760**	**20,000**	**3,02,260**
		8,593	9,074	06-08-2019	सी	डी	167/23मी	505.57 व0मी0	आवासीय भूमि और दो तरफ 20 फीट सड़क और भूमि	4,500/ व0मी0+10%	25,04,000	7%	1,75,300	20,000					
		8,632	9,745	22-08-2019	बी	ई	167/23मी	158 व0मी0	आवासीय भूमि और दो तरफ 20 फीट सड़क और भूमि	4,500/ व0मी0+10%	7,83,000	7%	47,000	15,660					
17		**9,561**	**12,275**	**15-12-2020**	**ए**	**बी**	**257/1**	**0.216 हे0**	**सड़क एवं आबादी से से 500 मीटर दूर**	**75 लाख / हे0**	**16,20,000**	**7%**	**1,13,500**	**16,200**	**2,400**	**51,84,000**	**3,62,880**	**51,840**	**2,85,020**
		8,778	12,674	11-11-2019	सी	डी	257/1	723.94 व0मी0	आवासीय भूमि और भूपौली रोड और भूमि	3,400/व0मी0	24,62,000	7%	1,72,350	20,000					
		9,572	12,438	17-12-2020	ए	बी का पुत्र	257/1	750 व0मी0	आवासीय भूमि और कैली से पड़ाव रोड और भूमि	3,400/व0मी0	25,50,000	7%	1,78,500	25,500					
18		**9,588**	**12,661**	**22-12-2020**	**ए**	**बी**	**63**	**0.14585 हे0**	**सड़क से 300 मीटर दूर**	**56 लाख / हे0**	**8,17,000**	**7%**	**57,500**	**8,170**	**2,000**	**29,17,000**	**2,04,190**	**29,170**	**1,67,690**
		9,571	12,417	16-12-2020	ए का भाग	सी	63	126.5 व0मी0	आवासीय भूमि और दो तरफ 20 फीट सड़क और भूमि	3,300/व0मी0	5,00,000	7%	35,000	5,000					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		9,607	12,950	29-12-2020	बी	डी	63	63.25 व0मी0	आवासीय भूमि और एक तरफ 20 फीट सड़क एवं भूमि	3,300/व0मी0	2,09,000	7%	14,650	2,090					
19		**9,590**	**12,697**	**23-12-2020**	**ए**	**बी**	**130**	**0.12375 हे0**	**सड़क एवं आबादी से 300 मीटर दूर**	**77 लाख/हे0 +20%**	**11,44,000**	**6 एवं 7%**	**70,700**	**11,440**	**2,600**	**32,17,500**	**2,15,260**	**32,180**	**1,65,300**
		9,542	12,047	09-12-2020	ए	सी	130	442.37 व0मी0	12 फीट चौड़ी सड़क और जमीन का हिस्सा	2,600/व0मी0	35,00,000	7%	2,45,000	35,000					
20	उप निबन्धक सदर, बलिया	**9,103**	**4,392**	**07-06-2022**	**ए**	**बी**	**541मी**	**0.3350 हे0**	**कृषि भूमि सड़क और आबादी से एक किमी दूर**	**80 लाख/हे0**	**30,00,000**	**5%**	**1,50,000**	**30,000**	**5,400**	**1,80,90,000**	**9,04,500**	**1,80,900**	**9,05,400**
		9,103	4,394	07-06-2022	ए	बी	541मी	61.91 व0मी0	भूमि, हाता और रतसाड – खेजुरी मार्ग	6,900/ व0मी0+25%	10,00,000	5%	50,000	10,000					
21		**8,948**	**232**	**10-01-2022**	**ए**	**बी**	**695,मी**	**0.174 हे0**	**मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर**	**80 लाख/हे0**	**13,94,000**	**5%**	**69,700**	**13,940**	**5,800**	**1,00,92,000**	**5,04,600**	**1,00,920**	**5,21,880**
22		**9,092**	**4,094**	**30-05-2022**	**ए**	**सी**	**695,मी**	**0.174 हे0**	**मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर**	**80 लाख/हे0**	**13,96,000**	**5%**	**69,800**	**13,960**	**5,800**	**1,00,92,000**	**5,04,600**	**1,00,920**	**5,21,760**
		8,940	13	03-01-2022	डी	ई	695,मी	100 व0मी0	भूमि और 14 फीट सड़क	5,800/व0मी0	5,80,000	4%	23,200	5,800					
		9,120	4,856	21-06-2022	बी	एफ	695,मी	90.5 व0मी0	भूमि और 13 फीट सड़क	5,800/व0मी0	5,23,000	4%	20,300	5,230					
		9,086	3,943	26-05-2022	डी	जी	695,मी	120 व0मी0	भूमि और 14 फीट सड़क	5,800/ व0मी0	6,96,000	4%	27,840	6,960					
23		**8,690**	**2,838**	**06-04-2021**	**ए**	**बी**	**444**	**0.247 हे0**	**चक रोड और कृषि भूमि**	**60 लाख/हे0+10%**	**16,31,000**	**4 एवं 5%**	**71,550**	**16,310**	**4,180**	**1,03,24,600**	**5,06,250**	**1,03,250**	**5,21,640**
		7,921	6,069	29-08-2019	सी	डी	444	250 व0मी0	मुख्य सड़क से एक किमी दूर	3,600/ व0मी0	9,00,000	4%	36,000	18,000					
24		**8,927**	**9,136**	**20-12-2021**	**ए**	**बी**	**810**	**0.253 हे0**	**सड़क और आबादी के बारे में तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया**	**60 लाख/हे0**	**15,20,000**	**5%**	**76,000**	**15,200**	**3,700**	**93,61,000**	**4,68,050**	**93,610**	**4,70,460**
		8,916	8,861	08-12-2021	सी	डी	810	244.80 व0मी0	एक तरफ 10 फीट सड़क और विक्रेता की भूमि	3,700/ व0मी0	9,10,000	4%	36,400	9,100					
		8,933	9,283	23-12-2021	ई	एफ	810	122.40 व0मी0	एक तरफ 14 फीट सड़क और भूमि	3,700/ व0मी0	4,55,000	5%	22,750	4,550					
25		**8,360**	**4,485**	**16-09-2020**	**ए**	**बी**	**258स**	**0.132 हे0**	**मुख्य सड़क से 200 मीटर दूर।**	**7,600/ व0मी0* +30%**	**30,10,000**	**5%**	**1,51,000**	**30,100**	**7,600**	**1,00,32,000**	**5,01,600**	**1,00,320**	**4,20,820**
		8,337	4,089	01-09-2020	सी	डी	258,स	300 व0मी0	आवासीय भूमि	7,600/ व0मी0	22,80,000	4 एवं 5%	1,04,000	22,800					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		8,647	1,765	27-02-2021	सी	ई	258,स	300 व0मी0	चौहद्दी में मकान और भूमि	7,600/ व0मी0	22,80,000	5%	1,14,000	22,800					
26		**8,467**	**6,053**	**10-11-2020**	**ए**	**बी**	**81**	**0.200 हे0**	**मुख्य सड़क से एक किमी दूर कृषि भूमि**	**60 लाख/हे0**	**12,00,000**	**5%**	**60,000**	**12,000**	**3,400**	**68,00,000**	**3,40,000**	**68,000**	**3,36,000**
		8,403	5,102	09-10-2020	ए	सी	81	204.23 व0मी0	दो तरफ 13 एवं 20 फीट सड़क, मकान और जमीन	3,800/ व0मी0 +10%	8,54,000	4%	34,160	8,540					
		8,482	6,273	19-11-2020	बी	डी	81	250 व0मी0	एक तरफ 12 फीट सड़क और जमीन	3,800/व0मी0	9,50,000	5%	47,500	9,500					
27	उप निबन्धक करछना, प्रयागराज	**7,863**	**6,727**	**20-06-2022**	**ए**	**बी**	**477मी एवं 480मी**	**0.2363 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**82,37,000/हे0**	**19,47,000**	**6 एवं 7%**	**1,26,500**	**19,470**	**7,300**	**1,72,49,900**	**11,97,500**	**1,72,500**	**12,24,030**
28		**7,863**	**6,728**	**20-06-2022**	**ए**	**बी**	**477मी एवं 480मी**	**0.2362 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**82,37,000/हे0**	**19,47,000**	**6 एवं 7%**	**1,26,500**	**19,470**	**7,300**	**1,72,42,600**	**11,97,010**	**1,72,430**	**12,23,470**
		7,745	3,170	28-03-2022	सी	डी	480मी	163.03 व0मी0	आवासीय भूखंड और 29 फीट चौड़ी सड़क	9,100/ व0मी0	14,84,000	7%	1,04,000	14,840					
		7,785	4,358	27-04-2022	ई	एफ	477मी	168 व0मी0	आवासीय भूखंड और 25 फीट चौड़ी सड़क	9,100/ व0मी0	15,29,000	7%	1,07,100	15,290					
29		**7,863**	**6,721**	**20-06-2022**	**ए**	**बी**	**452मी**	**0.2475 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**82,37,000/ हे0**	**20,39,000**	**6 एवं 7%**	**1,33,000**	**20,390**	**7,300**	**1,80,67,500**	**12,54,760**	**1,80,680**	**12,82,050**
30		**7,863**	**6,723**	**20-06-2022**	**ए**	**बी**	**452मी**	**0.2475 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**82,37,000/ हे0**	**20,39,000**	**6 एवं 7%**	**1,33,000**	**20,390**	**7,300**	**1,80,67,500**	**12,54,760**	**1,80,680**	**12,82,050**
		7,755	3,446	05-04-2022	सी	डी	452मी	184.80 व0मी0	आवासीय भूखंड, मकान और 25 फीट चौड़ी सड़क	9,100/ व0मी0	16,82,000	6 एवं 7%	1,08,000	16,820					
		7,756	3,474	06-04-2022	सी	डी	452मी	65.10 व0मी0	एक तरफ आवासीय मकान और दो तरफ 25 फीट चौड़ी सड़क	9,100/ व0मी0*	35,00,000	6 एवं 7%	2,45,000	35,000					
		7,996	10,617	08-09-2022	सी	ई	452मी	221.81 व0मी0	दो तरफ आवासीय मकान और एक तरफ 25 फीट चौड़ी सड़क	9,100/ व0मी0	20,19,000	6 एवं 7%	1,41,500	20,190					
31		**7,519**	**10,623**	**12-10-2021**	**ए**	**बी**	**331मी**	**0.3420 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क से दूर और आबादी के पास**	**1,70,10,000/ हे0**	**58,18,000**	**7%**	**4,08,000**	**58,180**	**6,900**	**2,35,98,000**	**16,51,860**	**2,35,980**	**14,21,660**
		6,884	5,716	24-08-2020	सी	डी	331मी	156.79 व0मी0	तीन तरफ आवासीय प्लाट और एक तरफ 14 फीट चौड़ी सड़क	6,900/ व0मी0	10,82,000	7%	76,000	10,820					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		7,520	10,643	12-10-2021	ए	ई	331मी	156.79 व0मी0	एक तरफ रीवा रोड, एक तरफ का आवासीय घर और शेष भूमि	16,500/ व0मी0	24,88,000	6 एवं 7%	1,64,500	24,880					
32		**7,864**	**6,732**	**20-06-2022**	**ए**	**बी**	**469मी**	**0.2165 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**82,37,000/ हे0**	**17,84,000**	**6 एवं 7%**	**1,15,000**	**17,840**	**7,300**	**1,58,04,500**	**10,96,350**	**1,58,045**	**11,21,555**
		7,855	6,431	14-06-2022	सी	डी	469मी	117.05 व0मी0	एक तरफ 20 फीट सड़क और शेष भूमि	9,100/ व0मी0	10,70,000	6 & 7%	64,950	10,700					
		7,878	7,161	28-06-2022	सी	ई	469मी	127.31 व0मी0	एक तरफ 20 फीट सड़क और तीन तरफ आवासीय प्लॉट	9,100/ व0मी0*	13,50,000	6 एवं 7%	94,500	13,500					
33	उप निबन्धक सदर–III अलीगढ़	**8,466**	**5,841**	**12-07-2019**	**ए**	**बी**	**67मी**	**0.385 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क से दूर और आबादी के पास**	**2,10,00,000 / 4,20,00,000 प्रति *हे0***	**1,01,85,000**	**7%**	**7,13,500**	**20,000**	**7,000**	**2,69,50,000**	**18,86,500**	**20,000**	**11,73,000**
34		**9,391**	**9,445**	**04-12-2020**	**ए**	**सी**	**67मी**	**0.385 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क से दूर और आबादी के पास**	**2,10,00,000 / 4,20,00,000 प्रति *हे0***	**1,01,85,000**	**7%**	**7,13,500**	**20,000**	**7,000**	**2,69,50,000**	**18,86,500**	**20,000**	**11,73,000**
		8,461	5,781	10-07-2019	डी	ई	67मी	215.99	आवासीय भूखंड और 20 फीट चौड़ी सड़क	7,500/ व0मी0	16,20,000	7%	1,13,500	20,000					
		8,499	6,331	27-07-2019	डी	एफ	67मी	185.8	आवासीय भूखंड और घर एवं 20 फीट चौड़ी सड़क	7,500/ व0मी0	13,94,000	6 एवं 7%	87,600	20,000					
		9,249	7,329	08-10-2020	जी	एच	67मी	85.28 व0मी0	आवासीय भूखंड और 10 फीट चौड़ी सड़क	7,000/ व0मी0	5,98,000	6%	36,000	5,980					
		9,396	9,501	05-12-2020	डी	I	67मी	167.22 व0मी0	आवासीय भूखंड और 18 फीट चौड़ी सड़क	7,000/ व0मी0	11,72,000	6 एवं 7%	72,200	11,720					
35		**8,259**	**2,873**	**26-03-2019**	**ए**	**बी**	**144/1/16**	**0.1005 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**1,50,00,000/ हे0**	**15,08,000**	**6 एवं 7%**	**96,000**	**20,000**	**6,500**	**65,32,500**	**4,47,310**	**20,000**	**3,51,310**
36		**8,499**	**6,336**	**27-07-2019**	**ए**	**सी**	**144/1/16**	**0.1005 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**1,50,00,000/ हे0**	**15,08,000**	**6 एवं 7%**	**96,000**	**20,000**	**6,500**	**65,32,500**	**4,47,310**	**20,000**	**3,51,310**
		7,906	9,669	11-10-2018	ए	डी	144/1/16	74.32 व0मी0	आवासीय भूखंड और 9 मीटर चौड़ी सड़क	8,000/ व0मी0	10,00,000	6%	60,000	20,000					
		8,290	3,295	10-04-2019	ए	ई	144/1/16	74.31 व0मी0	आवासीय भूखंड और 25 फीट चौड़ी सड़क	7,000/ व0मी0	10,00,000	6%	65,000	20,000					
		8,503	6,375	29-07-2019	ए	एफ	144/1/16	167.22 व0मी0	आवासीय भूखंड और दो तरफ 20 से 25 फीट चौड़ी सड़क	7,000 व0मी0+ 10%	12,88,000	6 एवं 7%	80,200	20,000					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादकों द्वारा वर्णित तथ्य / अन्य बिक्री विलेखों द्वारा वर्णित तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर प्रति	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
37		**8,930**	**2,302**	**06-03-2020**	**ए**	**बी**	**184 मी**	**0.1154 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**2,25,00,000/ हे0**	**25,97,000**	**7%**	**1,82,000**	**25,970**	**5,000**	**57,70,000**	**4,03,900**	**57,700**	**2,53,630**
		8,228	2,376	08-03-2019	सी	डी	183मी एवं 184 मी	418.05 व0मी0	आवासीय भूखंड और 19 फीट चौड़ी सड़क	5,000/ व0मी0	20,92,000	6 एवं 7%	1,26,600	20,000					
		9,736	4,351	17-04-2021	सी	ई	184 मी	83.61 व0मी0	आवासीय भूखंड और 20 फीट चौड़ी सड़क	5,500/ व0मी0	4,60,000	7%	32,200	4,600					
38	उप निबन्धक सदर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर	**40,717**	**7,149**	**05-04-2022**	**ए**	**बी**	**70**	**0.1784 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**1,02,85,000/ हे0**	**18,35,000**	**0**	**1,28,600**	**18,350**	**5,400**	**96,33,600**	**6,74,380**	**96,340**	**6,23,770**
		38,336	4,533	01-03-2021	सी	डी	70	167.22 व0मी0	आवासीय भूखंड और दो तरफ 10 से 16 फीट चौड़ी सड़क	5,400/ व0मी0+5%	9,49,000	0	66,500	9,490					
		41,180	12,812	09-06-2022	ई	एफ	70	100.33 व0मी0	आवासीय भूखंड और 10 फीट चौड़ी सड़क	5,400/ व0मी0	5,42,000	0	32,550	5,420					
39		**40,518**	**4,738**	**08-03-2022**	**ए**	**बी**	**210**	**0.1337 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**1,73,94,000/ हे0**	**23,26,000**	**6 एवं 7%**	**1,53,000**	**23,260**	**7,200**	**96,26,400**	**6,63,890**	**96,270**	**5,83,900**
		39,585	18,816	11-10-2021	सी	डी	210	50.16 व0मी0	आवासीय भूखंड और 25 फीट चौड़ी सड़क	7,200/ व0मी0	3,62,000	0	25,400	3,620					
		41,535	17,443	04-08-2022	ए	सी	210	209.025 व0मी0	आवासीय भूखंड और दो तरफ 16–30 फीट चौड़ी सड़क	7,560/ व0मी0	15,81,000	6 एवं 7%	1,00,700	15,810					
40		**39,597**	**18,964**	**12-10-2021**	**ए**	**बी**	**93**	**0.1004 हे0**	**कृषि भूमि, सड़क और आबादी से दूर**	**1,12,50,000/हे0**	**11,30,000**	**0**	**79,200**	**11,300**	**5,500**	**55,22,000**	**3,86,540**	**55,220**	**3,51,260**
		38,713	8,606	26-04-2021	सी	डी	93	83.61 व0मी0	आवासीय भूखंड और 20 फीट चौड़ी सड़क	5,500/ व0मी0	4,60,000	0	32,500	4,600					
		40,019	24,116	21-12-2021	बी	ई	93	125.41 व0मी0	आवासीय भूखंड और 21 फीट चौड़ी सड़क	5,500/ व0मी0	6,90,000	0	41,500	6,900					
									योग							**41,75,04,880**	**2,62,89,100**	**34,73,335**	**2,28,36,125**

नोट–परिशिष्ट में बोल्ड विलेख ऐसे विलेख हैं जिनके विरूद्ध स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली कम हुई है। भूमि की क्षमता निर्धारित करने के लिए उसी *आराजी* संख्या में अन्य विलेखों का उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट-XVII
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण दर्शाने वाला विवरण
(सन्दर्भ पैरा संख्या 4.3)

(धनराशि ₹ में)

पट्टेदार का नाम	पट्टे का स्थान	पट्टे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पट्टे की अवधि	पट्टे की अवधि में वसूलनीय कुल रायल्टी	पट्टे की अवधि में वसूलनीय डीएमएफ अर्थात रायल्टी का 10%	वसूलनीय कुल रायल्टी एवं डीएमएफ	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क @2%	13.02. 2020 से देय निबन्धन फीस ₹ 20000 / कुल प्रतिफल का 1%	कुल आरोपणीय स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	प्रतिफल धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का भुगतान किया गया	पट्टेदारों द्वारा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क	पट्टेदारों द्वारा भुगतान की गई निबन्धन फीस	पट्टेदारों द्वारा भुगतान किया गया कुल स्टाम्प और निबन्धन फीस	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण (10-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मुमताज अली निवासी मोहम्मदाबाद, बिजोरा, जे0पी0 नगर	ग्राम पचायरा, लोनी गाजियाबाद	16.183	21.10.20 से 20.10.25	40,69,75,759	4,06,97,576	44,76,73,335	89,53,467	44,76,733	1,34,30,200	24,41,85,441	48,83,720	24,41,860	73,25,580	61,04,620
न्यू पैंथर सेक्योरिटी गार्ड सर्विस	ग्राम पचायरा, लोनी गाजियाबाद	8.512	12.10.21 से 11.11.26	25,28,28,807	2,52,82,881	27,81,11,688	55,62,234	27,81,117	83,43,351	5,05,65,760	32,49,460	16,20,600	48,70,060	34,73,291
विनय कुमार*	ग्राम बदरपुर, लोनी गाजियाबाद	7.28	05.06.18 से 04.06.23	63,23,87,363	6,32,38,736	69,56,26,099	2,78,25,044	20,000	2,78,45,044	63,23,87,363	2,52,95,520	20,000	2,53,15,520	25,29,524
ओमकार लक्ष्मी शुभम प्रा0 लि0	ग्राम नौरसपुर, लोनी गाजियाबाद	1.81	01.10.18 से 30.09.23	29,85,86,302	2,98,58,630	32,84,44,932	65,68,899	20,000	65,88,899	29,85,86,302	59,71,740	20,000	59,91,740	5,97,159
				1,59,07,78,231	**15,90,77,823**	**1,74,98,56,054**	**4,89,09,643**	**72,97,850**	**5,62,07,493**	**1,22,57,24,866**	**3,94,00,440**	**41,02,460**	**4,35,02,900**	**1,27,04,593**

* चूंकि लीज क्षेत्र विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसलिए 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया है।

परिशिष्ट-XVIII
पट्टेदारों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में जमा नहीं किए गए अंशदान को दर्शाने वाला विवरण
(सन्दर्भ पैरा संख्या 4.4)

(धनराशि ₹ में)

पट्टेदार का नाम	पट्टे का स्थान	पट्टा क्षेत्र	पट्टे की अवधि	ईसी के अनुसार स्वीकृत मात्रा	खनिजों का नाम	जि0ख0फा0ट्र0 की धनराशि जमा नहीं की गयी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
मुमताज अली, मोहम्मदाबाद, बिजौरा, ज्योतिबा फुले नगर	गाँव–पचायरा, खंड–1, तह0–लोनी, गाजियाबाद	16.183 हेक्टे0	21.10.2020 से 20.10.2025	3,23,600 घन मी0	बालू	1,72,22,536
न्यू पैंथर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रा. लिमिटेड प्रो0 बानी सिंह	गाँव–पचायरा, खण्ड–2, तह0–लोनी, गाजियाबाद	8.512 हेक्टे0	12.11.2021 से 11.11.2026	1,77,737 घन मी0	बालू	55,07,892
योग						**2,27,30,428**

परिशिष्ट-XIX

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा परिचालित बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाने को दर्शाने वाला विवरण

(सन्दर्भ पैरा संख्या 5.3)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	बसों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गयी बसों की संख्या	कुल बसों की संख्या जिसमें डेटा विश्लेषण के माध्यम से प्रेक्षण पाया गया	जमा धनराशि	अवधि (अतिरिक्त कर पर आरोपणीय शास्ति)	जमा में विलम्बित माह	अतिरिक्त कर जमा करने में विलम्ब पर आरोपित शास्ति की कुल राशि
1	स0प0का0, गाजियाबाद	630	630	630	4,99,52,700	12/2021 to 03/2022	01-25	1,73,03,699.18
2	स0प0का0, कानपुर	402	372	355	10,28,35,880	12/2020 to 09/2022	01-57	4,70,17,432.45
योग		**1,032**	**1,002**	**985**	**15,27,88,580**	**12/2020 to 09/2022**	**01-57**	**6,43,21,131.64**

परिशिष्ट-XX
बिना परमिट नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क और शास्ति के भुगतान के बिना संचालित होने वाले वाहनों को दर्शाने वाला विवरण
(सन्दर्भ पैरा संख्या 5.4)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन का प्रकार	कुल वाहनों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	अवैध परमिट की अवधि	आवेदन शुल्क	परमिट शुल्क	कुल शुल्क	शास्ति	कुल धनराशि
1	स0प0का0, गाजियाबाद	माल वाहन	8,782	244	185	01/2020 से 04/2022	2,22,000.00	13,87,500.00	16,09,500.00	18,50,000.00	34,59,500.00
		स्कूल वाहन	5,500	500	444	04/2021 से 04/2022	5,32,800.00	19,98,000.00	25,30,800.00	44,40,000.00	69,70,800.00
		टैंकर	6,348	104	26	02/2020 से 04/2022	31,200.00	1,95,000.00	2,26,200.00	2,60,000.00	4,86,200.00
2	स0प0का0, कानपुर	आटो (तीन पहिया)	1,759	982	206	04/2021 से 09/2022	1,23,600.00	4,12,000.00	5,35,600.00	20,60,000.00	25,95,600.00
		माल वाहन	15,111	489	265	04/2021 से 09/2022	3,18,000.00	19,87,500.00	23,05,500.00	26,50,000.00	49,55,500.00
		स्कूल वाहन	267	267	31	01/2021 से 09/2022	23,400.00	1,39,500.00	1,62,900.00	3,10,000.00	4,72,900.00
		स्टेज कैरेज बस	571	571	43	04/2021 से 09/2022	51,600.00	3,22,500.00	3,74,100.00	4,30,000.00	8,04,100.00
		टैंकर	1,580	630	22	05/2021 से 12/2022	26,400.00	1,65,000.00	1,91,400.00	2,20,000.00	4,11,400.00
योग			**39,918**	**3,787**	**1,222**	**01/2020 से 09/2022**	**13,29,000.00**	**66,07,000.00**	**79,36,000.00**	**1,22,20,000.00**	**2,01,56,000.00**

संक्षेप एवं पारिभाषिक शब्दावली

संक्षेप एवं पारिभाषिक शब्दावली

मा0से0क0	माल एवं सेवा कर
के0मा0से0क0	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर
रा0मा0से0क0	राज्य माल एवं सेवा कर
सं0शा0मा0से0क0	संघ शासित माल एवं सेवा कर
ए0मा0से0क0	एकीकृत माल एवं सेवा कर
उ0प्र0मा0से0क0	उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर
इ0टै0क्रे0	इनपुट टैक्स क्रेडिट
बि0इं0फ्रा0ए0	बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स
स्रो0सं0क0	स्रोत पर संग्रहीत कर
स्रो0क0क0	स्रोत पर कर कटौती
इ0से0वि0	इनपुट सेवा वितरक
रि0चा0मै0	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
महा0नि0	महानिरीक्षक, निबन्धन
उ0महा0नि0	उप महानिरीक्षक
स0महा0	सहायक महानिरीक्षक
उ0नि0	उप निबन्धक
उ0नि0का0	उप निबन्धक कार्यालय
भा0स्टा0	भारतीय स्टाम्प
उ0प्र0न0नि0एवंवि0	उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास
खा0ख0 (वि0औरवि0)अ0	खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
उ0प्र0उ0ख0प0नि0	उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली
जि0ख0अ0	जिला खान अधिकारी
जि0ख0फा0ट्र0	जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट
उ0प्र0स0	उत्तर प्रदेश सरकार
मो0या0	मोटर यान
के0मो0या0नि0	केंद्रीय मोटर यान नियम
उ0प्र0मो0या0क0अ0	उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम
कै0बा0रो0	कैरिज बाइ रोड
भा0स0	शासनादेश
प0आ0	परिवहन आयुक्त
उ0प0आ0	उप परिवहन आयुक्त
स0प0अ0	सम्भागीय परिवहन अधिकारी
स0स0प0अ0	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
अना0प्र0	अनापत्ति प्रमाणपत्र
उ0प्र0रा0स0प0नि0	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
स0प0औररा0मं0	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
ज0ने0रा0न0न0मि0	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीनीकरण मिशन
रा0प0उ0	राज्य परिवहन उपक्रम

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
एचटीटीपीएसः//सीएजी.जीओवी.इन